

श्रृंखला आईएस

अक्टूबर 2025

मौजूदा

मामलों




एक अरब सपनों को सशक्त बनाना
नीति और योजना के माध्यम से प्रगति
भारत का विकास एजेंडा



मासिक पत्रिका
अक्टूबर 2025

सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1	राजनीति	1 TO 24
2	पर्यावरण	25 TO 34
3	अर्थव्यवस्था	35 TO 45
4	अंतरराष्ट्रीय संबंध	46 TO 62
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	63 TO 69
6	नैतिकता	70 TO 71
7	समाचारों में भी	72 TO 111
8	विशेष संस्करण: संस्कृति और बहुविकल्पीय प्रश्न	112 TO 119



राजनीति

💰 GST पुनर्गठन से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर चिंताएं

GST मुआवजा उपकर की समाप्ति से राज्यों की राजस्व हानि और वित्तीय स्वायत्तता में कमी को लेकर चिंता गहराई है।

📌 मुख्य चुनौतियां

- राजस्व स्वायत्तता में कमी: कराधिकार राज्यों से केंद्र-प्रधान GST परिषद को स्थानांतरित।
- व्यय-राजस्व असंतुलन: राज्य कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, पर राजस्व अधिकार सीमित हैं।
- कर बंटवारे में गिरावट: उपकर व अधिभार बढ़ने से राज्यों का वास्तविक हिस्सा घटा।
- वित्त आयोग मानदंड: प्रगतिशील राज्यों को दंडित करने की शिकायतें।
- केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता: राज्य राजस्व का 44% केंद्र से आता है (बिहार में 72%) — तरलता व राजनीतिक तनाव की संभावना।

🔧 आगे का रास्ता

- कर-बंटवारा सिद्धांतों की समीक्षा कर सहकारी संघवाद को मज़बूत करना।
- व्यक्तिगत आयकर आधार का साझा करना।
- कनाडा मॉडल जैसे विकल्पों पर विचार — राज्यों को अधिक संग्रह व व्यय अधिकार।
- *Fiscal Health Index* जैसे उपकरणों से राज्यों की वित्तीय स्थिति की निगरानी।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ने जारी किया 'भारत में भविष्य की खेती: कृषि हेतु एआई प्लेबुक'

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (*Office of the Principal Scientific Adviser – OPSA*) के कार्यालय ने 'भारत में भविष्य की खेती: कृषि हेतु एआई प्लेबुक' जारी की है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच (*WEF*) और चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (*C4IR*) भारत के नेतृत्व में चलाए जा रहे *AI for India 2030* पहल के अंतर्गत दो अन्य रिपोर्टों के साथ जारी की गई है।
- यह पहल *OPSA* और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (*MeitY*) के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में जिम्मेदार, समावेशी और विस्तारयोग्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (*AI*) को स्थापित करना है।

◆ प्रमुख बिंदु

कृषि में एआई के उपयोग के क्षेत्र:

- स्मार्ट फसल योजना (*Intelligent Crop Planning*): मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम, मूल्य रुझान और व्यापार डेटा के आधार पर उपयुक्त फसलों की सिफारिश।
- स्मार्ट खेती (*Smart Farming*): उपग्रह निगरानी, कीट पूर्वानुमान, मिट्टी विश्लेषण, उपज भविष्यवाणी और स्वचालित कृषि मशीनरी का उपयोग।
- फार्म-टू-फोर्क समाधान (*Farm-to-Fork Solutions*): आपूर्ति श्रृंखला की ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बाजार संपर्क, फिनेटेक अपनाना और मूल्य पूर्वानुमान।

फ्रेमवर्क: **IMPACT AI**

AI तकनीकों के त्वरित समेकन के लिए समावेशी बहु-हितधारक मार्ग (*Inclusive Multistakeholder Pathway for the Accelerated Convergence of AI Technologies*), तीन स्तंभों पर आधारित है:

- *Enable* (सक्षम बनाना): एआई रणनीति विकसित करना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना और कौशल उन्नयन।
- *Create* (सृजन करना): नवाचार, एआई सैंडबॉक्स और नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहन।
- *Deliver* (प्रदान करना): कृषि विस्तार तंत्र को सशक्त बनाना, एआई मार्केटप्लेस विकसित करना और किसानों में जागरूकता बढ़ाना।

⚠️ चुनौतियाँ

- कम तकनीकी अपनाना: केवल 20% से कम किसान डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं।
- वित्तीय सीमाएँ: सीमित आय के कारण किसान एआई समाधानों का खर्च नहीं उठा पाते।
- छोटे जोत आकार: भारत के 15 करोड़ किसानों में से 85% लघु किसान हैं (औसत जोत 1.08 हेक्टेयर)।
- कम निवेश: एआई अवसंरचना और अनुसंधान में निवेश की कमी।
- जोखिम की धारणा: प्रौद्योगिकी के सत्यापन हेतु संस्थागत तंत्रों का अभाव।



CACP ने असंतुलित उर्वरक सब्सिडी से पैदावार और मिट्टी की सेहत पर खतरा बताया

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने अपनी रिपोर्ट “रबी फसलों के लिए मूल्य नीति, विपणन वर्ष 2024-25” में भारत की उर्वरक उपयोग और सब्सिडी व्यवस्था में संरचनात्मक खामियों को उजागर किया है।

! मुख्य मुद्दे

- उर्वरक प्रतिक्रिया में गिरावट → NPK के प्रति किलोग्राम पर खाद्यान्न उत्पादन 1960-69 में 12 किग्रा से घटकर 2020 में 3 किग्रा रह गया है।
- विकृत सब्सिडी संरचना → यूरिया पर भारी सब्सिडी से पोषक तत्वों का असंतुलन और मिट्टी की उर्वरता में कमी।
- असमान उपयोग → कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु) में अत्यधिक उपयोग (>500 किग्रा/हेक्टेयर) जबकि अन्य में कम उपयोग।
- आयात पर निर्भरता → लगभग 30% उर्वरक मांग आयात से पूरी होती है।

📌 CACP की सिफारिशें

- यूरिया की कीमतों में चरणबद्ध वृद्धि → बचत को P & K उर्वरकों पर सब्सिडी में लगाना।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) → रासायनिक उर्वरकों को जैविक खाद और बायो-फर्टिलाइज़र के साथ मिलाना।
- मिट्टी परीक्षण को मज़बूत करना → आधुनिक प्रयोगशालाएँ, बेहतर उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ और रियल-टाइम सलाह।

🌱 सरकारी कदम

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना।
- PM-PRANAM कार्यक्रम → संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी की बहाली के लिए।
- मृदा स्वास्थ्य पहल, नीम-कोटेड यूरिया, और नैनो उर्वरकों का प्रचार।



नक्सल प्रभावित ज़िलों की संख्या घटकर 3 हुई

“सबसे अधिक प्रभावित” वामपंथी उग्रवाद (LWE) ज़िलों की संख्या 6 से घटकर अब 3 (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर – छत्तीसगढ़) रह गई है। कुल प्रभावित ज़िले 18 से घटकर 11 हो गए हैं।

सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक LWE को समाप्त करना है।

📌 भारत में वामपंथी उग्रवाद

- **उत्पत्ति:** 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से।
- **विचारधारा:** माओवादी – सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में जड़ें; मुख्यतः दूरदराज़ व पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

📌 सरकार की रणनीति

- **राष्ट्रीय कार्य योजना एवं नीति (2015):** नेतृत्व पर प्रहार, वित्तीय स्रोत बंद करना, केंद्र-राज्य समन्वय, विचारधारा का प्रतिकार।
- **SAMADHAN रणनीति:** Smart नेतृत्व, Aggressive कार्रवाई, Motivation & Training आदि।
- **विकास पर बल:**
 - बैंक, एटीएम, डाकघरों के ज़रिये वित्तीय समावेशन।
 - आईटीआई, स्किल सेंटर, एकलव्य स्कूलों के माध्यम से शिक्षा व कौशल विकास।
 - धर्ती आंबा अभियान → स्थानीय सुविधाओं के लिए।
- **समुदाय से जुड़ाव:** Civic Action Programme के ज़रिये बलों और स्थानीयों के बीच विश्वास निर्माण।
- **पुनर्वास:** आत्मसमर्पण-पुनर्वास योजनाएँ।

III ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति पर SC की समिति

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे

- लाभ पहुँच: 2019 अधिनियम के तहत ID से जोड़ने के कारण जटिलता।
- अवसर की कमी: स्कूलों, संस्थानों, आश्रयों में प्रवेश में बाधा।
- प्रशासनिक कमी: कई राज्यों में संरक्षण सेल नहीं बने।
- सामाजिक कलंक: भेदभाव और संवेदनशीलता की कमी।
- कानूनी चिंता: डीएम प्रमाणन आत्म-पहचान के अधिकार का उल्लंघन।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

- परिभाषा: जन्म-नियत लिंग से भिन्न पहचान वाले व्यक्ति।
- मान्यता: आत्म-घोषित पहचान का अधिकार।
- गैर-भेदभाव: शिक्षा, रोजगार, आवास में समानता।
- सरकारी दायित्व: प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाएँ।
- संस्थान: राष्ट्रीय परिषद की स्थापना।

प्रमुख पहल

- NALSA निर्णय (2014): ट्रांसजेंडरों को तीसरा लिंग घोषित।
- राष्ट्रीय पोर्टल: ऑनलाइन प्रमाणपत्र हेतु।
- SMILE योजना: पुनर्वास और सशक्तिकरण पर केंद्रित।

भारत की अवसंरचना योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नई पहलें

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के चार वर्ष पूरे होने पर कई नई पहलें शुरू कीं — जिनका उद्देश्य अवसंरचना योजना व विकास को और सशक्त बनाना है।

मुख्य पहलें

- PM GatiShakti Public: निजी क्षेत्र को NMP प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें भू-स्थानिक डेटा व उन्नत विश्लेषण उपलब्ध है।
- PM GatiShakti – Offshore: अपतटीय पवन ऊर्जा, समुद्री संसाधन व तटीय अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के लिए एकीकृत डिजिटल योजना मंच।
- 112 आकांक्षी जिलों के जिला मास्टर प्लान: स्थानीय अवसंरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, पर्यावरण) में क्षेत्र-आधारित, डेटा-संचालित योजना को बढ़ावा देना।
- LEAPS 2025: लॉजिस्टिक्स में नेतृत्व व नवाचार को सम्मानित करने के लिए DPIIT की प्रमुख पहल — सततता, ESG और हरित लॉजिस्टिक्स पर फोकस।
- PMGS NMP डैशबोर्ड: बहु-क्षेत्रीय वास्तविक समय रिपोर्टिंग व कार्रवाई योग्य इनसाइट्स के लिए व्यापक प्रणाली।

PM GatiShakti NMP (2021) के बारे में

- यह मंच 57+ मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करता है।
- यह सात इंजनों पर आधारित है: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना।

भारत में रोग भार गैर-संचारी रोगों (NCDs) की ओर स्थानांतरित

प्रमुख निष्कर्ष:

- 1990-2023 के बीच NCDs भारत में मृत्यु के प्रमुख कारण बन गए।
- संक्रामक रोगों में गिरावट — बेहतर स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण और स्वच्छता के कारण।
- मानसिक स्वास्थ्य विकारों में तेज वृद्धि (2013-2023)।
- मुख्य जोखिम कारक: वायु प्रदूषण शीर्ष 3 में।

NCDs क्या हैं?

- लंबे समय तक रहने वाले, व्यक्ति से व्यक्ति में न फैलने वाले रोग (जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह)।
- इन पर आनुवांशिक, पर्यावरणीय, शारीरिक और जीवनशैली कारक प्रभाव डालते हैं।
- वैश्विक रूप से कुल मृत्यु/रोग भार का लगभग 2/3 हिस्सा NCDs से आता है।

भारत की पहल

- ईट राइट इंडिया (FSSAI): स्वस्थ आहार को बढ़ावा।
- फिट इंडिया मूवमेंट (2019): रोज़मर्रा में शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (2007-08)
- NPCDCS (2010): कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण।

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में दो प्रमुख योजनाएं शुरू कीं

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में दो नई योजनाओं की घोषणा की —
पीएम धन धान्य कृषि योजना तथा दालों में आत्मनिर्भरता मिशन।

मुख्य बिंदु:

- कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान।
- दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना।

पीएम धन धान्य कृषि योजना

- अवधि: 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)
- कवरेज: 100 ज़िलों को लक्ष्य (प्रत्येक राज्य से कम से कम 1 जिला)
- वित्तीय प्रावधान: ₹24,000 करोड़
- क्षेत्र फोकस: कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को मज़बूत करना

उद्देश्य:

- कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- फसल विविधीकरण और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना
- नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन

- अवधि: 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)
- उद्देश्य: देश में दालों का उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
- वित्तीय प्रावधान: ₹11,440 करोड़
- फोकस फसलें: तूर/अरहर, उड़द और मसूर

लक्ष्य:

- क्षेत्रफल: 310 लाख हेक्टेयर में दालों की खेती
- उत्पादन: 350 लाख टन
- उत्पादकता: 1130 किग्रा/हेक्टेयर
- रणनीति: क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप किए जा सकें।
- सरकारी खरीद: NAFED और NCCF किसानों से 100% उत्पाद की खरीद करेंगे।



वन्यजीव संरक्षण (केरल संशोधन) विधेयक, 2025 ने केंद्र-राज्य तनाव को उजागर किया

- केरल द्वारा प्रस्तावित संशोधन मानव-पशु संघर्षों में बढ़ती पर केंद्र सरकार की धीमी प्रतिक्रिया से उपजे असंतोष को दर्शाते हैं, विशेष रूप से जंगली सूअरों से जुड़े मामलों में, जिन्हें राज्य बार-बार हानिकारक जीव (*vermin*) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करता रहा है।



मुख्य प्रावधान

- मुख्य वन्यजीव वार्डन को सशक्त बनाना, ताकि वे जंगली जानवरों को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने जैसी त्वरित कार्रवाई बिना देरी के अधिकृत कर सकें।
- राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह अनुसूची II में सूचीबद्ध प्रजातियों को हानिकारक जीव (*vermin*) घोषित कर सके।
- Vermin* वे जंगली जानवर हैं जो फसलों, पालतू पशुओं को नुकसान पहुँचाते हैं या बीमारियाँ फैलाते हैं।
- वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 62 के तहत (अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II को छोड़कर) किसी जंगली जानवर को *vermin* घोषित करने का अधिकार है।



संघीय पर्यावरणीय संदर्भ

- ‘वन’ और ‘वन्यजीव संरक्षण’ संविधान की अनुच्छेद 7 की सूची III (समवर्ती सूची) में आते हैं।
- इसी प्रावधान के तहत संसद ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया।
- समवर्ती सूची के अनुसार, यदि कोई राज्य कानून केंद्रीय अधिनियम से टकराता है, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।



नीति आयोग ने ‘एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप’ जारी किया



सारांश:

- भारत के तकनीकी क्षेत्र को एआई के कारण रोजगार हानि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रणनीतिक अनुकूलन के जरिये अगले 5 वर्षों में 40 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।
- यह रोडमैप “वर्क-वर्कर-वर्कफोर्स” दृष्टिकोण पर आधारित है, जो बताता है कि भारत विघटन को अवसर में कैसे बदल सकता है और वैश्विक एआई वर्कफोर्स हब बन सकता है।



मुख्य चुनौतियाँ

- रोजगार में विस्थापन: 2030 तक भारत में 60% से अधिक औपचारिक नौकरियाँ स्वचालन के जोखिम में हैं।
- कौशल अंतराल: भारतीय स्नातक उन्नत एआई और अनुसंधान आधारित पाठ्यक्रमों में पीछे हैं, और वर्तमान पाठ्यक्रम *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* जैसे नए कॉन्सेप्ट्स से मेल नहीं खाते।
- प्रतिभा की कमी: एआई प्रतिभा की आपूर्ति, उद्योग की कुल मांग का केवल लगभग 50% ही पूरी करती है।



नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- राष्ट्रीय एआई टैलेंट मिशन शुरू किया जाए ताकि रणनीति, शासन और कार्यान्वयन को एकीकृत किया जा सके।
- स्कूल से विश्वविद्यालय तक सभी स्तरों पर एआई शिक्षा को शामिल किया जाए।
- राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएँ और वर्तमान तकनीकी कार्यबल के लिए लचीले मास्टर/पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँ।
- अनुदान, प्रतिस्पर्धी वेतन, स्वायत्त एआई उत्कृष्टता केंद्र (*AI CoEs*), विशेष एआई टैलेंट वीज़ा और स्टार्टअप पुनर्स्थापन सहायता के माध्यम से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखा जाए।

IndiaAI मिशन के साथ सहयोग करते हुए:

- एक “इंडिया ओपन-सोर्स एआई कॉमन्स” पोर्टल स्थापित किया जाए — जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, मॉडल और मानक बेंचमार्क उपलब्ध हों।
- एक फेडरेटेड नेशनल कंप्यूट एंड इनोवेशन ग्रिड को क्रियान्वित किया जाए। : 🧠 AI का प्रभाव: *Work – Worker – Workforce* मॉडल

Work में बदलाव

- AI रूटीन कार्यों का स्वचालन करेगा।
- उत्पादकता में वृद्धि और
- जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता में सुधार होगा।

Worker में बदलाव

- AI नई स्किल्स की मांग पैदा करेगा।
- कुछ नौकरियाँ समाप्त होंगी।
- कई नई नौकरियाँ और भूमिकाएँ उभरेंगी।

Workforce में बदलाव

- कार्यबल हाइब्रिड मॉडल में बदल जाएगा।
- AI और मानव मिलकर समन्वित टीमों में काम करेंगे।

मुख्य विचार:

- AI केवल काम करने के तरीके को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि कर्मचारियों की भूमिकाओं और पूरे कार्यबल की संरचना को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है।

सरोगेसी आयु सीमा का पिछली तारीख से लागू न होना: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत निर्धारित आयु सीमा पिछली तारीख से उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने 25 जनवरी 2022 को कानून लागू होने से पहले ही सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
- यह छूट उन मामलों पर भी लागू होगी, जिनमें अधिनियम लागू होने से पहले ही भ्रूण बनाए और फ्रीज़ कर दिए गए थे।
- अदालत ने पुनः पुष्टि की कि प्रजनन का अधिकार (जिसमें सरोगेसी शामिल है), संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का अभिन्न हिस्सा है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 – मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: भारत में सरोगेसी को विनियमित करना, शोषण पर रोक लगाना और नैतिक, परोपकारी सरोगेसी को बढ़ावा देना।
- अनुमत प्रकार: केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति; वाणिज्यिक (Commercial) सरोगेसी पूर्णतः प्रतिबंधित और दंडनीय है।
- पात्रता (इच्छुक दंपति): विवाहित भारतीय दंपति; पत्नी की आयु 23-50 वर्ष, पति की 26-55 वर्ष; कोई जीवित जैविक या दत्तक संतान नहीं होनी चाहिए।
- पात्रता (सरोगेट माँ): विवाहित महिला, आयु 25-35 वर्ष, जिसकी अपनी कम से कम एक संतान हो।

सरोगेट बच्चे के अधिकार: बच्चे को इच्छुक दंपति की जैविक संतान माना जाएगा और उसे प्राकृतिक संतान के समान सभी कानूनी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

नीति आयोग ने भारत के असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए एआई रोडमैप लॉन्च किया

नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भारत के 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों के जीवन एवं आजीविका को रूपांतरित करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप जारी किया है। ये श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य

- मुख्य रोजगार स्रोत: भारत की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।
- कम उत्पादकता: औसत कमाई मात्र 5 डॉलर प्रति घंटा है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है।
- सीमित सामाजिक सुरक्षा: केवल 48% श्रमिकों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है।

मुख्य चुनौतियाँ

- वित्तीय असुरक्षा: अनियमित वेतन, भुगतान में देरी, कोई औपचारिक अनुबंध नहीं।
- कमज़ोर बाज़ार पहुँच: बिखरे हुए नौकरी नेटवर्क, सत्यापित पहचान की कमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमित दृश्यता।
- कौशल की कमी: केवल 2-5% श्रमिकों को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त; कार्य विधियाँ पुरानी।
- कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा जाल: स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना मुआवज़ा या पेंशन जैसी सुविधाएँ लगभग नगण्य।
- कम उत्पादकता वाले उपकरण: मैनुअल प्रक्रियाओं पर अत्यधिक निर्भरता और डिजिटल अपनाने में कमी।

मुख्य सिफारिशें

- मिशन डिजिटल श्रमसेतु: एआई के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को भविष्य के लिए सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू करना।
- समावेशी एआई अवसंरचना: साक्षरता और भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए बहुभाषी, वॉइस-सक्षम एआई टूल्स विकसित करना।
- सहभागी क्रियान्वयन: राज्यों और सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- प्लेटफॉर्म एकीकरण: एआई को ई-श्रमी, उद्यम (UDYAM) और अन्य डिजिटल पहलों से जोड़कर सेवाओं की दक्षता बढ़ाना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया मसौदा 'श्रम शक्ति नीति 2025'

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया मसौदा 'श्रम शक्ति नीति 2025' — समावेशी व भविष्य-उन्मुख कार्य व्यवस्था की दिशा में कदम
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoL&E) ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – 'श्रम शक्ति नीति 2025' का मसौदा जारी किया है, जो न्यायपूर्ण, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्य जगत की नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह नीति विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है।

मुख्य रणनीतिक उद्देश्य

- 🏠 सार्वभौमिक व पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और ई-श्रमी जैसी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत कर यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट (USSA) की स्थापना।
- 🏢 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH): OSH कोड, 2020 को जोखिम-आधारित निरीक्षणों और लैंगिक-संवेदनशील मानकों के साथ लागू करना।
- 👜 रोजगार एवं भविष्य की तैयारी: MoL&E को रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करना और राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) को रोजगार के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपयोग करना।
- 👩 महिला व युवाओं का सशक्तिकरण: महिला श्रम बल भागीदारी दर को 2030 तक 35% तक बढ़ाना।
- 📄 अनुपालन में सुगमता व औपचारिकता: MSMEs के लिए सिंगल-विंडो डिजिटल अनुपालन प्रणाली, स्व-प्रमाणन और सरल रिटर्न की व्यवस्था।
- 🌱 प्रौद्योगिकी और हरित नौकरियाँ: तकनीक अपनाने और ग्रीन ट्रांजिशन के माध्यम से सतत रोजगार को बढ़ावा देना।
- 🧠 एकीकृत शासन तंत्र: संस्थानों, डेटा सिस्टम और अधिकार क्षेत्रों में तालमेल के लिए एकीकृत डिजिटल श्रम-शासन ढाँचा तैयार करना।

संस्थागत एवं डिजिटल ढाँचा

- **राष्ट्रीय स्तर:** राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति क्रियान्वयन परिषद (NLPI) — श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष अंतर-मंत्रालयी निकाय।
- **राज्य स्तर:** राज्य श्रम मिशन — स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं।
- **जिला स्तर:** जिला श्रम संसाधन केंद्र (DLRCs) — पंजीकरण, नौकरी मिलान, कौशल विकास, स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन और शिकायत निवारण के लिए एकल-विंडो हब।

भारत में ई-गवर्नेंस: प्रशासन से परिवर्तन की ओर

- भारत में ई-गवर्नेंस एक पारंपरिक प्रशासनिक उपकरण से विकसित होकर एक परिवर्तनकारी तंत्र बन गया है, जिसने राज्य और नागरिकों के बीच संवाद के तरीके को बदल दिया है।

ई-गवर्नेंस क्या है?

परिभाषा:

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICTs) का उपयोग करके सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, सरकारी कार्यों को अधिक कुशल बनाना, और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1976: नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की स्थापना — भारत में डिजिटलीकरण की नींव रखी गई।
- 1980-2000: तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सहयोग देने तक सीमित था।
- 2024: भारत संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 97वें स्थान पर है।

ई-गवर्नेंस की परिवर्तनकारी भूमिका

नागरिकों की पहुँच बढ़ाना:

- ई-सेवा और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को कभी भी, कहीं से भी सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:

- भूमि (डिजिटल भू-अभिलेख) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी पहलें कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करती हैं।

प्रशासनिक दक्षता में सुधार:

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) और कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से स्वचालन ने निर्णय लेने की गति बढ़ाई और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन:

- जाम ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और यूपीआई ने पूरे देश में वित्तीय सेवाओं की पहुँच को विस्तारित किया है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना:

- ज्ञानदूत और पीएमजीडिशा जैसी पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाई और शासन में सहभागिता को प्रोत्साहित किया।

नवाचार और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना:

- इंडिया स्टैक और GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों में डेटा आधारित, निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में सहायक हैं।

चुनौतियाँ

- डिजिटल विभाजन
- डेटा गोपनीयता और निगरानी से जुड़े जोखिम
- बहिष्करण त्रुटियाँ
- सीमित संस्थागत क्षमता
- अत्यधिक प्लेटफॉर्मकरण

भारत में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कानून

- जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, केंद्र सरकार अब तक घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समग्र कानून लागू नहीं कर पाई है।

मौजूदा कानूनी ढांचा

- न्यायसंगत वेतन: न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत राज्यों को घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना अनिवार्य है।
- सुरक्षित कार्य वातावरण: यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (POSH Act), 2013 कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- शोषण से संरक्षण: भारतीय नारी सुरक्षा अधिनियम (Bharatiya Nari Suraksha Act), 2023 कानूनी सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

राज्य स्तर की पहलें:

- तमिलनाडु: मैनुअल वर्कर्स अधिनियम, 1982 के तहत कल्याणकारी लाभ और न्यूनतम वेतन प्रदान करता है।
- कर्नाटक: 2025 विधेयक के अनुसार कामगारों का पंजीकरण, अनुबंध, न्यूनतम वेतन और कल्याण कोष में योगदान अनिवार्य किया गया है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- असमान राज्य कानून: न्यूनतम वेतन और श्रम सुरक्षा राज्यों में अलग-अलग हैं; क्रियान्वयन कमजोर है।
- श्रम संहिता से बहिष्करण: घरेलू कामगारों को निजी घरों में कार्यरत होने के कारण नई श्रम संहिताओं से बाहर रखा गया है।
- कमजोर संगठन क्षमता: बिखरे हुए कार्यस्थल, प्रवासी स्थिति और कमजोर आर्थिक-सामाजिक स्थिति के कारण संगठन (यूनियन) बनाना कठिन है।
- डेटा की कमी: घरेलू कार्य की परिभाषा और विश्वसनीय आंकड़ों की अनुपलब्धता नीति निर्माण में बाधा डालती है।

आगे की राह

- समान न्यूनतम वेतन: सभी राज्यों को घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।
- अनिवार्य पंजीकरण: राज्य स्तर पर कामगारों, नियोक्ताओं और एजेंसियों का पंजीकरण आवश्यक बनाया जाए।
- समग्र कानून: घरेलू कामगारों के अधिकारों, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू किया जाए।

घरेलू कामगारों की स्थिति

- लगभग 2.81 करोड़ घरेलू और गृहस्थी कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- इनमें से अधिकांश महिलाएँ और लड़कियाँ अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) समुदायों से हैं, जिससे वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- कई प्रवासी कामगार हैं, जिन्हें राज्यों और सीमाओं के पार सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है।
- प्रमुख समस्याएँ: उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, शोषक एजेंसियाँ, कम या बिना वेतन, अनियमित कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा का अभाव।

कक्षा 3 से एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग (AI & CT) पाठ्यक्रम की शुरुआत

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के तहत कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

यह पहल CBSE, NCERT, KVS, NVS और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी।

◆ मुख्य विशेषताएँ

- CBSE ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रो. कार्तिक रमन (IIT मद्रास) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।
- शिक्षक प्रशिक्षण और अध्ययन-सामग्री निष्ठा (NISHTHA) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसे देशभर में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

◆ शिक्षा में AI और CT की भूमिका

- कम्प्यूटेशनल थिंकिंग: छात्रों को समस्या-समाधान की चार प्रमुख तकनीकें सिखाई जाएँगी — विभाजन (Decomposition), पैटर्न पहचान (Pattern Recognition), सारग्रहण (Abstraction) और एल्गोरिद्म निर्माण (Algorithm Design)।
- मौलिक कौशल: यह आलोचनात्मक सोच, तार्किक विवेक और तकनीकी नैतिकता की समझ विकसित करता है।
- भविष्य के लिए तैयारी: यह पाठ्यक्रम छात्रों को AI-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करता है, जिससे वे स्वचालन और बदलते रोजगार बाजारों के अनुरूप खुद को ढाल सकें।

🐘 ऊँटों पर प्रारूप नीति पत्र में “राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (NCSI)” का प्रस्ताव

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से ऊँटों पर एक प्रारूप नीति पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में घटती ऊँट जनसंख्या का संरक्षण और पुनर्जीवन है।
- 📌 **मुख्य बिंदु**
- **जनसंख्या में गिरावट:** भारत में ऊँटों की संख्या 1970 के दशक से अब तक 75% से अधिक घट चुकी है।
- **मुख्य कारण:** पारंपरिक आर्थिक उपयोग में कमी, चरागाह भूमि का सिकुड़ना, मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियाँ, लंबा सूखा, कठोर कानूनी ढाँचा और ऊँट उत्पादों के लिए अविकसित बाजार।
- **रणनीतिक सिफारिशें:**
- राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (NCSI) की शुरुआत
- चराई अधिकारों की सुरक्षा
- ऊँट दुग्ध मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना
- ऊँट-आधारित पर्यटन को पुनर्जीवित करना
- पशु चिकित्सा और आनुवंशिक संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना
- 🐘 **भारत में ऊँटों के बारे में**
- कभी “रेगिस्तान के जहाज़” के रूप में प्रसिद्ध ऊँट शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित हैं।
- भारत में लगभग 90% ऊँट राजस्थान और गुजरात में पाले जाते हैं, मुख्य रूप से रैका, रबारी, फकीरानी जात और मांगणियार जैसी पशुपालक समुदायों द्वारा।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:**
- कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं और कांटेदार रेगिस्तानी पौधों पर निर्भर रहते हैं।
- उनकी कूबड़ में वसा संग्रहित होती है, जिससे ऊर्जा मिलती है; पानी उनके रक्त कोशिकाओं में संग्रहित होता है, कूबड़ में नहीं।

पारिस्थितिक भूमिका:

- कम जल उपयोग और चयनात्मक चराई से वनस्पति विविधता बनी रहती है और मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है।
- ऊँट का गोबर शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी को समृद्ध करता है।

🐘 भारत में प्रमुख नस्लें

एक कूबड़ वाले ड्रोमेडरी ऊँट:

- 🐘 बीकानेरी (राजस्थान): मजबूत; गाड़ी खींचने और भारी कामों में प्रयोग।
- 🐘 जैसलमेरी (राजस्थान): लंबा, पतला और तेज; ऊँट सफारी के लिए लोकप्रिय।
- 🐘 मेवाड़ी (राजस्थान): उच्च दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध।
- 🐘 कच्छी (गुजरात): कठोर नस्ल; रण क्षेत्र में हल चलाने और परिवहन में प्रयुक्त।
- 🐘 खराई (गुजरात): तटीय एवं मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूलित; उत्कृष्ट तैराक।

दो कूबड़ वाला बैक्ट्रियन ऊँट:

- केवल लद्दाख के उच्च ऊँचाई वाले शीत मरुस्थल में पाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी

- ECMS के तहत सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और औद्योगिक प्रणालियों में उपयोग होने वाले घटकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

◆ ECMS के बारे में:

- शुरुआत: अप्रैल 2025 / कुल व्यय: ₹22,919 करोड़
- उद्देश्य: देश में स्वावलंबी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, और घरेलू व वैश्विक निवेश आकर्षित करना।
- नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
- मुख्य क्षेत्र: सब-असेंबली (डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल) और कोर कंपोनेंट्स (नॉन-सर्फेस माउंट डिवाइस)।

प्रोत्साहन:

- टर्नओवर-आधारित प्रोत्साहन: 6 वर्ष + 1 वर्ष का तैयारी काल (gestation period)
- पूंजीगत व्यय-आधारित प्रोत्साहन: 5 वर्ष

◆ भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र:

- GDP में योगदान: 3.4%
- उत्पादन वृद्धि: ₹1.9 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹11.3 लाख करोड़ (2024-25) — 6 गुना वृद्धि।
- निर्यात वृद्धि: ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹3.27 लाख करोड़ — 8 गुना वृद्धि।
- 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता निर्यात क्षेत्र बन गया (2021-22 में सातवें स्थान से उछाल)।
- भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य प्रमुख कदम

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme)
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की योजना (SPECs Scheme)
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC 2.0)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (Electronics Development Fund) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (NPE 2019)

सरकार ने भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए

- हाल ही में चीन ने एडन की खाड़ी और सोमालिया तट पर एस्कॉर्ट मिशन के लिए एक नया नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र (WIOR) की बढ़ती रणनीतिक महत्ता उजागर होती है।

◆ WIOR का महत्व

- रणनीतिक और भू-राजनीतिक: यह मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों को जोड़ता है। इसमें हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब-एल-मंदेब, और मोज़ाम्बिक चैनल जैसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट शामिल हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% गुजरता है।
- आर्थिक मूल्य: WIOR का समुद्री संपत्ति आधार (Ocean Asset Base) लगभग 333.8 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
- अफ्रीका का द्वार: यह एशिया और अफ्रीका के बीच सेतु (bridge) का कार्य करता है।

भारत के लिए महत्व:

- इंडो-पैसिफिक सहयोग को मजबूत करता है (जैसे फ्रांस के साथ साझेदारी)।
- भारत की भूमिका को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर (सुरक्षा प्रदाता) के रूप में सुदृढ़ करता है।
- ब्लू इकोनॉमी और डीप ओशन मिशन के लिए केंद्रीय क्षेत्र।

◆ चुनौतियाँ

- चीनी विस्तारवाद: ऋण-जाल कूटनीति (Debt-Trap Diplomacy); जिबूती और ग्वादर (पाकिस्तान) में सैन्य ठिकाने।
- समुद्री खतरे: समुद्री डकैती, हथियारों की तस्करी, और नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार।
- क्षेत्रीय संघर्ष: यमन में हौथी विद्रोही संघर्ष।
- गैर-पारंपरिक खतरे: जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरणीय जोखिम।

भारत की रणनीति और पहलें

- SAGAR सिद्धांत: “क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास” (*Security and Growth for All in the Region*)।
- बहुपक्षीय सहभागिता: भारतीय महासागर रिम संघ (IORA) और भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) में सदस्यता।
- रक्षा सहयोग: कोनकन नौसैनिक अभ्यास (भारत-यूके) जैसे संयुक्त अभ्यास।
- द्वीप साझेदारी: मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से रनवे और जेट्टी का निर्माण।
- अन्य पहलें:

इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – IOR,

- ऑपरेशन संकल्प (भारत को ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ और ‘पसंदीदा सुरक्षा साझेदार’ के रूप में स्थापित किया),
- चाबहार बंदरगाह (ईरान) — ये सभी भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति और नेतृत्व भूमिका को मजबूत करते हैं।

शहरी चुनौतियों को विकास के इंजन में बदलना

- हाल ही में अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने से भारत को वैश्विक प्रतिभा आकर्षित करने और रहने योग्य, प्रतिस्पर्धी शहरों के निर्माण का अवसर मिला है।
- ◆ **भारत की शहरी क्षमता**
 - आर्थिक केंद्र: भारत के केवल 15 शहर देश के GDP का लगभग 30% योगदान देते हैं; इन्हें सशक्त करने से राष्ट्रीय विकास दर में 1.5% वार्षिक वृद्धि संभव है।
 - भविष्य की वृद्धि: 2036 तक, भारत की 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था बन जाएगी।
- ◆ **मुख्य शहरी चुनौतियाँ**
 - प्रदूषण और गतिशीलता: दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं; मुख्य कारण हैं—वाहन उत्सर्जन और निर्माण की धूल।
 - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: केवल 26% कचरा वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जाता है।
 - जल संकट: पाइपलाइन जल का 40-50% रिसाव और अक्षमताओं के कारण नष्ट हो जाता है।
 - आवास और घनत्व: 2030 तक किफायती आवास की कमी तीन गुना बढ़कर 3.1 करोड़ इकाइयों तक पहुँच सकती है; कम फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) से शहरी विस्तार (*urban sprawl*) बढ़ता है।
 - शासन संबंधी समस्याएँ: कमज़ोर स्थानीय निकाय और पुराने विनियमन।
- ◆ **आगे की राह (Way Forward)**
 - प्रदूषण और गतिशीलता: सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण करें; बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अर्बन चैलेंज फंड से प्रोत्साहन दें।
 - जल प्रबंधन: पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें और “उपयोग के अनुसार भुगतान” (*Pay-as-you-use*) प्रणाली लागू करें।
 - आवास और घनत्व: FSI बढ़ाएँ, और टोक्यो व साओ पाउलो जैसे मॉडलों से प्रेरणा लेकर डेवलपर्स को सामाजिक आवास और परिवहन ढांचे में निवेश के लिए प्रोत्साहन दें।
 - शासन: शहर सरकारों को अधिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता दें; संपत्ति कर सुधार, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, और भूमि मूल्य अधिग्रहण (*Land Value Capture*) (जैसे हांगकांग में) के माध्यम से राजस्व बढ़ाएँ।
 - सतत विकास: सिंगापुर के ग्रीन अर्बन मॉडल से प्रेरणा लेकर संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल शहरी विकास को अपनाएँ।

खनन मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम (CMRIS) के दिशा-निर्देश जारी किए

खनन मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम (CMRIS) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग क्षमता को बढ़ाना है।

CMRIS के बारे में

उद्देश्य: क्रिटिकल मिनरल्स के पृथक्करण और निष्कर्षण के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य:

- प्रति वर्ष 270 किलो टन रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना
- 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन
- ₹8,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना

खनन मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम (CMRIS) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग क्षमता को बढ़ाना है।

CMRIS के बारे में

उद्देश्य: क्रिटिकल मिनरल्स के पृथक्करण और निष्कर्षण के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य:

- प्रति वर्ष 270 किलो टन रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना
- 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन
- ₹8,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना

प्रोत्साहन: पूंजीगत व्यय पर प्रतिपूर्ति आधारित सहायता तथा परिचालन व्यय पर अतिरिक्त बिक्री के लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रोत्साहन।

अवधि: छह वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक)।

फीडस्टॉक: ई-वेस्ट, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियां (LiBs) और अन्य स्क्रेप सामग्री।

लागू क्षेत्र: नई इकाइयाँ, क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण।

रीसाइक्लिंग क्यों महत्वपूर्ण है

आपूर्ति सुरक्षा: आयात पर निर्भरता घटती है और प्राथमिक आपूर्ति को पूरक बनाती है।

सततता: निकल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे ऊर्जा संक्रमण खनिजों की रीसाइक्लिंग से खनन की तुलना में लगभग 80% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में

नोडल मंत्रालय: खनन मंत्रालय

अवधि: वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31

केंद्रबिंदु: अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना।

मुख्य लक्ष्य:

- 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएँ
- 400 किलो टन रीसाइक्लिंग लक्ष्य
- वैल्यू चेन में 1,000 पेटेंट दाखिल
- 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

केंद्र ने 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान की

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों (AADs) की पहचान की है।

- **चयन मानदंड:** इन जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच के आधार पर किया गया है।
- **निगरानी:** योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNOs) नियुक्त किए जाएंगे। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ बनाकर समन्वित योजना, क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

पीएमडीडीकाय (PMDDKY) के बारे में

- **प्रेरणा स्रोत:** नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (112 जिले)।
- **योजना अभिसरण:** 6 वर्षीय मिशन (वित्त वर्ष 2025-26 से) के तहत 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण कर लक्षित कृषि जिलों में विकास को गति देना।
- **भौगोलिक कवरेज:** जिलों का चयन शुद्ध बोई क्षेत्र और संचालन होल्डिंग्स के अनुपात पर आधारित होगा, साथ ही प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा।
- **जिला स्तर की योजना:** प्रत्येक चयनित जिले में डीडीकेवाई समिति (DDKY Samiti) का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत करेगी। यह समिति जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना तैयार करेगी।

प्रगति की निगरानी

- प्रत्येक धन-धान्य जिले की प्रगति को 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के माध्यम से एक समर्पित डैशबोर्ड पर ट्रैक किया जाएगा।

पीएमडीडीकाय (PMDDKY) के पाँच मुख्य उद्देश्य

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि
- फसल विविधीकरण और सतत कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण क्षमता को सुदृढ़ करना

- विश्वसनीय जल उपलब्धता के लिए सिंचाई अवसंरचना में सुधार
- किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच प्रदान करना

दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025

दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 में संशोधन अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाना और टेलीकॉम से संबंधित धोखाधड़ी को रोकना है।

◆ मुख्य विशेषताएँ (Key Highlights)

टेलीकॉम आइडेंटिफ़ायर यूज़र एंटीटीज़ (TIUEs):

- एक नई श्रेणी, जिसमें वे सभी व्यवसाय शामिल होंगे जो ग्राहक पहचान या सेवा वितरण के लिए मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं, सिवाय लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स के।
- इसके तहत Zomato, PhonePe, Paytm, Uber जैसे प्लेटफ़ॉर्म अब Airtel और Jio जैसी ही नियामक रूपरेखा में आएंगे।

मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन (MNV) प्रणाली:

- केंद्र सरकार एक सत्यापन प्रणाली स्थापित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर वैध टेलीकॉम ग्राहक का है।

टेलीकॉम उपकरण विनियमन:

- निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर डिवाइस का IMEI नंबर अद्वितीय हो और छेड़छाड़ या प्रतिबंधित IMEIs का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखा जाए।

◆ संशोधन की आवश्यकता (Need for Amendment)

- साइबर खतरों में वृद्धि: घटनाएँ 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर 2024 में 22.68 लाख हो गईं।
- बेहतर सत्यापन: यह बैंकों और बीमा कंपनियों को ग्राहकों के विवरण सत्यापित करने में मदद करेगा।
- उभरते जोखिम: UPI धोखाधड़ी जैसे अपराधों को रोकने में सहायक, जिनमें कंप्रोमाइज्ड मोबाइल नंबरों का उपयोग होता है।

◆ अन्य साइबर सुरक्षा उपाय (Other Cybersecurity Measures)

- फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI): संदिग्ध नंबरों को मध्यम (Medium), उच्च (High) या अत्यधिक जोखिम (Very High Risk) श्रेणी में वर्गीकृत करता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: डेटा सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान लागू करता है।
- किए गए कदम: अब तक 9.42 लाख सिम कार्ड और 2.6 लाख IMEI नंबर, जो धोखाधड़ी से जुड़े थे, ब्लॉक किए जा चुके हैं (अक्टूबर 2025 तक)।

एआई-जनित सामग्री को विनियमित करने हेतु MEITY ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 के तहत संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि एआई-जनित (AI-generated) और डीपफेक (Deepfake) सामग्री को नियंत्रित किया जा सके।

◆ प्रमुख प्रस्ताव

- नई परिभाषा: सिंथेटिक रूप से जनित सूचना (Synthetically Generated Information) – वह सामग्री जो कंप्यूटर एल्गोरिद्म की सहायता से इस प्रकार तैयार या संशोधित की जाती है कि वह वास्तविक प्रतीत होती है।
- अनिवार्य प्रकटीकरण: सभी एआई-जनित या संशोधित सामग्री को अपलोड करने से पहले स्पष्ट रूप से लेबल करना आवश्यक होगा।
- प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म (SSMIs) की जिम्मेदारी: उपयोगकर्ताओं से यह घोषणा प्राप्त करनी होगी कि अपलोड की गई सामग्री एआई-जनित है या नहीं।

◆ संशोधन की आवश्यकता क्यों

- राष्ट्रीय सुरक्षा: डीपफेक्स का उपयोग राष्ट्रविरोधी प्रचार या आतंकवादी भर्ती में होने से रोकना।
- भ्रामक सूचना नियंत्रण: झूठे नैरेटिव, जनमत को प्रभावित करने और चुनावों में हेरफेर से बचाव।
- लैंगिक सुरक्षा: महिलाओं को गैर-सहमति वाले स्पष्ट डीपफेक्स और ऑनलाइन उत्पीड़न से सुरक्षा।
- प्रतिष्ठा संरक्षण: झूठे वीडियो या बयानों के माध्यम से मानहानि से बचाव।
- धोखाधड़ी की रोकथाम: पहचान चोरी, वित्तीय ठगी और डीपफेक फ़िशिंग हमलों को रोकना।

केंद्र सरकार ने अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सिफारिश मांगी

केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी है। यह प्रक्रिया स्मरण-पत्र प्रक्रिया (Memorandum of Procedure – MoP) के अनुसार की जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

◆ नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment Process)

संवैधानिक प्रावधान:

मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति:

- वरिष्ठता का सिद्धांत: परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI बनाया जाता है।
- प्रक्रिया:
 - सरकार सेवानिवृत्त होने वाले CJI से लगभग एक माह पहले उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगती है।
 - CJI विधि मंत्रालय को सबसे वरिष्ठ योग्य न्यायाधीश का नाम औपचारिक रूप से भेजते हैं।
 - प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति वारंट (Warrant of Appointment) जारी करते हैं।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- राष्ट्रपति की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर होती है, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय न्यायाधीश: अनुच्छेद 217 के तहत CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं।
- कोलेजियम प्रणाली: यह व्यवस्था तीन न्यायाधीश प्रकरणों (1981, 1993 और 1998) से विकसित हुई।

◆ कोलेजियम प्रणाली से जुड़ी चिंताएँ (Concerns over Collegium System)

- अस्पष्ट प्रक्रिया: विचार-विमर्श गोपनीय होते हैं; नियुक्तियों के कारण सार्वजनिक नहीं किए जाते।
- उत्तरदायित्व की कमी: निर्णयों की समीक्षा के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं।
- कार्यपालिका की सीमित भूमिका: सरकार की भागीदारी न्यूनतम है।

◆ NJAC और 99वाँ संवैधानिक संशोधन (2014)

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को अधिक पारदर्शिता और कार्यपालिका की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था।
- हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 (चौथा न्यायाधीश मामला) में इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, जिससे कोलेजियम प्रणाली बहाल रही।

विदेशी निवेशकों के लिए पीई और लाभ आवंटन पर नीति आयोग ने कार्य पत्र जारी किया

- नीति आयोग ने भारत में विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment – PE) नियमों और लाभ आवंटन ढाँचे पर एक कर नीति कार्य पत्र (Tax Policy Working Paper) जारी किया है।
- यह पत्र बताता है कि पीई नियमों की जटिलताएँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह को कैसे प्रभावित करती हैं।

स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment – PE) के बारे में

- स्थायी प्रतिष्ठान एक निश्चित व्यवसायिक स्थान को दर्शाता है, जहाँ कोई विदेशी उद्यम पूर्ण या आंशिक रूप से अपने कार्य करता है।
- यह किसी देश के गैर-निवासी संस्थाओं की व्यावसायिक आय पर कर लगाने के अधिकार को निर्धारित करता है।
- स्रोत राज्य को अपनी सीमाओं में पीई से संबंधित मुनाफे पर कर लगाने का अधिकार होता है।
- भारत में, पीई की परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत “व्यवसायिक संबंध (Business Connection)” की अवधारणा और दोहरा कराधान परिहार समझौते (DTAAs) के माध्यम से की जाती है।
- भारत ने सार्थक आर्थिक उपस्थिति (Significant Economic Presence – SEP) के मानदंड को लागू कर डिजिटल व्यवसायों को भी कर के दायरे में शामिल किया है, भले ही उनकी भौतिक उपस्थिति भारत में न हो।
- पीई नियमों में अस्पष्टता से कर जोखिम, अनुपालन का बोझ, और लाभ आवंटन को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसमें आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल (Arm's Length Principle) के असंगत उपयोग भी शामिल हैं।

प्रमुख सिफारिशें

- वैकल्पिक अनुमानित कराधान योजना (Optional Presumptive Taxation Scheme): करदाताओं और कर अधिकारियों को निश्चितता प्रदान करने के लिए पूर्व-निर्धारित लाभ दरें तय की जाएं।
- विधायी स्पष्टता: पीई और लाभ आवंटन के लिए स्पष्ट नियमों को OECD और UN मॉडलों के अनुरूप विधिवत संहिताबद्ध किया जाए और पश्चात्ताप कराधान (retrospective taxation) से बचा जाए।
- मजबूत विवाद समाधान: एपीए (APA) और एमएपी (MAP) तंत्र का विस्तार कर त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
- हितधारक सहभागिता: प्रमुख कर नीतिगत बदलावों पर सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य किया जाए और करदाता चार्टर (Taxpayer Charter) को सशक्त बनाया जाए।

आपात चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

◆ प्रसंग

करूर भगदड़ ने भारत की आपात प्रतिक्रिया प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया, जबकि आपात चिकित्सा Article 21 (जीवन के अधिकार) के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है।

◆ विकास यात्रा

- युद्धकालीन ट्रॉमा केयर से उत्पत्ति → संगठित एम्बुलेंस प्रणाली तक।
- 108 सेवा (NHM) ने आपात प्रतिक्रिया को संस्थागत किया।
- “Golden Hour” और “Platinum Ten Minutes” की अवधारणा ने त्वरित उपचार का महत्व बताया।

◆ विज्ञान व प्रणाली

- समय पर हस्तक्षेप से हृदयाघात, आघात और स्ट्रोक मामलों में जीवन रक्षण संभव।
- आधुनिक एम्बुलेंस “मोबाइल ICU” के रूप में कार्यरत, टेलीमेडिसिन से जुड़ी।

◆ वर्तमान पहल

- 108 सेवा: 10,000+ एम्बुलेंस, 80 लाख वार्षिक लाभार्थी।
- तमिलनाडु: औसत प्रतिक्रिया समय ~10 मिनट (प्लैटिनम मानक)।
- AIS-125 कोड: एम्बुलेंस डिजाइन व सुरक्षा का मानकीकरण।

◆ चुनौतियाँ

- बिखरी हुई सेवाएँ, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, तकनीकी एकीकरण का अभाव, कमजोर नियमन।

◆ सुधार

- राष्ट्रीय आपात सेवा नियामक प्राधिकरण की स्थापना।
- AI आधारित डिस्पैच, GPS, और अस्पताल कनेक्टिविटी।
- पैरामेडिक प्रशिक्षण और वेतन समानता।
- दुर्गम क्षेत्रों के लिए एयर/ड्रोन एम्बुलेंस।

✳ सार:

आपात चिकित्सा को एक अधिकार-आधारित राष्ट्रीय मिशन बनाना आवश्यक है — समय पर चिकित्सा न केवल संवैधानिक बल्कि नैतिक दायित्व भी है।

एनसीआरबी रिपोर्ट: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ 2023

मुख्य बिंदु

- आत्महत्या:** कुल मामलों में 0.3% की मामूली वृद्धि (2023 बनाम 2022), लेकिन आत्महत्या दर में 0.8% की गिरावट।
- सबसे अधिक आत्महत्या दर:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह > सिक्किम > केरल। शहरों में दर राष्ट्रीय औसत से अधिक।
- शीर्ष राज्य (आत्महत्याओं में हिस्सेदारी):** महाराष्ट्र > तमिलनाडु > मध्य प्रदेश > कर्नाटक > पश्चिम बंगाल।
- लिंग अनुपात:** पुरुष 72.8% : महिला 27.2%।
- मुख्य कारण:** पारिवारिक समस्याएँ (31.9%) > बीमारियाँ (19%) > नशा/पदार्थ दुरुपयोग (7%) > विवाह संबंधी समस्याएँ (5.3%) > प्रेम संबंध (4.7%) > दिवालियापन (3.8%) > बेरोज़गारी (1.8%) > परीक्षा असफलता (1.4%)।
- किसान आत्महत्या:** 10,786 मामले (कुल का 6.3%)। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में शून्य मामले।

आत्महत्या रोकथाम उपाय

- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022): लक्ष्य - 2030 तक 10% की कमी।
- टेली-मानस (Tele-MANAS): 24x7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): विकेन्द्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
- मनोधर्पण (Manodarpan): शिक्षा मंत्रालय की पहल - छात्र-शिक्षक-परिवार के कल्याण हेतु।

नीति आयोग ने भारत के सेवा क्षेत्र पर दो रिपोर्टें जारी कीं

◆ मुख्य बिंदु

सेवा क्षेत्र - भारत के रोजगार परिवर्तन का आधार

- 2023-24 में सेवा क्षेत्र में 188 मिलियन (18.8 करोड़) लोग कार्यरत, यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
- 2024-25 में सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान 55%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र 16% और द्वितीयक क्षेत्र 29% रहा।
- उच्च योगदान के बावजूद, सेवा क्षेत्र में कुल नौकरियों का एक-तिहाई से भी कम हिस्सा, जिनमें अधिकतर अनौपचारिक और कम वेतन वाली नौकरियाँ हैं।

रोजगार परिदृश्य

- पिछले 6 वर्षों में लगभग 4 करोड़ नई नौकरियाँ, निर्माण क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान।
- यह एक श्रम शॉक अवशोषक (Labour Shock Absorber) के रूप में कार्य करता है, जो दो भागों में विभाजित है:
 - उच्च-मूल्य सेवाएँ (IT, वित्त, स्वास्थ्य, प्रोफेशनल सेवाएँ): उत्पादक परंतु सीमित रोजगार।
 - पारंपरिक सेवाएँ (व्यापार, परिवहन): बड़े नियोक्ता, लेकिन अत्यधिक अनौपचारिक।
- भारत का सेवा क्षेत्रीय परिवर्तन अपने समकक्ष देशों की तुलना में धीमा है।

रोजगार प्रोफ़ाइल

- भौगोलिक रूप से: शहरी क्षेत्रों में 60% कर्मचारी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 20% से कम।
- लिंग आधार पर: ग्रामीण महिलाओं में केवल 10.5% सेवा क्षेत्र में कार्यरत, जबकि शहरी महिलाओं में 60%; वेतन असमानता बनी हुई है।
- आयु आधार पर: प्राइम-एज (25-54 वर्ष) समूह का प्रभुत्व; युवाओं में रोजगार अस्थिरता।
- शिक्षा: उच्च शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, परंतु अनौपचारिकता बनी रहती है।
- अनौपचारिकता: 87% कर्मचारियों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं; ग्रामीण महिलाओं की आय पुरुषों के वेतन की 50% से भी कम है।

◆ परिवर्तन के लिए रोडमैप

- अनौपचारिक, गिग और MSME श्रमिकों के लिए औपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा।
- महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और डिजिटल साधनों तक समावेशी पहुँच।
- डिजिटल और हरित नौकरियों के लिए तकनीकी आधारित कौशल प्रशिक्षण।
- टियर-2/3 शहरों और राज्य स्तरीय क्लस्टरों के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन।

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) योजना

ICCVAI योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है, जो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नाशवंत कृषि उत्पादों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना विकसित करना है।

◆ उद्देश्य (Objectives)

- खेत से उपभोक्ता तक संपूर्ण शीत श्रृंखला (cold chain) का विकास करना।
- वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के माध्यम से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।
- प्रसंस्करण (processing) द्वारा मूल्य संवर्धन (value addition) और भंडारण अवधि (shelf life) बढ़ाना।
- उपभोक्ताओं को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

◆ मुख्य घटक (Key Components)

- फार्म-स्तरीय अवसंरचना: पूर्व-शीतलन इकाइयाँ (Pre-cooling units)।
- प्रसंस्करण केंद्र: ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग की सुविधा।
- वितरण केंद्र (Distribution Hubs): केंद्रीकृत भंडारण और डिस्पैच इकाइयाँ।
- शीतित परिवहन (Refrigerated Transport): नाशवंत वस्तुओं के कुशल परिवहन हेतु।

◆ पात्र लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)

- व्यक्ति: जिनमें किसान भी शामिल हैं।
- संस्थान: किसान उत्पादक संगठन (FPOs), किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPCs), स्वयंसेवी संगठन (NGOs), सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), सहकारी समितियाँ, स्व-सहायता समूह (SHGs), फर्म और कंपनियाँ।

◆ पूरक सरकारी पहलें (Complementary Government Initiatives)

- MIDH (बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन): 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक शीत भंडारों के लिए वित्तीय सहायता।
- NHB (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड): 5,000-20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीत भंडारों के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए सहायता।
- AIF (कृषि अवसंरचना कोष): ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी।
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: फल, सब्जियों और झींगा (श्रिम्प) के लिए मूल्य स्थिरीकरण और कटाई के बाद नुकसान में कमी।

✿ यह योजना कृषि मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाकर किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में कार्यबल से जुड़ी चुनौतियाँ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मियों की बार-बार हड़तालें और आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में गहराई से जमी संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।

◆ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने वाले प्रमुख कार्यबल (Key Cadres Supporting Primary Healthcare)

- आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य में अग्रिम पंक्ति की प्रेरक।
- सहायक नर्स दाइयाँ (ANMs): मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल सुनिश्चित करती हैं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHOs): गाँव स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का प्रबंधन करते हैं।

ये सभी कैडर भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं, लेकिन इन्हें कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और अत्यधिक कार्यभार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है — जिसके समाधान के लिए तत्काल कार्यबल सुधारों की आवश्यकता है।

भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यबल में प्रमुख चुनौतियाँ

◆ जिम्मेदारियों का विस्तार:

स्वास्थ्यकर्मियों पर जनगणना, गैर-संचारी रोग (NCD) जांच और उपशामक देखभाल जैसी नई जिम्मेदारियाँ जोड़ी जा रही हैं, परंतु वेतन या सहयोग में समान वृद्धि नहीं हुई है।

◆ कम वेतन और सुरक्षा की कमी:

भुगतान अनियमित और न्यूनतम हैं; सामाजिक सुरक्षा का अभाव है तथा फील्डवर्क के दौरान सुरक्षा भी सीमित है — कई अब भी “स्वयंसेवक” के रूप में वर्गीकृत हैं।

◆ संघठन और हड़तालें:

आशा और आंगनवाड़ी यूनियनों (विशेषकर केरल और हरियाणा में) द्वारा नियमितीकरण और उचित वेतन की माँग करते हुए विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं।

◆ रिक्त पद:

लगभग 10–15% एएनएम पद और 20–25% डॉक्टर पद रिक्त हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है।

◆ संविदा प्रणाली:

संविदा आधारित नियुक्तियों से प्रशासनिक सुविधा और लागत में कमी होती है, लेकिन इससे कैरियर वृद्धि और स्थायित्व की संभावनाएँ घट जाती हैं।

निष्कर्ष:

एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक है कि संतुलित कार्यबल योजना, पारदर्शी भर्ती, उचित प्रोत्साहन, और निरंतर कौशल विकास सुनिश्चित किए जाएँ ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ टिकाऊ और प्रभावी बन सकें।

बाघ अभयारण्यों से वनवासियों का पुनर्वास स्वैच्छिक होना चाहिए: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA)

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ “संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों में समन्वय (Reconciling Conservation and Community Rights)” शीर्षक से एक नीति संक्षेप साझा किया है, ताकि संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

◆ मुख्य सिफारिशें

- पुनर्वास पूर्णतः स्वैच्छिक होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior & Informed Consent) ली जाए — किसी भी प्रकार का दबाव या प्रलोभन न दिया जाए।
- वनाधिकार अधिनियम (FRA) के तहत, किसी भी अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक वनवासी को तब तक वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, जब तक उनके अधिकारों की मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण न हो।
- FRA का प्रावधान राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों पर भी लागू होता है।
- MoTA और MoEFCC के संयुक्त सहयोग से सामुदायिक-केंद्रित संरक्षण और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय ढांचा (NFCCR) स्थापित किया जाए।

◆ चुनौतियाँ

- अधिकार बनाम संरक्षण: पारंपरिक संरक्षण मॉडल स्थानीय समुदायों को “खतरा” मानता है, जिससे FRA की समावेशी दृष्टि कमजोर पड़ती है।
- आजिविका हानि: वन पहुंच पर प्रतिबंध और पुनर्वास से जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आय के स्रोत बाधित होते हैं।
- क्षेत्रीय असमानता: वन-निर्भर जनजातीय क्षेत्र बुनियादी ढांचे, कौशल और सेवाओं में पिछड़े रहते हैं।
- SDG संतुलन: गरीबी उन्मूलन (SDG 1) और जलवायु कार्रवाई (SDG 13) के बीच संतुलन आवश्यक है।

◆ आगे की राह

- सह-प्रबंधन दृष्टिकोण (Co-management): आदिवासी समुदायों को भागीदार और संरक्षक के रूप में शामिल किया जाए, न कि बाहरी के रूप में।
- स्थानीय (In-situ) विकास: स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली और बाजार तक पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि सतत सह-अस्तित्व संभव हो।
- पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण: संरक्षण योजनाओं में आदिवासी पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाया जाए।
- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय हस्तांतरण (Fiscal Transfers) को FRA के अनुपालन और सह-प्रबंधन परिणामों से जोड़ा जाए।







राष्ट्रीय दलहन मिशन (2025–31)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन (2025–31) को ₹11,440 करोड़ की लागत के साथ मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में दलहन उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।




1. मिशन के बारे में

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना (2025–31), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।
- **लक्ष्य:** दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **उद्देश्य:** 2024–25 में 242 लाख टन से घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 2030–31 तक 350 लाख टन तक पहुंचाना।

2. प्रमुख विशेषताएं

-  **उत्पादन विस्तार:** क्षेत्रफल को बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक ले जाना, तथा प्रति हेक्टेयर उपज 1,130 किग्रा का लक्ष्य।
-  **बीज सुरक्षा:** 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख बीज किट का वितरण — SATHI पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग।
-  **खरीद की गारंटी:** तूर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद — चार वर्षों तक सुनिश्चित।
-  **बुनियादी ढांचा:** 1,000 फसल उपरांत (post-harvest) इकाइयों की स्थापना; प्रति इकाई ₹25 लाख तक की सब्सिडी।
-  **अनुसंधान:** जलवायु सहनशील और कीट-प्रतिरोधी किस्मों के लिए बहु-स्थानीय परीक्षण।
-  **किसान क्षमता निर्माण:** आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. महत्व

-  **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** दलहन भारतीय आहार में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं।
-  **आयात में कमी:** 15–20% आयात निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
-  **किसान कल्याण:** MSP आधारित आय सुरक्षा और वैल्यू चेन को सशक्त करना।

आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय दाल मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दाल मिशन (2025-31) को मंजूरी दे दी है। इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, बढ़ती मांग को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- अवधि: 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)
- वित्तीय प्रावधान: ₹11,440 करोड़
- लक्ष्य: दालों में आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta) हासिल करना

मुख्य पहल

- जलवायु सहनशील एवं उन्नत बीज किस्मों का विकास और प्रसार
- फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे एवं मूल्य संवर्धन को मजबूत करना
- क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाना

लक्ष्य

- क्षेत्रफल: दालों की खेती का क्षेत्र 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, जिसमें 35 लाख हेक्टेयर धान के परती क्षेत्र एवं अन्य विविध भूमि शामिल होंगी।
- उत्पादन: 350 लाख टन तक बढ़ाना
- उपज: 1,130 किग्रा/हेक्टेयर तक बढ़ाना

प्रमुख फसलें

- तूर/अरहर (Pigeon Pea)
- उड़द (Black Gram)
- मसूर (Red Lentil)

खरीद एवं मूल्य निगरानी

- NAFED और NCCF अगले 4 वर्षों तक भाग लेने वाले राज्यों के किसानों से 100% उपज की खरीद सुनिश्चित करेंगे।
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों
- भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है।
- उत्पादन 192.55 लाख टन (FY14) से बढ़कर 244.93 लाख टन (FY24) हुआ है, लेकिन मांग की गति के अनुरूप नहीं है।
- 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 72.56 लाख टन दालों का आयात किया, जिसकी कीमत 5.48 अरब अमेरिकी डॉलर रही — भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया।

केंद्र ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2025 का मसौदा

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- गेम श्रेणियाँ:** ऑनलाइन गेम्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया है—
- ई-स्पोर्ट्स (E-sports)
- ऑनलाइन सोशल गेम्स
- ऑनलाइन मनी गेम्स
- सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स (जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स) पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि केवल सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को अनुमति दी गई है।

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI):

- क्षेत्र को विनियमित करने, गेम रजिस्ट्री बनाए रखने, कानूनी स्थिति तय करने और दंड लगाने के लिए एक वैधानिक निकाय का गठन किया जाएगा।
- इसमें एक अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों के पाँच सदस्य शामिल होंगे।
- पंजीकरण:** सभी सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को OGAI में पंजीकरण कराना होगा और वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

शिकायत निवारण तंत्र: तीन-स्तरीय व्यवस्था –

- आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली
- शिकायत अपीलीय समिति
- अंत में प्राधिकरण के पास अपील
- दंड: उल्लंघनों को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा और उल्लंघन में शामिल कंपनी के सभी कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

सहायक कानूनी प्रावधान:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A): 2022-25 के दौरान 1,524 अवैध साइटों/ऐप्स को ब्लॉक किया गया।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023: अवैध गेमिंग और साइबर अपराधों के लिए दंड प्रावधान (धारा 111, 112)।
- IGST अधिनियम, 2017: अवैध/ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: भ्रामक और परोक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध।

संवैधानिक नैतिकता – सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक साधन

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता — जो जन्मजात नहीं बल्कि विकसित की जाती है — समाज में असमानताओं और अन्याय को दूर करने का माध्यम हो सकती है।

♦ अर्थ:

- संविधान के शब्दों और भावनाओं (*letter and spirit*) दोनों का पालन करना।
- इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट के अनुसार, यह स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखती है, जहाँ नागरिक संवैधानिक प्राधिकारों का पालन करते हुए उन्हें जिम्मेदारीपूर्वक प्रश्न भी कर सकते हैं।

♦ संवैधानिक आधार:

- प्रस्तावना (*Preamble*)
- मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

♦ महत्व:

- यह न्याय, समानता, समावेशन और अल्पसंख्यक संरक्षण को बढ़ावा देती है, जिससे संविधान एक जीवंत सामाजिक सुधार का उपकरण बना रहता है।

♦ न्यायपालिका द्वारा सामाजिक परिवर्तन में उपयोग:

- महिलाओं की समानता: सबरीमला मामला (2018) – सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म वाली महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया।
- गोपनीयता का अधिकार: के. एस. पुट्टस्वामी मामला (2018) – सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई।
- एलजीबीटीक्यू+ अधिकार: नवतेज सिंह जोहर मामला (2018) – समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया, सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी।
- लैंगिक न्याय: जोसेफ शाइन मामला (2018) – आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर व्यभिचार (*adultery*) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।

सुप्रीम कोर्ट: धर्म की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार परस्पर जुड़े हैं

- सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में कहा कि निजता का अधिकार (*Right to Privacy*), धर्म की स्वतंत्रता (*Freedom of Religion*) का अभिन्न हिस्सा है।

मुख्य टिप्पणियाँ

- निजता-धर्म संबंध: अनुच्छेद 25 में व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने, उसका पालन करने या उसे प्रकट न करने का अधिकार शामिल है — जो धार्मिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- धर्म की घोषणा: किसी व्यक्ति को अपने धर्म का सार्वजनिक रूप से उल्लेख या घोषणा करने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 25 और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- धर्मांतरण कानून: राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को निजता की कसौटी (*privacy test*) पर खरा उतरना होगा।

धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी:

- न्यायालय ने दोहराया कि धर्मनिरपेक्षता (*Secularism*), प्रस्तावना (*Preamble*) में निहित संविधान की मूल संरचना (*Basic Structure*) का अभिन्न हिस्सा है।

उल्लिखित प्रमुख निर्णय

- के.एस. पुट्टस्वामी मामला: अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।
- शफीनजहां बनाम असोकन के.एम. मामला: धर्म और विवाह के चयन में व्यक्ति की स्वायत्तता (*individual autonomy*) को बरकरार रखा गया।

उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रगति हेतु मिशन (MAHA) – मेडटेक मिशन

- MAHA-MedTech Mission को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है।

◆ ANRF के बारे में:

- ANRF अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित यह संस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा और प्राथमिकताएँ तय करने वाली सर्वोच्च निकाय है।

◆ उद्देश्य:

- भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी (MedTech) क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, और सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

◆ वित्त पोषण:

- प्रत्येक परियोजना के लिए ₹5-25 करोड़ तक की माइलस्टोन-आधारित फंडिंग, विशेष मामलों में ₹50 करोड़ तक।
- पात्र संस्थाएँ: शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, अस्पताल, स्टार्टअप, MSMEs और औद्योगिक सहयोग।

◆ सहायक पहलें:

- पेटेंट मित्र: बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा और तकनीकी हस्तांतरण में सहायता।
- मेडटेक मित्र: नियामक मार्गदर्शन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना।
- क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क: नैदानिक परीक्षण और प्रमाणन में सहयोग।

◆ मुख्य क्षेत्र:

- नवोन्मेषी चिकित्सा उपकरण और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स (IVD) — जिनमें AI/ML, इमेजिंग, रेडियोथेरेपी, रोबोटिक्स, इम्प्लांट्स और न्यूनतम आक्रामक तकनीकें (*minimally invasive systems*) जैसी डीप टेक प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

◆ भारत का मेडटेक क्षेत्र:

- वर्तमान आकार: 14 अरब डॉलर, लक्ष्य: 2030 तक 30 अरब डॉलर।
- निर्यात: 4 अरब डॉलर से अधिक।
- एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार (जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद)।
- समर्थित योजनाएँ: PLI योजना, PRIP योजना, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, और मेडिकल डिवाइस पार्क्स।

एनसीआरबी रिपोर्ट: दुर्घटना-जनित मौतों में वृद्धि (2023)

भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ 2023 रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटनाओं से हुई मौतों में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज हुई है – 2022 में 4.3 लाख से बढ़कर 2023 में 4.44 लाख।

मुख्य निष्कर्ष

- **यातायात दुर्घटनाएँ:** आकस्मिक मौतों का 44.6%।
- **सड़क दुर्घटनाएँ:** 2023 में 4.64 लाख मामले (2022 में 4.46 लाख); मृत्यु दर 1.6% बढ़कर 1.74 लाख।
- **मुख्य स्थान:** आवासीय क्षेत्र (30.2%), स्कूल/कॉलेज (7.1%)।
- **अन्य कारण:** अचानक मौतें (14.3%), डूबना (8.5%)।
- **प्राकृतिक कारण:** 6,444 मौतें – मुख्यतः बिजली गिरने (39.7%) और लू (12.5%) से।
- **रेलवे दुर्घटनाएँ:** 24,678 मामले; 21,803 मौतें।
- **शहर (53 महानगर):** राष्ट्रीय औसत (31.9) से अधिक आकस्मिक मृत्यु दर (41.0)। शीर्ष शहर: मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर।
- **उच्च मृत्यु-दर वाले राज्य (यातायात):** महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु।
- **असामान्य पैटर्न:** अंडमान-निकोबार, झारखंड, पंजाब, बिहार और यूपी में दुर्घटनाओं से मौतें चोटों से अधिक।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण

- **अत्यधिक गति:** 61.4% मौतें।
- **खतरनाक ड्राइविंग/ओवरटेकिंग:** 23.7%।
- **अन्य कारण:** जानवरों का सड़क पार करना (2.8%), खराब मौसम (2.1%), शराब/नशीले पदार्थ (1.7%), यांत्रिक/सड़क दोष, अचानक ब्रेक लगाना।

डिजीलॉकर

- **क्या है:** डिजीलॉकर, डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है, जो नागरिकों को सुरक्षित, क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **नोडल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- **उद्देश्य:** पेपरलेस शासन, डिजिटल सशक्तिकरण और सेवाओं की तेज़ डिलीवरी को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट:** इसमें आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
- **कानूनी मान्यता:** IT नियम, 2016 के नियम 9A के तहत इसे मूल दस्तावेज़ों के बराबर मान्यता प्राप्त है।
- **नागरिक-केंद्रित:** कहीं भी, कभी भी, उपयोगकर्ता के नियंत्रण में दस्तावेज़ साझा करने की सुविधा।
- **तेज़ और धोखाधड़ी-रोधी:** जारीकर्ता संस्थानों से रीयल-टाइम सत्यापन की सुविधा।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** कागज़ी कार्य और प्रशासनिक लागत में कमी।

माय UPSC इंटरव्यू पोर्टल

- **क्या है:** UPSC की शताब्दी पहल, जिसके तहत वर्तमान और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को अपने इंटरव्यू अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- **उद्देश्य:** वास्तविक अनुभवों का एक भंडार तैयार करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और संस्थागत स्मृति को संरक्षित करना।
- **परिणाम:** चयनित कहानियों को 2026 में UPSC की शताब्दी वर्षगांठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

बालिका शिक्षा का रूपांतरण

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के दस वर्ष पूरे

1. बालिका शिक्षा पर सोच में बदलाव

- **उपेक्षा से आकांक्षा तक:** सामाजिक दृष्टिकोण “बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी?” से आगे बढ़कर बेटियों की शिक्षा को एक संपत्ति के रूप में देखने लगा है।
- **राजनीतिक एवं सामुदायिक नेतृत्व:** कन्या शिक्षा अभियान (कन्या केलवाणी) और BBBP जैसी पहलें मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ एक जनआंदोलन बनीं।
- **जन-जागरूकता:** गांवों में रैलियाँ, अभियान और महिला सम्मेलन जैसे प्रयासों ने बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन को सामान्य बनाया।
- **प्रतीकात्मक कदम:** नेताओं द्वारा उपहारों की नीलामी या शिक्षा के लिए धन देना—इन कदमों ने बालिका शिक्षा को सार्वजनिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया।
- **सांस्कृतिक बदलाव:** शिक्षा को अब गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आया है।

2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)

- **उद्देश्य:** कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना — महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों के समन्वित प्रयास से।

प्रभाव:

- जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 से बढ़कर 2019-21 में 929 हुआ।
- 30 में से 20 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अब राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं।
- मध्य प्रदेश में 89.5% लोग BBBP के बारे में जानते हैं, और 63.2% लोग बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित हुए।

3. सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय प्रभाव

- **जनसंख्या वृद्धि में बदलाव:** शिक्षा से विवाह और मातृत्व में देरी होती है, जिससे कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS-5 के अनुसार 2.0 पर आ गई है।
- **स्वास्थ्य में सुधार:** संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच से शिशु मृत्यु दर (IMR) 2014 में 49 से घटकर 2020 में 33 हो गई।
- **आर्थिक भागीदारी:** शिक्षित महिलाएँ STEM, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं।
- **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन:** महिला फाइटर पायलट, सीईओ और इसरो वैज्ञानिक जैसी उपलब्धियाँ पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दे रही हैं।
- **जनसांख्यिकीय लाभ:** महिला शिक्षा से जनसंख्या स्थिर होती है और स्वस्थ, सशक्त परिवारों का निर्माण होता है।

4. दीर्घकालिक और गुणक प्रभाव

- **शिक्षित माताओं का लाभ:** शिक्षित माताएँ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सीखने की नींव रखती हैं।
- **पीढ़ीगत प्रभाव:** एक शिक्षित लड़की अपने भाई-बहनों और आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त बनाती है।
- **आर्थिक लाभ:** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से परिवार की आय और देश का GDP बढ़ता है।
- **नेतृत्व और भागीदारी:** शिक्षित महिलाएँ पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और नागरिक समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं।
- **सकारात्मक चक्र:** शिक्षा → सशक्तिकरण → स्वस्थ परिवार → मज़बूत अर्थव्यवस्था → प्रगतिशील समाज।

निष्कर्ष

- **बालिका शिक्षा में हुआ परिवर्तन एक गहरा सामाजिक सुधार है** — यह केवल नामांकन तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिकता में बदलाव का प्रतीक है। यह स्वस्थ परिवारों, सशक्त अर्थव्यवस्था, लैंगिक समानता और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
- **एक लड़की को शिक्षित करना, पूरे समाज को शिक्षित करना है** — यह एक न्यायसंगत और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखता है।

पर्यावरण

सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल को FAO की वैश्विक मान्यता

नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित SAIME मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है।

SAIME के बारे में

- झींगा व्यापार को टिकाऊ बनाने और दक्षिण एशिया में मैंग्रोव संरक्षण हेतु बहु-हितधारक साझेदारी।
- सुंदरबन में पारिस्थितिक तंत्र आधारित खारे पानी की जलीय कृषि, जिसमें ब्लैक टाइगर झींगा का एकीकरण व किसानों को प्रशिक्षण।
- ब्लू कार्बन उत्सर्जन में कमी, मैंग्रोव को प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में उपयोग, बाजार तक पहुंच व प्रमाणन पर ध्यान।
- वित्त पोषण: ग्लोबल नेचर फंड, नॅचरलैंड e.V., मर्सिडीज बेंज़।
- इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर (IMA) को बढ़ावा — कम घनत्व और बिना अतिरिक्त चारा।

सुंदरबन के बारे में

- गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में विस्तृत मैंग्रोव क्षेत्र।
- ज्वारीय जलमार्ग, कीचड़ मैदान व लवण-सहिष्णु वन — अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र।
- विश्व में कुछ ही मैंग्रोव वनों में से एक, जहाँ बाघों की उल्लेखनीय आबादी है।
- भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल: पश्चिम बंगाल (42.45%) > गुजरात (23.66%) > अंडमान-निकोबार (12.39%) / कुल क्षेत्रफल: 4,991.68 किमी² (0.15%, ISFR-2023)।

सीएसई की सतत खाद्य प्रणाली पर रिपोर्ट: भारत की मिट्टी का स्वास्थ्य संकट में

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट, सॉयल हेल्थ कार्ड (SHC) डेटा के आधार पर, भारत की मिट्टी में गंभीर पोषक तत्वों की कमी को उजागर करती है।

मुख्य निष्कर्ष

- नाइट्रोजन की कमी: 64% मिट्टी के नमूने नाइट्रोजन (N) में कम पाए गए।
- कार्बनिक कार्बन (SOC) की कमी: 48.5% नमूनों में कम SOC — जो मिट्टी की संरचना और सूक्ष्मजीवों के लिए आवश्यक है; उच्च जलवायु-जोखिम वाले 43% जिलों में भी कम SOC पाया गया।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: 55.4% नमूनों में बोरॉन कम, जबकि 35% में जिंक की कमी।
- यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता: 2023-24 में कुल उर्वरक खपत का 68% हिस्सा यूरिया रहा।

प्रभाव

- फसल उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर नकारात्मक असर।
- कार्बन अवशोषण क्षमता में कमी, जिससे जलवायु अनुकूलन कमजोर होता है।

सिफारिशें

- SHC निगरानी का विस्तार: भौतिक (मिट्टी की बनावट, सघनता) और जैविक (सूक्ष्मजीव गतिविधि) संकेतकों को शामिल किया जाए।
- उर्वरक सब्सिडी में सुधार: संतुलित और कुशल पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार।
- बायोचार का उपयोग: मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और कार्बन भंडारण में सुधार हेतु अपनाया जाए।

सॉयल हेल्थ कार्ड (SHC) योजना, 2015 के बारे में

- नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- उद्देश्य: मिट्टी की उर्वरता का आकलन करना और किसानों को पोषक तत्वों पर आधारित सिफारिशें प्रदान करना।

12 संकेतक शामिल:

- मुख्य पोषक तत्व (Macronutrients): नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K), सल्फर (S)
- सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients): जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज (Mn), बोरॉन (B)
- मिट्टी के गुण: pH, विद्युत चालकता (EC) और कार्बनिक कार्बन।
- एकीकरण: 2022-23 से यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत “मिट्टी स्वास्थ्य और उर्वरता” घटक के रूप में सम्मिलित की गई है।

भूमिगत जल दोहन से पाँच भारतीय महानगरों में भूमि धंसाव का खतरा

- 2015-23 के उपग्रह आधारित अध्ययन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में गंभीर भूमि धंसाव (*Land Subsidence*) दर्ज किया गया है, जिससे लगभग 8 करोड़ लोग प्रभावित हैं।
- दिल्ली में सबसे अधिक 51 मिमी प्रति वर्ष की दर से भूमि धंसाव दर्ज हुआ, जबकि द्वारका क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भूमि के उभरने (*uplift*) की प्रवृत्ति भी पाई गई।

◆ भूमि धंसाव क्या है?

यह पृथ्वी की सतह के धीरे-धीरे या अचानक धंसने की प्रक्रिया है, जो मिट्टी और चट्टानों के कमजोर या संकुचित होने से होती है। मुख्य कारण: अत्यधिक भूमिगत जल दोहन, खनन, तीव्र शहरीकरण, और प्राकृतिक टेक्टोनिक हलचल।

◆ अन्य प्रभावित क्षेत्र:

असम और सिक्किम (भूकंपीय गतिविधि व हाइड्रोकार्बन निकासी), हिमालयी नगर जैसे जोशीमठ और मसूरी (अनियंत्रित निर्माण गतिविधियाँ)।

◆ प्रभाव

- बुनियादी ढाँचा: दिल्ली में 2,000 से अधिक इमारतें उच्च जोखिम क्षेत्र में।
- तटीय क्षेत्र: खारे पानी की घुसपैठ से मीठा पानी दूषित और फसलों को नुकसान।
- आपदाएँ: इमारतों में दरारें, सड़कें धंसना, जलनिकासी तंत्र गड़बड़ होना और बाढ़ की संभावना बढ़ना।
- पारिस्थितिक जोखिम: नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति, और आर्द्रभूमियों से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि।

◆ निवारण उपाय

- रीचार्ज और स्थिरीकरण: भूमिगत जलभृतों (*aquifers*) का कृत्रिम पुनर्भरण, मिट्टी को स्थिर करने हेतु गहराई में स्थिरीकरण एजेंट का इंजेक्शन।
- उन्नत निगरानी तकनीकें: शहरी, कृषि और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की गतिशीलता पर नजर रखने के लिए *PSInSAR*, *SBAS-InSAR*, और *SqueeSAR* तकनीकों का उपयोग।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी है, केवल सरकारी स्वीकृत ग्रीन पटाखों को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी गई है।

मुख्य दिशा-निर्देश

- केवल निर्दिष्ट दिनों व समय स्लॉट में उपयोग की अनुमति।
- केवल *NEERI* द्वारा अनुमोदित पटाखे ही अधिकृत विक्रेताओं से लिए जा सकते हैं।
- प्रतिबंधित रसायनों वाले या ई-कॉमर्स से बिकने वाले पटाखे अब भी प्रतिबंधित हैं।
- *CPCB* वायु गुणवत्ता पर नज़र रखेगा।

महत्व

- यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन का प्रयास है। यह वायु गुणवत्ता के आधार पर डेटा-आधारित नीति निर्माण का एक पायलट मॉडल भी होगा।

ग्रीन पटाखे क्या हैं?

- *CSIR-NEERI* द्वारा विकसित।
- पारंपरिक पटाखों की तुलना में $\geq 30\%$ कम प्रदूषण।
- बैरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, लिथियम, मरकरी जैसे हानिकारक तत्वों से मुक्त।
- इनका परिचय 2018 के “अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ” मामले के बाद हुआ।

सीएक्यूएम ने एनसीआर में जीआरएपी के चरण-II को लागू किया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-II को लागू कर दिया है।

◆ जीआरएपी के बारे में

जीआरएपी एक आपातकालीन कार्य योजना है, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर लागू की जाती है:

- चरण I: खराब (AQI 201–300)
- चरण II: बहुत खराब (AQI 301–400)
- चरण III: गंभीर (AQI 401–450)
- चरण IV: गंभीर+ (AQI >451)

चरण-II के तहत कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, और डीजल जेनरेटर (DG) सेटों के संचालन पर सीमाएँ लगाई गई हैं।

◆ सीएक्यूएम (CAQM)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित किया गया। इसने पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया है और जीआरएपी के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

◆ दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने के कारण

- उत्तर-पश्चिमी हवाएँ: राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लेकर आती हैं।
- तापमान उलटाव (Temperature inversion): ठंडी हवा की परत प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा देती है।
- कम हवा की गति: प्रदूषकों के फैलाव को धीमा करती है।
- पराली जलाना: पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है।
- अन्य कारण: वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआँ, निर्माण धूल, कचरा जलाना आदि।

◆ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

2014 में लॉन्च किया गया, यह आठ प्रदूषकों — PM10, PM2.5, NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃ और Pb — के आधार पर वायु प्रदूषण को मापता है।

श्रेणियाँ:

- अच्छा (0–50)
- संतोषजनक (51–100)
- मध्यम रूप से प्रदूषित (101–200)
- खराब (201–300)
- बहुत खराब (301–400)
- गंभीर (401–500)

IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2025

- 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की स्थिति में बदलाव — 8 को डाउनलिस्ट, 4 को अपलिस्ट किया गया।

✓ अपलिस्ट की गई प्रजातियाँ

- नियर थ्रेटेड: इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर, रूफस-टेल्ड लार्क
- एंडेंजर्ड: लॉन्ग-बिल्ड ग्रासहॉपर वॉर्बलर
- ◆ सभी प्रजातियाँ खुले पारिस्थितिक तंत्रों (घासभूमि, अर्ध-शुष्क क्षेत्र, फॉलो भूमि आदि) पर निर्भर हैं।
- ◆ खतरे: बिजली ढाँचा विस्तार, कृषि तीव्रीकरण, आक्रामक प्रजातियाँ, वृक्षारोपण द्वारा घासभूमि परिवर्तन।

🌍 वैश्विक अपडेट

- 50% से अधिक पक्षी प्रजातियाँ घट रही हैं (आवास हानि)।
- ग्रीन सी टर्टल की स्थिति *Endangered* → *Least Concern* हुई।
- तीन आर्कटिक सील प्रजातियाँ विलुप्ति के करीब (बर्फ हानि)।

✳️ IUCN रेड लिस्ट (1964): 9 श्रेणियाँ; वर्ष में कम से कम दो बार अपडेट।

IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में संपन्न

हर चार साल में आयोजित होने वाली IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस संगठन का सर्वोच्च निर्णय मंच है, जो सदस्यों की महासभा के माध्यम से कार्य करता है।

मुख्य प्रस्ताव

- **रणनीतिक दृष्टि:** 20 वर्षीय दृष्टि एवं नया 4-वर्षीय कार्यक्रम अपनाया गया।
- **अबू धाबी कॉल टू एक्शन:** पांच क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई का आह्वान — प्रकृति को कल्याण की नींव के रूप में मान्यता, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना, न्याय व समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना, और प्रकृति व जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को बढ़ाना।
- **नए सदस्य:** 100+ नए सदस्य शामिल हुए, जिनमें 6 देश — अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालू और ज़िम्बाब्वे।
- **सिंथेटिक बायोलॉजी नीति:** लाभ (जैसे आनुवंशिक विविधता पुनर्स्थापन, आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण) और पारिस्थितिक जोखिमों के बीच संतुलन की पहली नीति।
- **जीवाश्म ईंधन (प्रस्ताव 042):** उत्पादन को प्रत्यक्ष खतरा घोषित किया गया; वैश्विक चरणबद्ध समाप्ति संधि और न्यायसंगत संक्रमण का आह्वान।
- **वन्यजीव व्यापार (प्रस्ताव 108):** पालतू जंगली जानवरों के वाणिज्यिक व्यापार पर सख्त नियमन का प्रस्ताव।
- **इकोसाइड (प्रस्ताव 061):** पर्यावरण को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध (ICC के तहत) के रूप में मान्यता।

IUCN के बारे में

- **स्थापना:** 1948
- **मुख्यालय:** ग्लैड, स्विट्ज़रलैंड
- **सदस्यता:** 1,400+ (राज्य, एनजीओ, अनुसंधान संस्थान); भारत भी सदस्य है।
- **शासन:** सदस्यों की महासभा सर्वोच्च निकाय; IUCN परिषद बीच की अवधि में संचालन करती है।
- **प्रमुख उपकरण:** IUCN रेड लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, वर्ल्ड डाटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़।

फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2025 रिपोर्ट

- दुनिया 2030 तक वनों की कटाई समाप्त करने के रास्ते पर नहीं है
- वन हानि दर (2024): 8.1 मिलियन हेक्टेयर — लक्ष्य से 63% अधिक।
- वित्तीय प्रवाह: हानिकारक सब्सिडी हरी सब्सिडी से 200 गुना अधिक।

वन क्षरण के प्रमुख कारण

- स्थायी कृषि (86%) – तेल पाम, कोको, नट्स, रबर, मौसमी फसलें, चरागाह।
- खनन: 77% खदानें प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों से 50 किमी के भीतर।
- पर्यावरणीय अपराध: अवैध कटाई से \$281 अरब/वर्ष उत्पन्न।

आवश्यक परिवर्तन

- स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के बजाय अनिवार्य नियम
- वनों के वास्तविक मूल्य का आकलन
- आदिवासी, स्थानीय समुदायों व नागरिक समाज की भागीदारी

बहाली लक्ष्य

- बॉन चैलेंज: 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर।
- भारत: 26 मिलियन हेक्टेयर की बहाली का संकल्प।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल (2022): 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों की प्रभावी



भारत में हाथियों की स्थिति – SAIEE 2021-25

भारत का पहला डीएनए-आधारित हाथी गणना सर्वेक्षण वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत किया गया।

मुख्य निष्कर्ष

- कुल एशियाई हाथी जनसंख्या: 22,446
- भारत का हिस्सा: वैश्विक जंगली आबादी का लगभग 60% – विश्व में सबसे अधिक।
- मुख्य आवास: हिमालय की तराई, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व-मध्य भारत, पश्चिमी व पूर्वी घाट, अंडमान।
- क्षेत्रीय वितरण:
 - पश्चिमी घाट – सबसे बड़ी जनसंख्या
 - पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ व ब्रह्मपुत्र मैदान – दूसरे स्थान पर
 - शीर्ष राज्य: कर्नाटक > असम > तमिलनाडु > केरल

मुख्य खतरे

- आवास का नुकसान व खंडन: बागानों, आक्रामक प्रजातियों, बाड़बंदी, अतिक्रमण व विकास परियोजनाओं के कारण।
- मानव-हाथी संघर्ष: मध्य व पूर्वी भारत में बढ़ रहा है।
- लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, रेल व बिजली लाइनों से टकराव और मृत्यु।

सिफारिशें

- गलियारों और कनेक्टिविटी को मज़बूत करना
- आवास बहाली
- सुरक्षा उपायों में सुधार
- विकास परियोजनाओं के प्रभाव को कम करना

एशियाई हाथियों के बारे में

- एशिया के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी।
- मादा के नेतृत्व में जटिल सामाजिक संरचना।
- 22 महीने की सबसे लंबी गर्भावस्था।
- पारिस्थितिक भूमिका: जंगलों में रास्ते बनाना, बीज फैलाना और जैव विविधता बनाए रखना।

संरक्षण स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- CITES: परिशिष्ट-I

बाघ के लिए पहला IUCN ग्रीन स्टेटस आकलन जारी

बाघ को IUCN ग्रीन स्टेटस में “गंभीर रूप से क्षीण” (Critically Depleted) श्रेणी में रखा गया है, जो आवास क्षति, शिकार की कमी, शिकार व क्षेत्रीय विलुप्तियों जैसे गंभीर खतरों को रेखांकित करता है।

मुख्य निष्कर्ष

- जनसंख्या प्रवृत्ति: घटती हुई; केवल 2,608-3,905 परिपक्व बाघ बचे हैं।
- विलुप्ति हॉटस्पॉट: 24 में से 9 क्षेत्रों में बाघ विलुप्त; शेष सभी में खतरा जारी।
- संरक्षण विरासत: उच्च / पुनर्प्राप्ति क्षमता: मध्यम।

IUCN ग्रीन स्टेटस के बारे में

- 2012 में शुरू; 2020 में रेड लिस्ट में जोड़ा गया।
- यह विलुप्ति जोखिम के साथ-साथ प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण प्रभाव को मापता है।
- ग्रीन स्कोर (0-100%) – प्रजाति की पूर्ण पुनर्प्राप्ति की दिशा में प्रगति दर्शाता है।
- “पूर्ण पुनर्प्राप्ति” स्थिति: ऐतिहासिक क्षेत्र में व्यापक उपस्थिति + पारिस्थितिक भूमिका का निर्वहन।

बाघ तथ्य

- वैज्ञानिक नाम: *Panthera tigris*
- विश्व की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली; भारत में लगभग 75% वैश्विक जनसंख्या।
- आवास: वन, सवाना, झाड़-झंखाड़, घासभूमि, आंतरिक आर्द्रभूमि।
- संरक्षण स्थिति: संकटग्रस्त (IUCN रेड लिस्ट); अनुसूची I (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972); CITES परिशिष्ट II।



वैश्विक भूमि दृष्टिकोण विषयक रिपोर्ट: पारिस्थितिक संपर्कता और भूमि पुनर्स्थापन

IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस (अबू धाबी) में UNCCD और CMS द्वारा तैयार रिपोर्ट जारी की गई। इसमें देशों से आग्रह किया गया कि वे भूमि, जल और बुनियादी ढांचे की योजना में पारिस्थितिक संपर्कता को एकीकृत करें।

पारिस्थितिक संपर्कता क्या है?

यह प्रजातियों की निरंतर आवाजाही है, जो आवासों को जोड़ती है और जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखती है — जैसे जीवों, ऊर्जा, पोषक तत्वों, पानी, अवसादों, सूचना, ज्ञान और संस्कृति का प्रवाह।

सफल मॉडल

- यूरोपीय ग्रीन बेल्ट: उत्तरी यूरोप से लेकर भूमध्यसागर तक 24 देशों में फैला हुआ।
- कोस्टा रिका: जगुआर जैसी प्रजातियों की सुरक्षा हेतु वन्यजीव गलियारे।

प्रमुख खतरे

- परिवर्तित आवास: 60% से अधिक नदियाँ मोड़ दी गईं या बाँध दी गईं — मछलियों के प्रवास में बाधा (जैसे मेकांग नदी)।
- बुनियादी ढांचा विकास: सड़कें, रेल आदि भूमि को खंडित करती हैं, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं और बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा देती हैं।

मुख्य सिफारिशें

- सतत कृषि: पुनर्योजी खेती, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स/एक्वापोनिक्स, जल संचयन, मिट्टी में नमी प्रबंधन।
- वन: सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन — सक्रिय रोपण और निष्क्रिय पुनर्स्थापन का संयोजन।
- जल प्रबंधन: जैव-धारण क्षेत्र, नदी बाढ़ मैदान और अंतर्देशीय आर्द्रभूमि।
- पारिस्थितिक संपर्कता: पारिस्थितिक गलियारे बनाना और आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन।
- शहरी हरियाली: शहरी वन और हरित गलियारे।



मैत्री II: भारत का नया अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र

- भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र, *Maitri II*, जनवरी 2029 तक चालू होने की उम्मीद।
- यह एक ग्रीन स्टेशन होगा, जो सौर और पवन ऊर्जा से संचालित होगा और स्वचालित वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा।

अंटार्कटिका का महत्व

- प्राकृतिक प्रयोगशाला: पृथ्वी की जलवायु और महासागरीय तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण।
- संसाधन: विश्व के लगभग 75% मीठे पानी का भंडार, 200+ मछली प्रजातियाँ, आयरन और कॉपर के भंडार।
- भू-राजनीतिक महत्व: चीन जैसे देशों की गतिविधियों के कारण क्षेत्रीय दावे जटिल।

भारत की अंटार्कटिक पहल

- अनुसंधान केंद्र: दक्षिण गंगोत्री (1983-1990), मैत्री (1989), भारती (2012)
- संस्था: NCPOR, गोवा — पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत
- कानूनी ढांचा: भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022
- वैश्विक प्रतिबद्धता: भारत अंटार्कटिक संधि (1959) का सलाहकार पक्ष है।

सरकार ने पहली बार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियमों की अधिसूचना जारी की

मुख्य बिंदु:

- GEI लक्ष्य नियम 2025 भारत के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन मानदंड हैं, जो चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों को कवर करते हैं: एल्युमिनियम, सीमेंट, पल्प और पेपर, तथा क्लोर-एल्कली।
- GEI = उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (जैसे – प्रति टन सीमेंट या एल्युमिनियम पर उत्सर्जन)।

नियमों के बारे में

- कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के हिस्से के रूप में अधिसूचित।
- उद्देश्य: भारत के पहले घरेलू कार्बन बाजार का विकास करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

भारतीय कार्बन बाजार के अंतर्गत दो तंत्र:

-अनुपालन तंत्र (Compliance Mechanism): ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए अनिवार्य GEI लक्ष्य।

-ऑफ़सेट तंत्र (Offset Mechanism): गैर-अनुपालन क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक परियोजनाएँ।

- प्रवर्तन एजेंसी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।

कार्य प्रणाली

- जो इकाइयाँ निर्धारित लक्ष्य से कम उत्सर्जन करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जिन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा जारी किया जाएगा।
- गैर-अनुपालन इकाइयों को प्रमाणपत्र खरीदने या औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दो गुना पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा।

महत्व

- बाज़ार आधारित अनुपालन: घरेलू बाजार में कार्बन क्रेडिट का लेन-देन संभव होगा।
- CCTS, 2023 के तहत भारतीय कार्बन बाजार को सक्रिय किया जाएगा।
- पारदर्शिता: भारतीय कार्बन मार्केट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण व दस्तावेज़ीकरण।
- हरित विकास के लिए राजस्व: पर्यावरणीय मुआवजे से प्राप्त धन से कार्बन बाजार के ढाँचे को मज़बूत किया जाएगा।
- भारत के जलवायु लक्ष्यों को सहयोग: पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समर्थन।

चीन ने रेयर अर्थ निर्यात नियंत्रण कड़े किए

- चीन ने रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है और रेयर अर्थ खनन, मैनेट निर्माण तथा रक्षा से जुड़ी प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सरकारी अनुमति के बिना प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह कदम उन्नत चिप और एआई अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर असर डाल सकता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकता है।

रेयर अर्थ तत्वों (REEs) के बारे में

- कुल 17 तत्वों का समूह (15 लैंथनाइड + स्कैंडियम + इट्रियम)।
- ये मुलायम, लचीले, लोहे जैसे धूसर से चांदी जैसे धातु होते हैं; नाम के विपरीत, ये प्रकृति में मध्यम मात्रा में पाए जाते हैं।
- महत्व: इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और उन्नत औद्योगिक तकनीकों में इनकी अहम भूमिका है।

मुख्य चुनौतियाँ

- आपूर्ति केंद्रित: वैश्विक REE खनन का लगभग 70% चीन के नियंत्रण में है; भारत के पास पाँचवां सबसे बड़ा भंडार है।
- निकषण की जटिलता: ये तत्व बिखरे रूप में पाए जाते हैं, जिससे आर्थिक रूप से इन्हें निकालना कठिन होता है।
- पर्यावरणीय समस्याएँ: खनन से विषाक्त अपशिष्ट और रेडियोधर्मी उपोत्पाद उत्पन्न होते हैं।

भारत के आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण के कदम

- राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशन (2025): घरेलू और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला सुरक्षित करने की रणनीति।
- KABIL: भारतीय उद्योगों के लिए विदेशों से रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पहल।
- मिनेरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप: भारत ने अमेरिका-नेतृत्व वाली पहल में भाग लिया है ताकि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

✿ भारत ने जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप लॉन्च किया

- भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन हेतु विज्ञान 2025-2030 जारी किया — यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण को सुदृढ़ करना है।

🔑 मुख्य विशेषताएं

- विज्ञान: एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित और सहभागी रेड लिस्टिंग प्रणाली विकसित करना, जो भारत की विविध पारिस्थितिकियों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाए।
- परिधि: यह 5 वर्षीय परियोजना लगभग 11,000 प्रजातियों (7,000 वनस्पतियाँ और 4,000 जीव) के विलुप्ति जोखिम का आकलन करेगी।
- प्रसंग: भारत में विश्व की 8% वनस्पतियाँ और 7.5% जीव पाए जाते हैं, तथा चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट (हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो-बर्मा और सुंडालैंड) हैं। इसके बावजूद, वैश्विक IUCN रेड लिस्ट में भारत की केवल 6.33% पौधों और 7.2% पशु प्रजातियों का आकलन हुआ है।
- प्रमुख एजेंसियां: बाॅटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) वनस्पतियों के लिए और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) जीवों के लिए नोडल एजेंसियां होंगी।
- कार्यप्रणाली: IUCN स्पीशीज़ कंज़र्वेशन साइकिल पर आधारित — Assess (आकलन), Plan (योजना), Act (कार्रवाई), Network (सहयोग), Communicate (संचार)।
- वैश्विक समन्वय: यह पहल जैव विविधता पर कन्वेंशन और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के अनुरूप है, और रेड लिस्ट आकलन के माध्यम से संरक्षण लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करेगी।

✿ तमिलनाडु ने चार विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए ₹1 करोड़ मंजूर किए

तमिलनाडु ने चार कम प्रसिद्ध विलुप्तप्राय प्रजातियों — लायन-टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, धारीदार लकड़बग्घा, और हम्प-हेडेड माहसीर मछली — के संरक्षण के लिए ₹1 करोड़ की स्वीकृति दी है।

- यह पहल राज्य के हाल के संरक्षण प्रयासों — डुर्गोंग संरक्षण रिज़र्व (पाल्क खाड़ी), कदवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, और प्रोजेक्ट नीलगिरि ताहर — पर आधारित है और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के 30×30 लक्ष्यों के अनुरूप है।

विवरण	लायन-टेल्ड मकाक	मद्रास / बेयर-बेलीड हेजहॉग	धारीदार लकड़बग्घा	हम्प-हेडेड माहसीर मछली
IUCN स्थिति	संकटग्रस्त (Endangered)	कम चिंता (Least Concern)	निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)	अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)
CITES सूची	परिशिष्ट I (Appendix I)	सूचीबद्ध नहीं	परिशिष्ट III (Appendix III)	सूचीबद्ध नहीं
WPA स्थिति	अनुसूची I और IV	अनुसूची II	अनुसूची I और IV	स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं
स्थानिक क्षेत्र	पश्चिमी घाट (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक)	भारत	अफ़ग़ानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, भारत आदि	भारत (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक)
मुख्य खतरे	कृषि विस्तार, शहरीकरण, खनन	अवैध पालतू व्यापार, लकड़ी कटाई और दोहन	उत्पीड़न (विशेषकर ज़हर देना), बड़े मांसाहारी जीवों की कमी से मृत पशुओं (carrion) के स्रोतों में गिरावट	बाँध, विनाशकारी मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियाँ
अन्य प्रमुख जानकारी	खंडित वर्षावनों के हिस्सों में पाई जाती है	स्थानीय रूप से 'काँटिदार चूहा' के रूप में जानी जाती है; अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रात्रिचर प्रजाति	प्राकृतिक रूप से रोग नियंत्रित करने वाली सफाईकर्मी प्रजाति; मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व में इनकी संख्या में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है	कावेरी की "टाइगर मछली" कहलाती है, अपनी ताकतवर लड़ाई के लिए प्रसिद्ध

वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने नई पहलें शुरू कीं

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की 7वीं बैठक में प्रस्तुत दृष्टिकोण के अनुरूप कई नई पहलें शुरू की हैं।
- कुल पाँच प्रमुख पहलें लॉन्च की गईं, जिनका उद्देश्य प्रजाति संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है। पहलें / विवरण

प्रोजेक्ट डॉल्फिन (चरण-II)

- भारत भर में नदीय और समुद्री सिटेशियनों (Cetaceans) के संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत।
- भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जैसे — गंगा डॉल्फिन (भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी) और सिंधु डॉल्फिन।
- संरक्षण स्थिति (दोनों): लुप्तप्राय (IUCN) और अनुसूची I (WPA, 1972)।

प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर (भालू संरक्षण)

- स्लॉथ भालू के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन ढाँचे का शुभारंभ।
- मुख्य रूप से भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं।
- संरक्षण स्थिति: असुरक्षित (Vulnerable) – IUCN और अनुसूची I (WPA, 1972)।
- ये मुख्य रूप से दीमक और चींटियाँ खाते हैं।
- अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत, ये अपने शावकों को पीठ पर ढोते हैं।

प्रोजेक्ट घड़ियाल

- घड़ियाल संरक्षण के लिए क्रियान्वयन कार्य योजना की शुरुआत।
- मुख्य रूप से नेपाल और भारत में पाए जाते हैं।
- संरक्षण स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered – IUCN) और अनुसूची I (WPA, 1972)।
- नरों की थूथन के सिरे पर एक गोलाकार उभार विकसित होता है, जिसे “घड़ा” कहते हैं।
- इसका कई उद्देश्यों में उपयोग होता है, जिनमें से एक है आवाज़ को गूँजदार बनाना (vocal resonator)।

टाइगर रिज़र्व के बाहर बाघ संरक्षण परियोजना

- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों से जुड़े संघर्षों को हल करने के लिए एक परियोजना — इसमें परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और समुदाय सहयोग को शामिल किया गया है।
- पाए जाते हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में।
- संरक्षण स्थिति: लुप्तप्राय (Endangered – IUCN), अनुसूची I (WPA, 1972)।
- प्रत्येक बाघ की धारियों का पैटर्न अलग होता है, जिससे उनकी पहचान की जा सकती है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE-HWC)

- SACON में एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना, जो नीतियों, अनुसंधान और मैदानी स्तर पर मानव-वन्यजीव संघर्षों के समाधान को समर्थन प्रदान करेगा।

कुल पहलें: 5

-  मुख्य क्षेत्र: प्रजाति संरक्षण     + संघर्ष प्रबंधन  

पूर्वी हिमालय में भीषण भूस्खलन

- हाल ही में भारी वर्षा के कारण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में कई भूस्खलन हुए, जिससे पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में व्यापक अव्यवस्था फैल गई।

भूस्खलन क्या है?

- भूस्खलन चट्टानों, मिट्टी या मलबे का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढलान की ओर खिसकना है।
- ISRO के 2023 लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार, भारत के 12.6% भू-भाग में भूस्खलन का खतरा है, जिसमें से तीन-चौथाई से अधिक क्षेत्र हिमालय में स्थित है।

हिमालय क्यों अधिक संवेदनशील है?

प्राकृतिक कारण

- भूगर्भ और टेक्टॉनिक्स:** भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से बने युवा पर्वत; टूटे-फूटे और अस्थिर शैल।
- वर्षा और चरम मौसम:** मानसूनी बारिश, बादल फटना और हिम-पिघलाव से ढलानों में नमी भर जाती है, जिससे स्थिरता घटती है।
- जलवायु परिवर्तन:** चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ता है।

- अन्य: भूकंपीय गतिविधि, खड़ी ढलानें, खराब जल निकासी और अचानक बाढ़ अस्थिरता बढ़ाते हैं।

मानवजनित कारण

- अनियोजित निर्माण: सड़क कटिंग, सुरंग बनाना और अव्यवस्थित ढांचा ढलानों को अस्थिर करता है।
- अन्य गतिविधियां: खनन, वनों की कटाई, शहरी अतिक्रमण और प्राकृतिक जल निकासी में बदलाव संवेदनशीलता को और बढ़ाते हैं।

NDMA की भूस्खलन प्रबंधन दिशानिर्देश

- जोखिम आकलन: भूस्खलन और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और पहचान।
- बहु-आयामी योजना: भूस्खलन को बहु-आपदा जोखिम आकलन और शमन रणनीतियों में शामिल करना।
- पूर्व चेतावनी: उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए रीयल-टाइम निगरानी और चेतावनी प्रणाली।
- तैयारी और प्रतिक्रिया: वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, स्थानीय प्रशासन, NDRF और अर्द्धसैनिक बलों के बीच समन्वय।
- अन्य उपाय: क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, जन-जागरूकता, आपदा ज्ञान नेटवर्क और भूस्खलन प्रबंधन हेतु कानूनी ढांचा।

महाराष्ट्र में भारत का पहला सहकारी मल्टी-फीड संपीड़ित बायोगैस संयंत्र उद्घाटित

- महाराष्ट्र में भारत के पहले सहकारी मल्टी-फीड संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से विकसित इस संयंत्र में 12 टन CBG और 75 टन पोटाश प्रतिदिन का उत्पादन गुड़, शीरा (molasses) और अन्य फीडस्टॉक्स से किया जाएगा।
- 1963 में स्थापित NCDC सहयोग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो किसान सहकारिताओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है।

संपीड़ित बायोगैस (CBG) क्या है?

- CBG एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है, जो CNG के समान है। इसे बायोमास और अपशिष्ट (जैसे फसल अवशेष, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट आदि) के अवायवीय अपघटन से उत्पन्न कच्चे बायोगैस को शुद्ध करके बनाया जाता है।

कच्चे बायोगैस की संरचना:

- मीथेन (CH_4): 55-60%
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2): 35-40%
- अन्य अशुद्धियाँ: H_2S , जल वाष्प आदि
- शुद्धिकरण के बाद मीथेन की मात्रा 90% से अधिक कर दी जाती है, और गैस को 200-250 बार दबाव पर संपीड़ित करके CBG में परिवर्तित किया जाता है।

महत्व

- प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।
- उत्सर्जन में कमी लाकर पंचामृत जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देता है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है और ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करता है।

CBG को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति (2018): उन्नत जैव-ईंधनों, विशेषकर CBG, को प्रोत्साहित करने पर बल।
- गोबर-धन योजना: खेतों के अपशिष्ट और गोबर को बायो-CNG (CBG) और कम्पोस्ट में परिवर्तित करना।
- SATAT पहल: देशभर में CBG संयंत्र स्थापित कर किफायती और सतत परिवहन को बढ़ावा देना।

अर्थव्यवस्था

RBI गवर्नर ने स्थिर कॉइन की तुलना में CBDC को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया है कि वे हालिया वैश्विक पहलों (जैसे अमेरिका का *GENIUS Act* और दक्षिण कोरिया का *Digital Asset Basic Act*) को देखते हुए स्थिर कॉइन की बजाय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को प्राथमिकता दें।

CBDC बनाम Stablecoin

- **CBDC (Central Bank Digital Currency):** संप्रभु मुद्रा का डिजिटल रूप, जिसे केंद्रीय बैंक सीधे जारी करता है — सुरक्षित, कम लागत और पारदर्शी डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- **Stablecoin:** निजी क्रिप्टोकॉरेंसी, जिसे किसी संपत्ति (जैसे अमेरिकी डॉलर) से जोड़ा जाता है लेकिन प्रायः नियामक ढांचे से बाहर संचालित होती है।

CBDC को प्राथमिकता क्यों दें

- संप्रभु गारंटी → वैध मुद्रा का दर्जा, नियामक निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण।
- कुशल सीमा-पार भुगतान → *SWIFT* जैसे मध्यस्थों के बिना तेज़ और सस्ता लेनदेन।
- मौद्रिक नीति में एकीकरण → वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक भुगतान प्रणालियों को मज़बूत बनाता है।

भारत में CBDC

- डिजिटल रुपया: RBI द्वारा जारी भारत की CBDC, जो नकद जैसे गुण प्रदान करती है — (RBI गारंटी, आसान उपयोग, त्वरित निपटान)।
- भंडारण: उपयोगकर्ताओं के डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है, रोज़मर्रा के लेनदेन के लिए।
- पायलट प्रोजेक्ट:
 - रिटेल CBDC → आम जनता के लिए वॉलेट और ऐप्स के माध्यम से।
- होलसेल CBDC → वित्तीय संस्थानों के बीच इंटरबैंक ट्रांसफर हेतु।

आरबीआई ने राज्यों को चुनाव-पूर्व लोकलुभावन खर्च से सतर्क किया

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राज्य सरकारों को चुनाव-पूर्व अत्यधिक लोकलुभावन खर्च से सावधान किया है, यह चेतावनी देते हुए कि ऐसे कदम अर्थव्यवस्था की स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकते हैं।

◆ क्या है चुनाव-पूर्व लोकलुभावन खर्च (Pre-Election Populist Spending)?

- यह वह सरकारी व्यय है जो चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, न कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए।
- उदाहरण: मुफ्त वस्तुएँ, सब्सिडी, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएँ जैसे —
- लड़की बहन योजना (महाराष्ट्र), मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (बिहार) आदि।
- 8 प्रमुख राज्यों में (2023-25) के बीच राज्यों ने लगभग ₹68,000 करोड़ लोकलुभावन योजनाओं पर खर्च किए।
- बिहार (2025) ने चुनाव से पहले अपने कर राजस्व का 32.48% ऐसी योजनाओं पर खर्च किया।

◆ राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- राजकोषीय दबाव: घाटे और उधारी की आवश्यकता बढ़ती है।
- मुद्रास्फीति (Inflation): अत्यधिक खर्च से मांग बढ़ती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
- ऋण बोझ: दीर्घकालिक देनदारियाँ बढ़ती हैं — पंजाब का ऋण 2024-25 तक ₹3.74 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान।
- संसाधनों का दुरुपयोग: विकास और अवसंरचना परियोजनाओं से धन का विचलन।

◆ आगे की राह (Way Forward)

- राजकोषीय अनुशासन: स्पष्ट सनसेट क्लॉज़ (समाप्ति अवधि) वाली टिकाऊ कल्याण योजनाएँ अपनाएँ।
- केंद्र-राज्य सहयोग: फ्रीबी संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाना।
- चुनाव आयोग की भूमिका: चुनावी वादों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- मतदाता जागरूकता: जनता को लोकलुभावन खर्च के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना।



अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025

2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकियर, फिलिप आगियों और पीटर हॉविट को नवाचार-आधारित आर्थिक वृद्धि पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए प्रदान किया गया है।

- जोएल मोकियर को पुरस्कार का आधा हिस्सा उस कार्य के लिए दिया गया जिसमें उन्होंने तकनीकी प्रगति के माध्यम से दीर्घकालिक वृद्धि के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाओं की पहचान की।
- उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रगति और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग एक-दूसरे को कैसे सुदृढ़ करते हैं और एक आत्म-निर्भर वृद्धि चक्र बनाते हैं।

प्रमुख कारक:

- उपयोगी ज्ञान का निरंतर प्रवाह —
 - प्रस्तावनात्मक (क्यों कुछ काम करता है)
 - अनुदेशात्मक (कैसे काम करता है)
- वाणिज्यिक ज्ञान — विचारों को उत्पादों में बदलना
- समाज में परिवर्तन को अपनाने की खुली मानसिकता

फिलिप आगियों और पीटर हॉविट को पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा “रचनात्मक विनाश” (*Creative Destruction*) के सिद्धांत के लिए दिया गया।

- उनके गणितीय मॉडल ने दर्शाया कि नई नवाचार कैसे वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं और पुराने उत्पादों व कंपनियों को अप्रचलित बनाते हैं — यही पिछले दो शताब्दियों में वैश्विक आर्थिक विस्तार का प्रमुख कारण रहा है।



भारत की ब्लू इकोनॉमी: गहरे समुद्र व अपतटीय मत्स्य पालन के लिए नीति आयोग की रणनीति

नीति आयोग की नई रणनीति “ब्लू इकोनॉमी” को प्रमुख विकास इंजन मानती है और 2030 तक इसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर के क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखती है।

मुख्य निष्कर्ष

- अप्रयुक्त क्षमता: भारत के मत्स्य संसाधन 7.16 मिलियन टन अनुमानित हैं, लेकिन इनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

मुख्य चुनौतियाँ

- बुनियादी ढांचा व तकनीक: केवल 90 बंदरगाह बड़े गहरे समुद्री जहाजों को संभाल सकते हैं; गहरे समुद्र में कुशलतापूर्वक मत्स्य दोहन की तकनीकी क्षमता सीमित है।
- विनियमन: विशिष्ट कानूनों की अनुपस्थिति के कारण भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ना बढ़ा है।

मुख्य पहलें

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) — ₹20,050 करोड़ की 5 वर्षीय योजना (2020-25), पारंपरिक मछुआरों को जहाजों के रूपांतरण या खरीद के लिए 60% तक वित्तीय सहायता।
- अन्य उपाय — मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF), राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020 आदि।

आगे की राह

- रिपोर्ट ने नीतिगत सुधारों, जहाजों के आधुनिकीकरण और सब्सिडी में क्रमिक कटौती की सिफारिश की है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकॉरेसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी – भारत में पहली बार

Rhuthikumari बनाम *Zanmai Labs Pvt. Ltd.* मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पहली बार क्रिप्टोकॉरेसी को “संपत्ति” (Property) के रूप में मान्यता दी, जिससे उस निवेशक को संरक्षण मिला जिसकी डिजिटल संपत्तियाँ साइबर हमले के बाद फ्रीज़ कर दी गई थीं।

◆ निर्णय की प्रमुख बातें

- परिभाषा: क्रिप्टोकॉरेसी एक डिजिटल माध्यम है जो ब्लॉकचेन पर संग्रहित रहती है और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के माध्यम से बनाई जाती है (जैसे बिटकॉइन)।
- प्रकृति: यह न तो कोई भौतिक संपत्ति है और न ही मुद्रा – बल्कि एक संपत्ति है जिसे स्वामित्व में लिया जा सकता है, रखा जा सकता है और ट्रस्ट में धारण किया जा सकता है।
- कानूनी स्थिति: भारतीय कानून के तहत इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में मान्यता प्राप्त है; इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सट्टा लेनदेन नहीं माना गया है।
- RBI स्पष्टीकरण (2018): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकॉरेसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया था; उसने केवल बैंकों को इनके व्यापार में सहायता करने से रोका था।
- न्यायिक संगति: न्यायालय ने संपत्ति संबंधी सिद्धांतों को डिजिटल संपत्तियों पर भी लागू किया, जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था।

◆ महत्व

- नियामक स्पष्टता: यह निर्णय भारत में क्रिप्टो को कानूनी रूप से स्वामित्व योग्य संपत्ति के रूप में स्थापित करता है।
 - निवेशक संरक्षण: निवेशकों को अब पारंपरिक संपत्ति अधिकार उपायों (जैसे वसूली या मुआवज़ा) का सहारा लेने की सुविधा मिलेगी, बजाय केवल क्रिप्टो एक्सचेंजों की आंतरिक नीतियों पर निर्भर रहने के।
- भारत में क्रिप्टोकॉरेसी से संबंधित कानूनी विकास- 2018
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा क्रिप्टोकॉरेसी को समर्थन देने पर प्रतिबंध लगाया।- 2020
 - सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 19(1)(g) – व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता – का उल्लंघन करता है।- 2022
 - वित्त अधिनियम (Finance Act) ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Asset) के रूप में वर्गीकृत किया – (30% कर + 1% TDS)।- 2023
 - मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) को क्रिप्टो एक्सचेंजों तक विस्तारित किया गया, जिससे KYC (ग्राहक पहचान अनिवार्य) कर दी गई।

RDİ (अनुसंधान, विकास और नवाचार) योजना

मुख्य बिंदु:

- RDİ कोष: ₹1 लाख करोड़ (मंजूरी – 1 जुलाई 2025, केंद्रीय मंत्रिमंडल)
- नोडल विभाग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- वित्तीय संरचना: दो स्तरीय
- SPF (विशेष प्रयोजन कोष): ANRF के अंतर्गत प्रथम स्तर का कोष।
- SLFM (द्वितीय स्तर प्रबंधक): AIFs, DFIs, NBFCs या विशेष अनुसंधान संगठन।
- अपवर्जन: अनुदान और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं।
- कवरेज: TRL-4 और उससे ऊपर की परियोजनाओं की लागत का अधिकतम 50% वित्तपोषण।



RDI योजना के प्रमुख लक्ष्य



- उन्नत अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसी रणनीतिक और गहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करना।
- जनहित में आवश्यक अतिरिक्त क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने में लचीलापन बनाए रखना।



सा-धन ने तिमाही माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट जारी की

- केरल द्वारा प्रस्तावित संशोधन मानव-पशु संघर्षों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की धीमी प्रतिक्रिया से उपजे असंतोष को दर्शाते हैं, विशेष रूप से जंगली सूअरों से जुड़े मामलों में, जिन्हें राज्य बार-बार हानिकारक जीव (*vermin*) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करता रहा है।



मुख्य प्रावधान

- मुख्य वन्यजीव वार्डन को सशक्त बनाना, ताकि वे जंगली जानवरों को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने जैसी त्वरित कार्रवाई बिना देरी के अधिकृत कर सकें।
- राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह अनुसूची II में सूचीबद्ध प्रजातियों को हानिकारक जीव (*vermin*) घोषित कर सके।
- *Vermin* वे जंगली जानवर हैं जो फसलों, पालतू पशुओं को नुकसान पहुँचाते हैं या बीमारियाँ फैलाते हैं।
- वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 62 के तहत (अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II को छोड़कर) किसी जंगली जानवर को *vermin* घोषित करने का अधिकार है।



संघीय पर्यावरणीय संदर्भ

- 'वन' और 'वन्यजीव संरक्षण' संविधान की अनुच्छेद 7 की सूची III (समवर्ती सूची) में आते हैं।
- इसी प्रावधान के तहत संसद ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया।
- समवर्ती सूची के अनुसार, यदि कोई राज्य कानून केंद्रीय अधिनियम से टकराता है, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

✦ सारांश:

- यह रिपोर्ट वार्षिक भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण अदायगी में चूक (*Loan Delinquencies*) में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है, जो भुगतान चक्रों पर दबाव को दर्शाती है। इसके प्रमुख कारण हैं — ग्रामीण संकट, मौसमी झटके और वित्तीय साक्षरता की कमी।

🏠 भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र

- परिभाषा: माइक्रोफाइनेंस उन निम्न-आय वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहते हैं।

✦ महत्त्व

- वित्तीय समावेशन: हाशिए पर बसे समुदायों को औपचारिक वित्तीय तंत्र में शामिल करता है।
- ग्रामीण पहुंच: 71% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं — यह सूक्ष्म ऋण संस्थानों (*MLIs*) की गहरी पैठ को दर्शाता है।
- महिला सशक्तिकरण: 88% स्वयं सहायता समूह (*SHGs*), जो बैंकों से जुड़े हैं, महिलाओं द्वारा संचालित हैं — जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

⚠️ मुख्य चुनौतियाँ

- संपत्ति गुणवत्ता में गिरावट: *Portfolio at Risk (PAR)* सभी श्रेणियों में पिछले वर्ष की तुलना में बिगड़ा है।
- राज्य-स्तरीय डिफॉल्ट: बिहार में बकाया ऋण की राशि और डिफॉल्ट दर — दोनों ही सबसे अधिक हैं।
- संचालन और वित्तीय दबाव:
- ग्राहक और स्टाफ को बनाए रखने में कठिनाइयाँ।
- फंड की लागत बढ़कर औसतन 11.33% हो गई — छोटे *MLIs* पर सबसे अधिक असर।
- लाभप्रदता में गिरावट — अधिक *MLIs* ने 1% से कम इक्विटी पर रिटर्न (*RoE*) दर्ज किया।

✅ भविष्य की दिशा

- दीर्घकालिक वृद्धि के लिए ज़रूरी है — बेहतर ग्राहक अंडरराइटिंग, डिजिटल तकनीक को अपनाना, नीतिगत समर्थन, और जिम्मेदार ऋण वितरण व प्रभावी वसूली प्रणाली।

🏛️ सरकारी पहलें

- SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम*: ऋण मात्रा बढ़ाने और गैर-आय सृजन गतिविधियों से उत्पादन आधारित गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे व्यवसायों को बिना संपार्श्विक (*Collateral-free*) माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराना।
- नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता: *MFIs* को दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग प्रदान कर तरलता बढ़ाना।

🏠 वित्त मंत्रालय ने GIFT IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) लॉन्च की

भारत के *GIFT* इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (*IFSC*) ने हांगकांग और टोक्यो जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों की श्रेणी में शामिल होते हुए विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (*FCSS*) की शुरुआत की है। यह प्रणाली विदेशी मुद्रा लेन-देन को स्थानीय स्तर पर निपटाने में सक्षम बनाती है।

💰 FCSS के बारे में

- प्राधिकृत संस्था: *IFSCA* (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण), भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत।
- उद्देश्य: *IFSC* बैंकिंग इकाइयों (*IBUs*) के बीच विदेशी मुद्रा लेन-देन को पारंपरिक, धीमी कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग व्यवस्था को दरकिनार करते हुए स्थानीय स्तर पर निपटाने की सुविधा देना।
- प्रारंभिक चरण: अमेरिकी डॉलर में लेन-देन का निपटान; भविष्य में अन्य मुद्राएँ भी जोड़ी जाएंगी।
- संचालक: *CCIL IFSC* लिमिटेड — क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (*CCIL*) की सहायक कंपनी।

⚡ मुख्य लाभ

रीयल-टाइम या लगभग रीयल-टाइम निपटान की सुविधा, जिससे पारंपरिक प्रणाली में लगने वाले 36-48 घंटे का समय काफी हद तक घट जाएगा।

🌐 GIFT City और IFSCA के बारे में

- GIFT City* (गुजरात): भारत का पहला स्मार्ट सिटी और एकमात्र *IFSC*, जो प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था में ऑनशोर और ऑफशोर वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।
- IFSCA*: वर्ष 2020 में *IFSCA* अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित। यह *IFSC* में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के लिए एकीकृत नियामक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय *GIFT City* में स्थित है।

NPCI ने नई डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की

- ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल भुगतान को और सहज एवं नवोन्मेषी बनाने के लिए नई पहलें घोषित कीं।

मुख्य पहलें

- NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL): फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए NPCI की नई सहायक कंपनी।
- UPI मल्टी-सिग्नेटरी: ऐसे संयुक्त UPI खातों की सुविधा जो एक या अधिक अधिकृत हस्ताक्षरों से लेन-देन की अनुमति देंगे — यह कॉरपोरेट्स, MSMEs और स्टार्ट-अप्स के लिए उपयोगी होगा।
- फॉरेक्स ऑन भारत कनेक्ट: FX रिटेल प्लेटफॉर्म को भारत कनेक्ट (BBPS) से जोड़ता है, जिससे खुदरा उपयोगकर्ता एकीकृत बैंकिंग/पेमेंट ऐप्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा तक पहुंच सकते हैं।
- माइक्रो एटीएम पर UPI आधारित नकद निकासी: बिज़नेस कॉरिडोरों जैसे UPI कैश पॉइंट्स पर आसानी से नकद निकासी की सुविधा।

NPCI के बारे में

- NPCI, RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो भारत की रिटेल भुगतान व्यवस्था का प्रबंधन करती है।
- इसके प्रमुख सिस्टम में UPI, रूपे (RuPay), FASTag (NETC), IMPS, NACH और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम शामिल हैं।

सहकारी बैंकों को RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत लाया गया

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को RBI – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS) के दायरे में शामिल किया है।

RB-IOS, 2021 के बारे में

- उद्देश्य: विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) के ग्राहकों को तेज़, सस्ती और सरल शिकायत निवारण व्यवस्था प्रदान करना।

पहले शामिल संस्थाएँ:

- सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (जिनकी जमा राशि \geq ₹50 करोड़ हो)
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) — (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जिनके पास ग्राहक इंटरफ़ेस या जमा स्वीकार्यता और संपत्ति \geq ₹100 करोड़ हो
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत सिस्टम प्रतिभागी

क्रेडिट सूचना कंपनियाँ

- एकीकरण: इस योजना ने RBI की तीन पुरानी लोकपाल योजनाओं को एकीकृत किया —
- बैंकिंग लोकपाल योजना (2006)
- NBFC लोकपाल योजना (2018)
- डिजिटल लेन-देन लोकपाल योजना (2019)

दृष्टिकोण: 'वन नेशन, वन लोकपाल' — क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष प्रणाली।

शक्तियाँ: लोकपाल अधिकतम ₹20 लाख का मुआवजा और ₹1 लाख तक समय, व्यय या मानसिक उत्पीड़न के लिए दे सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा पर बाज़ार अध्ययन

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की एक रिपोर्ट

एआई बाज़ार में वृद्धि

- वैश्विक स्तर: एआई बाज़ार में 25 गुना वृद्धि का अनुमान है — 2023 में 189 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना (UNCTAD)।
- भारत: एआई बाज़ार में 25-35% वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है, जो 2027 तक 17-22 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है (BCG-NASSCOM)।

एआई युग में प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक चिंताएं

1. एल्गोरिदमिक एकतरफा आचरण:

- बड़ी कंपनियाँ एल्गोरिदम का उपयोग स्व-प्राथमिकता (self-preferencing) और शिकारी मूल्य निर्धारण (predatory pricing) के लिए कर सकती हैं।
- कुछ कंपनियों द्वारा बड़े डेटा सेट और महंगे कंप्यूटेशनल ढाँचे पर नियंत्रण से उनका बाज़ार प्रभुत्व और मजबूत होता है, जिससे नए खिलाड़ियों की एंट्री बाधित होती है।

2. एआई-आधारित मूल्य निर्धारण और भेदभाव:

- गतिशील (dynamic) और व्यक्तिगत (personalized) मूल्य निर्धारण उपभोक्ता की भुगतान क्षमता के आधार पर कीमतें तय करता है।
- यह कमजोर वर्गों के शोषण और न्यायसंगत मूल्य निर्धारण पर सवाल खड़े कर सकता है।

3. एल्गोरिदमिक मिलीभगत (Collusion):

- एआई सिस्टम स्वतः ही कीमत निर्धारण, बाज़ार विभाजन या बोली लगाने में समन्वय कर सकते हैं, जिससे मिलीभगत का पता लगाना और कठिन हो जाता है।

CCI की प्रस्तावित पहलें

- नियामक क्षमता निर्माण: तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल बाज़ार और एआई पर थिंक टैंक स्थापित करना।
- अंतर-नियामक समन्वय: अन्य नियामक संस्थाओं और विभागों के साथ एमओयू (MoUs) के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों और OECD जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़कर नियामक रणनीतियों में समन्वय करना।

वैश्विक नियामक दृष्टिकोण

- संयुक्त राज्य अमेरिका: मौजूदा प्रतिस्पर्धा विरोधी (Antitrust) और क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों का उपयोग करता है।
- यूरोपीय संघ: एआई अधिनियम (AI Act) अपनाया है, जो जोखिम-आधारित नियामक ढाँचा है।
- यूनाइटेड किंगडम: DMCC अधिनियम 2024 पारित किया गया है, जो “रणनीतिक बाज़ार स्थिति” वाली कंपनियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु नियम स्थापित करता है।

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री ने PM-SETU की शुरुआत की

प्रमुख घटक

- उद्योग के सहयोग से नई मांग आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत और मौजूदा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन।
- विश्वसनीय एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) स्थापित कर क्लस्टर प्रबंधन और परिणाम आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- कई प्रकार के सीखने के मार्ग प्रदान करना — दीर्घकालिक डिप्लोमा, अल्पकालिक कोर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम।
- 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना) को वैश्विक साझेदारी वाले उत्कृष्टता केंद्रों में विकसित करना।

आईटीआई के बारे में

- भूमिका: 1950 के दशक से भारत की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (VET) व्यवस्था की रीढ़।
- संरचना: राज्य सरकारों द्वारा संचालित; मान्यता DGT (Vocational Education & Training की शीर्ष संस्था) द्वारा दी जाती है।
- वर्तमान स्थिति: लगभग 15,034 आईटीआई संचालित हैं, जिनमें से 78% निजी स्वामित्व में हैं।
- प्रमुख योजनाएं: STRIVE, मॉडल आईटीआई, उत्तर-पूर्वी राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना सुदृढ़ीकरण (ESDI)।

- प्रधानमंत्री ने PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थू अपग्रेडेड आईटीआईज) नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत लागू की जाएगी।

PM-SETU के बारे में

- प्रकार: केन्द्रीय प्रायोजित योजना — ₹60,000 करोड़
- उद्देश्य: 1,000 सरकारी आईटीआई को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक और सशक्त प्रशिक्षण संस्थानों में बदलना।
- मॉडल: हब-एंड-स्पोक — 200 हब आईटीआई को 800 स्पोक आईटीआई से जोड़ा जाएगा।
- हब आईटीआई में अत्याधुनिक अवसंरचना, नवाचार एवं इनक्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएं और प्लेसमेंट सेल होंगे। स्पोक आईटीआई प्रशिक्षण की पहुंच और विस्तार सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ने शासन में पारदर्शिता, दक्षता और विश्वास को बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभर कर आई है।

ब्लॉकचेन क्या है?

यह एक वितरित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रोधी डिजिटल बहीखाता (*ledger*) है, जो नेटवर्क पर सभी लेन-देन को सुरक्षित रूप से दर्ज करता है, जिससे डेटा की अखंडता और अनुरेखण (*traceability*) सुनिश्चित होता है।

शासन में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग

- प्रॉपर्टी चेन: ब्लॉकचेन पर संपत्ति लेन-देन का सुरक्षित रिकॉर्ड स्वामित्व और अधिकारों की आसान जांच सुनिश्चित करता है, जिससे विवाद और देरी कम होती है।
- सर्टिफिकेट चेन: एनआईसी की ब्लॉकचेन-आधारित *Certificate Chain* प्रणाली डिजिटल रिकॉर्ड के सुरक्षित भंडारण और पुनः प्राप्ति को सुनिश्चित करती है।
- लॉजिस्टिक्स चेन: आपूर्ति श्रृंखला (*Supply Chain*) की छेड़छाड़-रोधी ट्रैकिंग से जवाबदेही बढ़ती है — उदाहरण: कर्नाटक की औषधा (*Aushada*) प्रणाली जो दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करती है।
- न्यायपालिका चेन: नोटिस, समन और जमानत आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी संभव बनाती है, जिससे विलंब और मैनुअल निर्भरता कम होती है।
- आईसीजेएस एकीकरण: *Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS)* के तहत अक्टूबर 2025 तक 39,000 से अधिक दस्तावेज ब्लॉकचेन पर सत्यापित किए गए हैं।

सरकार की प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढांचा (*National Blockchain Framework - NBF*), 2024: इसमें *Vishvasya Blockchain Stack*, *NBFLite*, *Praamaanik* और *National Blockchain Portal* शामिल हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (*MeitY*) द्वारा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति।
- एनआईसी द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (*Centre of Excellence*) की स्थापना।
- ब्लॉकचेन भारत में पारदर्शी, कुशल और भरोसेमंद डिजिटल शासन की दिशा में एक नई क्रांति ला रहा है।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की घोषणाएं

- भारतीय रिज़र्व बैंक (*RBI*) ने भारतीय रुपया (*INR*) के वैश्विक व्यापार और वित्त में उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदमों की घोषणा की है।
- रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण का अर्थ है – सीमा-पार व्यापार और वित्तीय लेन-देन में रुपये के उपयोग को सक्षम बनाना।

प्रमुख उपाय

- **गैर-निवासियों को रुपये में ऋण:** अधिकृत डीलर बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका में निवासियों (बैंकों सहित) को रुपये में ऋण प्रदान कर सकेंगी।
- **पारदर्शी संदर्भ दरें:** *FBIL* रुपये के लिए प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले संदर्भ दरें विकसित करेगा। वर्तमान में, आरबीआई अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और पाउंड स्टर्लिंग के लिए दरें प्रकाशित करता है।
- **SRVA का व्यापक उपयोग:** स्पेशल रुपी *vostro* अकाउंट (*SRVA*) की शेष राशि अब कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में भी निवेश की जा सकेगी, केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त।

SRVA क्या है?

- स्पेशल रुपी *vostro* अकाउंट (SRVA) एक ऐसा खाता होता है जिसे कोई विदेशी बैंक किसी भारतीय बैंक में रखता है ताकि व्यापार का निपटान सीधे रुपये में किया जा सके, जिससे विदेशी मुद्रा में रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ
- विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता में कमी
- विनिमय दर जोखिम में कमी – अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता और वैश्विक तरलता झटकों से सुरक्षा
- आर्थिक स्वायत्तता को सशक्त बनाना
- व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि – रुपये को एक स्थिर क्षेत्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करना, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार में भूमिका मजबूत होती है

एनबीएफसी की निगरानी के लिए आरबीआई ने FIDC को एसआरओ (SRO) का दर्जा दिया

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) – जो एनबीएफसी (NBFCs) की प्रतिनिधि संस्था है और आरबीआई में पंजीकृत है – को स्व-नियामक संगठन (Self-Regulatory Organisation – SRO) का दर्जा प्रदान किया है।
- इस कदम का उद्देश्य एनबीएफसी क्षेत्र में सुशासन और नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना है।

स्व-नियामक संगठनों (SROs) के बारे में

- **उद्देश्य:** क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, उद्योग मानकों को बनाए रखना और प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना।
- **कानूनी आधार:** आरबीआई का विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु ओम्निबस फ्रेमवर्क, 2024।

पात्रता:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक।
- पर्याप्त निवल मूल्य (Net Worth) और विविध शेयरधारिता होनी चाहिए (किसी भी इकाई की हिस्सेदारी 10% या अधिक नहीं हो सकती)।
- जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसे विनियमित करना चाहिए।

जिम्मेदारियाँ:

- **सदस्यों के प्रति:** आचार संहिता बनाना, शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना।
- **नियामक के प्रति:** नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, नवाचार एवं क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना और शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करना।
- **शासन ढांचा:** संविधान दस्तावेज़ (AoA)/ उपनियम में शासन संरचना और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
- निदेशक मंडल में कम से कम एक-तिहाई सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, स्वतंत्र होने चाहिए।

एनबीएफसी (NBFCs) के बारे में

- कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत।
- गतिविधियों में ऋण देना और प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है; जबकि कृषि, उद्योग, व्यापार (गैर-प्रतिभूति), सेवाएँ और अचल संपत्ति से संबंधित गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं।

बैंकों से अंतर:

- डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते (केवल सावधि जमा स्वीकार करते हैं)।
- भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं।
- स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकते।
- स्थिति: वर्ष 2024 तक 9,000 से अधिक एनबीएफसी आरबीआई में पंजीकृत हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBS) का स्वर्ण जयंती वर्ष

वर्ष 2025, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks – RRBs) की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस उपलब्धि को मनाने के लिए नाबार्ड (NABARD) और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा नई दिल्ली में एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

RRBs के बारे में

- **स्थापना:** RRBs की स्थापना 1975 में एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी, जिसे बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।
- **उद्देश्य:** सहकारी ऋण प्रणाली के विकल्प के रूप में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना।
- **शेयरधारिता संरचना:**

भारत सरकार – 50%

राज्य सरकार – 15%

प्रायोजक बैंक – 35%

- **लक्षित ग्राहक:** छोटे एवं सीमांत किसान, ग्रामीण मजदूर, कारीगर तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र।
- **नियमन:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत नियंत्रित और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):** समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र (CEOBE) में से जो अधिक हो, उसका कम से कम 75% प्राथमिकता क्षेत्र को देना अनिवार्य।
- **विलय प्रक्रिया:** वी.एस. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के आधार पर 2005 में RRBs के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि बेहतर अवसंरचना और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सेवाओं में सुधार हो सके।

वर्तमान स्थिति (मार्च 2022)

- **संख्या:** 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित कुल 43 RRBs।
- **प्रायोजन:** पंजाब एंड सिंध बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम से कम एक RRB को प्रायोजित करते हैं; जे&के बैंक एकमात्र निजी बैंक है जो RRB को प्रायोजित करता है।
- **PSL प्रदर्शन:** RRBs के कुल ऋणों में से 89% से अधिक प्राथमिकता क्षेत्र को जाते हैं।

वित्तीय समावेशन में भूमिका:

- 18.5% प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) खातों में
- 13.3% प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) नामांकन में
- 16.9% पीएम-किसान लाभार्थी खातों में RRBs का योगदान है।

आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का प्रस्ताव रखा

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एमपीसी बैठक के साथ बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती बढ़ाने और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रमुख सुधारों की घोषणा की।

मुख्य सुधार | सुधारों के बारे में | संभावित प्रभाव

मुख्य सुधार	सुधारों के बारे में	संभावित प्रभाव
जमा बीमा के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम	फ्लैट-रेट से जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रणाली की ओर बदलाव। बेहतर रेटिंग वाले बैंक कम प्रीमियम देंगे। DICGC 1962 से फ्लैट-रेट मॉडल का पालन कर रहा है।	सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देगा और वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करेगा।
अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) ढांचा	अप्रैल 2027 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (छोटे वित्त, भुगतान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और AIFI पर लागू होगा।	बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती बढ़ाएगा, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में सुधार करेगा और वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता सुनिश्चित करेगा।
संशोधित बेसल III मानदंड	अप्रैल 2027 से मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत संशोधित बेसल मानदंड लागू किए जाएंगे, जिसमें एमएसएमई और होम लोन के लिए कम जोखिम भार होंगे।	पूंजी आवश्यकताओं को कम करेगा, जिससे अधिक ऋण देने के लिए धन उपलब्ध होगा।
पूंजी बाजार उधारी के दायरे का विस्तार	बैंक अब कॉरपोरेट अधिग्रहण को वित्तपोषित कर सकेंगे और शेयरों, REITs, InvITs तथा सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के विरुद्ध अधिक ऋण दे सकेंगे।	पूंजी की उपलब्धता और क्रेडिट एक्सेस में सुधार के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देगा।

आरबीआई ने चेताया: भू-राजनीतिक तनाव से सीमा-पार भुगतान प्रणाली प्रभावित हो सकती है

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी अर्धवार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट (Payment Systems Report) में चेतावनी दी है कि भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक प्रतिबंध और मुद्रा नियंत्रण जैसी स्थितियाँ सीमा-पार लेनदेन (Cross-Border Transactions) के सुचारू प्रवाह को बाधित कर सकती हैं।

◆ सीमा-पार भुगतान (Cross-Border Payments) के बारे में

- परिभाषा: ऐसे वित्तीय लेनदेन जिनमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता अलग-अलग देशों में होते हैं। इनमें थोक (Wholesale) और खुदरा (Retail) दोनों प्रकार के भुगतान शामिल हैं, जैसे रेमिटेंस, व्यापार भुगतान, व्यावसायिक लेनदेन आदि।

प्रकार:

- थोक भुगतान (Wholesale): वित्तीय संस्थानों के बीच लेनदेन।
- खुदरा भुगतान (Retail): व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच लेनदेन।
- महत्व: वैश्विक व्यापार, प्रवासन और पूंजी प्रवाह में वृद्धि के कारण सीमा-पार भुगतान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुके हैं।
- भारत की स्थिति: भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसमें 2024 में रिकॉर्ड 137.7 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ।

◆ सीमा-पार भुगतान को सुदृढ़ बनाने के लिए पहलें

वैश्विक प्रयास:

- G20 रोडमैप: उच्च लागत, धीमी प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु।
- BIS इनोवेशन हब परियोजनाएँ: प्रोजेक्ट हेर्था, रियाल्टो और अगोरा जैसे प्रयोग।
- अन्य ढाँचे: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) और भुगतान एवं बाजार अवसंरचना समिति (CPMI) द्वारा संचालित।

भारत की पहलें:

- UPI-FPS लिंकिंग: यूपीआई (UPI) को अन्य देशों की फास्ट पेमेंट सिस्टम्स (FPS) से जोड़ना, ताकि विदेशों में क्यूआर कोड आधारित भुगतान संभव हो सके।
- उदाहरण: UPI-PayNow (सिंगापुर) लिंकिंग और प्रोजेक्ट नेक्सस (बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय भुगतान पहल)।
- सीमा-पार भुगतानों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ
- लंबी लेनदेन श्रृंखलाएँ, जिनमें कई मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिससे लागत और प्रसंस्करण समय बढ़ जाता है।
- खंडित डाटा मानकों के कारण आपसी संगतता (interoperability) की कमी।
- जटिल अनुपालन जांच, तथा पुरानी तकनीकी प्रणालियों (legacy technology platforms) पर निर्भरता, जिससे गति, पारदर्शिता और दक्षता सीमित हो जाती है।

आरबीआई ने छह-सदस्यीय 'भुगतान विनियामक बोर्ड' का गठन किया

- भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत की भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने हेतु किया गया है।
- यह पहले के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) को प्रतिस्थापित करता है।

PRB के बारे में:

- आरबीआई गवर्नर – पदेन अध्यक्ष
- आरबीआई डिप्टी गवर्नर (Payments) – पदेन सदस्य
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी – पदेन सदस्य
- तीन सरकारी-नामित विशेषज्ञ (भुगतान, आईटी, साइबर सुरक्षा, विधि क्षेत्र से)
- कार्यकाल: 4 वर्ष (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- अयोग्यता: आयु >70 वर्ष, दिवालियापन, आपराधिक दोषसिद्धि (≥ 180 दिन), सांसद/विधायक इत्यादि।
- स्थायी आमंत्रित: आरबीआई का प्रधान विधिक सलाहकार; अन्य विशेषज्ञों को आवश्यकता अनुसार बुलाया जा सकता है।
- बैठकें: न्यूनतम वर्ष में दो बार; कोरम – 3 सदस्य (जिसमें अध्यक्ष/उप-गवर्नर + एक नामित सदस्य शामिल)।
- निर्णय: बहुमत से; टाई की स्थिति में अध्यक्ष/उप-गवर्नर का निर्णायक मत (casting vote)।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- आरबीआई को भुगतान/निपटान पर्यवेक्षण का केंद्रीय प्राधिकरण बनाता है।
- सभी प्रणालियों को कवर करता है—मैन्युअल क्लियरिंग से लेकर RTGS/NEFT तक।
- उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है—अनुचित शुल्कों को रोकता है और मध्यस्थों की जवाबदेही तय करता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

◆ प्रसंग

कैनबरा में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के पहले संवाद (2025) में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, हवाई ईंधन-भराई, और पनडुब्बी बचाव सहयोग पर समझौते किए।

◆ पृष्ठभूमि एवं विकास

- रणनीतिक समन्वय: साझा लोकतांत्रिक मूल्य और इंडो-पैसिफिक के लिए समान दृष्टिकोण (*Quad* के माध्यम से)।
- संचालनिक गहराई: संयुक्त अभ्यास (*Talisman Sabre*), रसद एवं ईंधन समझौते से बेहतर पारस्परिकता।
- औद्योगिक विस्तार: जहाज मरम्मत, रखरखाव और रक्षा निर्माण में सहयोग का विस्तार।

◆ प्रमुख समझौते

- समुद्री सुरक्षा रोडमैप: इंडो-पैसिफिक में निगरानी व संचालनिक क्षमता को मजबूत करना।
- पनडुब्बी बचाव सहयोग: जल के भीतर आपात स्थितियों हेतु रूपरेखा।
- हवाई ईंधन भराई समझौता (2024): संयुक्त अभियानों की क्षमता में वृद्धि।
- वार्षिक रक्षा वार्ता एवं स्टाफ वार्ता: समन्वय का संस्थानीकरण।
- रक्षा उद्योग बैठकें: सह-उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा।

◆ सहयोग के प्रेरक तत्व

- रणनीतिक: इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता।
- व्यावहारिक: स्वायत्त संकट-प्रबंधन की आकांक्षा।
- औद्योगिक: भारत की निर्माण क्षमता + ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी नवाचार।
- भौगोलिक: भारत – हिंद महासागर का केंद्र, ऑस्ट्रेलिया – प्रशांत का द्वार।

◆ महत्व

- समुद्री मार्गों की सुरक्षा, *Quad* की एकता को सुदृढ़ करना।
- रक्षा निर्माण व तकनीकी तालमेल को प्रोत्साहन।
- लचीला इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचा निर्माण।

◆ आगे की राह

- रसद एवं सूचना साझाकरण समझौतों का क्रियान्वयन।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर युद्ध में संयुक्त R&D।
- औद्योगिक संबंधों को गहराना एवं *Quad* लक्ष्यों के साथ संरेखण।

✎ सार:

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध संवाद से आगे बढ़कर गहरे रक्षा सहयोग में बदल चुके हैं – भौगोलिक स्थिति, क्षमताओं और साझा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संगम एक नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक का निर्माण कर रहा है।

कक्षा 3 से एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग (AI & CT) पाठ्यक्रम की शुरुआत

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के तहत कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

यह पहल CBSE, NCERT, KVS, NVS और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी।

◆ मुख्य विशेषताएँ

- CBSE ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रो. कार्तिक रमन (IIT मद्रास) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।
- शिक्षक प्रशिक्षण और अध्ययन-सामग्री निष्ठा (NISHTHA) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसे देशभर में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

◆ शिक्षा में AI और CT की भूमिका

- कम्प्यूटेशनल थिंकिंग: छात्रों को समस्या-समाधान की चार प्रमुख तकनीकें सिखाई जाएँगी – विभाजन (*Decomposition*), पैटर्न पहचान (*Pattern Recognition*), सारग्रहण (*Abstraction*) और एल्गोरिद्म निर्माण (*Algorithm Design*)।
- मौलिक कौशल: यह आलोचनात्मक सोच, तार्किक विवेक और तकनीकी नैतिकता की समझ विकसित करता है।
- भविष्य के लिए तैयारी: यह पाठ्यक्रम छात्रों को AI-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करता है, जिससे वे स्वचालन और बदलते रोजगार बाजारों के अनुरूप खुद को ढाल सकें।

8वीं कोडेक्स समिति (CCSCH) में 3 नए मसाला मानक

मानक: वनीला, बड़ी इलायची और धनिया — कुल 19 कोडेक्स मसाला मानक।

स्थापना: 2013 (भारत की पहल पर)।

सचिवालय: स्पाइस बोर्ड, कोच्चि (वाणिज्य मंत्रालय)।

कोडेक्स मानक

- अर्थ: अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं व्यापार मानक।
- कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC): FAO और WHO द्वारा 1963 में स्थापित।
- सदस्य: 189 (188 देश + EU)।
- मुख्यालय: रोम।

वनीला

- प्रकार: ऑर्किड परिवार की सुगंधित मसाला फसल।
- उत्पादक: मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मेक्सिको।
- भारत: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में खेती; आयात पर निर्भर।
- जलवायु: गर्म व आर्द्र (21–32°C), वर्षा 2000–2500 मिमी।

नई ईयू-भारत रणनीतिक कार्ययोजना

यूरोपीय परिषद (European Council) ने एक नई ईयू-भारत रणनीतिक कार्ययोजना (EU-India Strategic Agenda) को मंजूरी दी है, जिसमें बदलती वैश्विक चुनौतियों और अवसरों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए पाँच प्राथमिक स्तंभ निर्धारित किए गए हैं।

पाँच प्राथमिक स्तंभ (Five Priority Pillars)

1. समृद्धि और सततता (Prosperity & Sustainability):

- आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, डीकार्बोनाइजेशन और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देना।
- मुख्य लक्ष्य: मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और निवेश संरक्षण समझौता (IPA) को अंतिम रूप देना।

2. प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology & Innovation):

- उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल अवसंरचना और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना।
- मुख्य माध्यम: ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और होराइजन यूरोप (Horizon Europe) कार्यक्रम।

3. सुरक्षा और रक्षा (Security & Defence):

- वैश्विक सुरक्षा, हिंद-प्रशांत सहयोग (Indo-Pacific Coordination) और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था (Rules-based Maritime Order) को बढ़ावा देना।

4. संयोजकता और वैश्विक मुद्दे (Connectivity & Global Issues):

- क्षेत्रीय संपर्क और वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना।
- प्रमुख परियोजनाएँ: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और ग्लोबल गेटवे (Global Gateway)।

5. सक्षमकर्ता (Enablers):

- कौशल गतिशीलता, व्यावसायिक साझेदारी और संस्थागत सहयोग के माध्यम से सभी स्तंभों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।

भारत-ईयू संबंध (INDIA-EU RELATIONS)

- स्थापना: 1962 में; 2004 में इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- व्यापार: 2024 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार €120 बिलियन तक पहुँचा — ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- निवेश: अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक ईयू से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कुल 107.27 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

भारत-किर्गिज़ गणराज्य: आतंकवाद विरोधी व क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में वृद्धि

- भारत और किर्गिज़ गणराज्य ने मध्य एशिया में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करते हुए आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है।

किर्गिज़स्तान: त्वरित तथ्य

- राजधानी: बिश्केक
- स्थान: मध्य एशिया
- सीमाएँ: कज़ाख़स्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान
- स्वतंत्रता: 31 अगस्त 1991 (पूर्व सोवियत संघ का गणराज्य)

भूगोल

- मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ: तियान शान, कोक शाल-ताऊ, अलाय, ट्रांस-अलाय
- सबसे ऊँची चोटी: विक्ट्री (पॉबेडी) पीक – 7,439 मीटर
- मुख्य नदियाँ: नारिन, चू, सिर दरिया
- मुख्य झील: इस्सिक-कुल (Ysyk-Kul)

जापान ने पहली महिला प्रधानमंत्री का चुनाव किया

- साने ताकाइची (Sanae Takaichi) जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं — यह देश में लैंगिक समावेशन और राजनीतिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- भारत-जापान की राजनीतिक समानताएँ (India-Japan Political Parallels)
- लिखित संविधान: भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा है, जबकि जापान का संविधान छोटा और संक्षिप्त है — लगभग 5,000 शब्दों का।
- संसदीय लोकतंत्र: दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
- द्विसदनीय संसद: जापान की नेशनल डाइट (प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा) भारत की लोकसभा और राज्यसभा के समान है।
- मौलिक अधिकार: जापान के अनुच्छेद 10-40 और भारत के अनुच्छेद 12-35 नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देते हैं।
- अन्य समानताएँ: स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और संवैधानिक सर्वोच्चता।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2025 रिपोर्ट

मुख्य बिंदु

- वैश्विक गरीबी: 109 देशों की 6.3 अरब जनसंख्या में से 1.1 अरब (18.3%) लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में।
- तीव्र अभाव: 43.6% लोग अर्ध से अधिक सूचकों में वंचित।
- क्षेत्रीय केंद्र: उप-सहारा अफ्रीका (565 मिलियन) और दक्षिण एशिया (390 मिलियन) मिलकर 83% गरीबों का हिस्सा।
- भारत की प्रगति: गरीबी 55.1% (2005-06) से घटकर 16.4% (2019-21) — 414 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए।
- मुख्य अभाव: स्वच्छ ईंधन, आवास और शौचालय की कमी।
- जलवायु प्रभाव: 80% गरीब जलवायु जोखिम क्षेत्रों में रहते हैं; दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित।
- छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS): गरीबी दर 23.5% — वैश्विक औसत (18.3%) से अधिक।

एमपीआई के बारे में

- जारीकर्ता: UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI)
- आरंभ: 2010
- माप: 3 आयाम — स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (10 सूचक)।

बहुपक्षवाद का कमजोर होना

- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बहुपक्षवाद (Multilateralism) ऐसे समय में कमजोर हो रहा है जब दुनिया को वैश्विक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है।

बहुपक्षवाद क्या है?

- तीन या अधिक पक्षों के बीच समन्वित कार्यवाही, जो साझा चुनौतियों का समाधान व्यक्तिगत क्षमताओं से परे जाकर करती है।

कमज़ोरी के संकेत

- वैश्विक संस्थाओं का कमजोर होना: अमेरिका द्वारा WTO अपील निकाय (Appellate Body) में नई नियुक्तियों को रोकने से विवाद समाधान ठप पड़ा है।
- वैश्विक ढांचों से वापसी: अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) और यूनेस्को (UNESCO) से बाहर निकल लिया है।
- संघर्ष समाधान में विफलता: संयुक्त राष्ट्र रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहा है।
- मिनीलैटरलिज़्म का उदय: धीमी निर्णय-प्रक्रिया के कारण देश अब BRICS और RCEP जैसे छोटे, त्वरित समूहों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- एकतरफावाद (Unilateralism): आर्थिक प्रतिबंधों और संरक्षणवादी व्यापार नीतियों में वृद्धि।

आगे की राह

- संस्थागत सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार; भारत, जापान और ब्राज़ील को वीटो शक्ति प्रदान करना।
- वैश्विक मानक निर्माण: डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे क्षेत्रों में नए वैश्विक ढांचे विकसित करना।
- समावेशी एजेंडा: ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं जैसे जलवायु वित्त और निष्पक्ष व्यापार को महत्व देना।
- आज की बिखरी हुई वैश्विक व्यवस्था में, बहुपक्षवाद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसका विकसित और अनुकूल होना आवश्यक है।



PAX AMERICANA का पतन

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अमेरिकी नेतृत्व वाला वैश्विक व्यवस्था (Pax Americana) आज बड़े बदलाव से गुजर रही है। इसकी नेतृत्वकारी भूमिका को चुनौती मिल रही है।

🇺🇸 प्रभुत्व से बहाव तक

- ऐतिहासिक भूमिका: उदार लोकतंत्र, मुक्त बाज़ार और बहुपक्षीयता को बढ़ावा देकर वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित की।
- विश्वास में गिरावट (अतीत): वियतनाम, मध्य पूर्व में हस्तक्षेप और 2008 की वित्तीय मंदी ने छवि को नुकसान पहुंचाया।
- नीतिगत बदलाव (वर्तमान): “अमेरिका फर्स्ट” नीतियाँ, व्यापार युद्ध और वैश्विक समझौतों से पीछे हटना → सॉफ्ट पावर में कमी।
- बहुपक्षीय दबाव: जिन संस्थानों की उसने स्थापना की, उनसे ही अमेरिका की दूरी बढ़ी।

🇨🇳 चीन का बढ़ता प्रभाव

- चीन अमेरिकी रिक्रता का लाभ उठा रहा है — BRI के माध्यम से खुद को बहुपक्षीय नेता के रूप में पेश कर रहा है और 100+ देशों का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन चुका है।
- हालांकि, आक्रामक नीतियाँ, मानवाधिकार मुद्दे और “ऋण कूटनीति” इसकी स्वीकृति को सीमित करते हैं।

🌐 Pax Multipolaris की ओर

Pax Americana के क्षरण से एक खंडित बहुध्रुवीय विश्व का उदय हो रहा है — जहाँ उभरती शक्तियों के लिए अवसर हैं।

🇮🇳 भारत के लिए अवसर

भारत रणनीतिक स्वायत्तता के ज़रिये नई व्यवस्था को आकार दे रहा है:

- BRICS जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नेतृत्व।
- आर्थिक साझेदारी में विविधता और निवेश आकर्षण।
- वैश्विक दक्षिण के हितों और अंतरराष्ट्रीय सुधारों की पैरवी।
- भारत एक ज़िम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।

भारत-मंगोलिया: राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष

भारत और मंगोलिया ने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए।

मुख्य समझौते

- विकास सहयोग: भारत की 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण रेखा से मंगोल तेल रिफाइनरी परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- सांस्कृतिक संबंध: लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और मंगोलिया के अर्कागई प्रांत के बीच समझौता।
- आध्यात्मिक सहयोग: भारत शरीपुत्र और मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष भेजेगा, 10 लाख प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा तथा नालंदा विश्वविद्यालय और गांदान मठ को जोड़ेगा।
- अन्य: मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीज़ा, तृतीय देश के बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा, और यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन पर सहयोग।

मानचित्र: मंगोलिया (नारंगी) — राजधानी उलानबातर; उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन की सीमा।

भारत के लिए महत्त्व

- रणनीतिक: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन और स्थिरता को सुदृढ़ करता है।
- बहुपक्षीय सहयोग: मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए साझा प्रतिबद्धता।
- आर्थिक व ऊर्जा: मंगोलिया के कोकिंग कोयले के भंडार भारत के इस्पात उद्योग के लिए अहम हैं।

भारत-मंगोलिया संबंध

- राजनयिक: 1955 से संबंध, 2015 में रणनीतिक साझेदारी
- आर्थिक: 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 110.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- रक्षा: नोमैडिक एलीफेंट और खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, बुसान में अमेरिका-चीन नेताओं की मुलाकात

बुसान में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की बैठक हुई, जो द्विपक्षीय संबंधों में सतर्क सुधार का संकेत है।

मुख्य परिणाम

- टैरिफ में कमी: अमेरिका ने चीन पर फेंटानिल की आपूर्ति को लेकर लगाए गए टैरिफ में 10% की कमी करने पर सहमति जताई।
- (फेंटानिल — एक सिंथेटिक ओपिओइड है, जो मॉर्फिन से कई गुना अधिक प्रभावी होता है और पूरी तरह प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है।)
- खनिज निर्यात: चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (Rare Earths) के निर्यात नियंत्रण को एक वर्ष के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
- (दुर्लभ पृथ्वी खनिज — 17 धातु तत्व जो मिसाइल, विमान, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य उन्नत उपकरणों में उपयोग होते हैं।)
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैठक को “G-2” करार दिया — यह शब्द अर्थशास्त्री सी. एफ. बर्गस्टन (2005) द्वारा दिया गया था, जिसमें अमेरिका और चीन को वैश्विक स्थिरता के सह-प्रबंधक के रूप में देखा गया था।

वैश्विक प्रभाव

- क्षेत्रीय ढांचे: यदि अमेरिका-चीन सहयोग बढ़ता है, तो क्वाड (QUAD) और ऑक्स (AUKUS) जैसे मंचों की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ सकता है।
- द्विध्रुवीयता की ओर झुकाव: G-2 मॉडल वैश्विक बहुध्रुवीयता को कमजोर कर सकता है और ग्लोबल साउथ के प्रभाव को घटा सकता है।
- आर्थिक निर्भरता: यह विश्व और अमेरिका की महत्वपूर्ण खनिजों एवं सेमीकंडक्टर आपूर्ति में चीन पर निर्भरता को दर्शाता है।

भारत के लिए प्रभाव

- अमेरिका-चीन के संभावित संबंध सुधार (Rapprochement) से अमेरिका की भारत पर रणनीतिक निर्भरता कम हो सकती है, जबकि इससे चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को बल मिल सकता है।

भारत के महत्वपूर्ण आँकड़े (CRS रिपोर्ट 2023)

गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा-निबंधक (RGI) ने सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट 2023 जारी की।

मुख्य बिंदु

- जन्म के समय लिंगानुपात (SRB): 928 लड़कियाँ प्रति 1000 लड़के (सिक्किम को छोड़कर)
 - उच्चतम: अरुणाचल प्रदेश (1,085)
 - न्यूनतम: झारखंड (899)
- संस्थागत जन्म व मृत्यु: क्रमशः 74.7% और 24% (सिक्किम को छोड़कर)
- जन्म पंजीकरण: 2022 की तुलना में 0.9% की गिरावट; शहरी क्षेत्र में दर ग्रामीण से अधिक।
- मृत्यु पंजीकरण: 0.1% की वृद्धि; ग्रामीण पंजीकरण दर शहरी से अधिक।
- पूर्ण पंजीकरण: 21 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में 100% जन्म पंजीकरण; 19 में मृत्यु पंजीकरण।

CRS के बारे में

- जन्म, मृत्यु व मृतजन्मों का पंजीकरण अनिवार्य (RBD अधिनियम, 1969)।
- 2023 संशोधन ने डिजिटल पंजीकरण व राष्ट्रीय/राज्य डेटाबेस की व्यवस्था की।

यू.एस.-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज ढांचा

- संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिज ढांचा (Critical Minerals Framework) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य चीन के लगभग पूर्ण एकाधिकार (विशेषकर दुर्लभ मृदा तत्वों) को चुनौती देना और महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोतों में विविधता लाना है।
- इस ढांचे में रक्षा निर्माण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। साथ ही, यह चीन की बाजार-हेराफेरी रणनीति (जैसे—सस्ते दामों पर बाजार में बाढ़ लाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करना) को रोकने के लिए न्यूनतम मूल्य सीमा (Price Floor) तय करने का प्रावधान करता है।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज ऐसे आवश्यक खनिज हैं जो आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी हैं, परंतु इनकी आपूर्ति सीमित देशों पर निर्भर होती है, जिससे उच्च आपूर्ति जोखिम बना रहता है।
- उदाहरण: लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर आदि।
- दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements) इनका एक उपसमूह हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताएँ

1. भौगोलिक एकाग्रता (Geographic Concentration):

- खनिजों का उत्पादन और प्रसंस्करण कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे वैश्विक आपूर्ति राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- उदाहरण: लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DR Congo) दुनिया के लगभग 70% कोबाल्ट की आपूर्ति करता है।

2. संसाधनों का हथियारीकरण (Weaponization of Resources):

- चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर खनिज व्यापार को राजनीतिक हथियार बना दिया है।
- चीन वर्तमान में दुर्लभ मृदा क्षेत्र का 85-95% वैश्विक उत्पादन नियंत्रित करता है।

भारत के प्रयास: महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करना

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission): घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित।
- खनिज एवं खनन (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (MMDR Amendment Act, 2023): महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को सक्षम बनाता है।
- मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (Minerals Security Partnership - MSP): भारत ने अमेरिका-नेतृत्व वाले MSP वित्त नेटवर्क में शामिल होकर सतत और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

‘विदेशी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025’ के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए

उद्देश्य:

- भारतीय नागरिकों की विदेशी रोजगार गतिशीलता से संबंधित कानूनों को समेकित और अद्यतन करना।
- सुरक्षित, वैध, व्यवस्थित और पारदर्शी विदेशी रोजगार व प्रवास के लिए एक मज़बूत ढांचा तैयार करना।
- 1983 के प्रवासन अधिनियम को प्रतिस्थापित कर वैश्वीकरण से उत्पन्न नई अवसरों व संवेदनशील श्रमिकों की सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करना।

मसौदा विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- विदेशी गतिशीलता और कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव (पदेन) होंगे।
- गतिशीलता संसाधन केंद्र (Mobility Resource Centres) स्थापित किए जाएंगे, जो प्रवासियों को जानकारी, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे।
- नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए एकीकृत गतिशीलता सूचना प्रणाली (Integrated Mobility Information System) स्थापित की जा सकती है।
- अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी को रोकने के लिए नीतियाँ और उपाय लागू किए जाएंगे।
- विदेशी प्लेसमेंट एजेंसियों का मान्यता-प्रक्रिया और विदेशी नियोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए विनियमित प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
- दंड: सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों पर प्रत्येक उल्लंघन पर न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

बारबाडोस (राजधानी: ब्रिजटाउन)

- लोकसभा अध्यक्ष ने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (IPD) का नेतृत्व करते हुए बारबाडोस की नेशनल असेंबली का दौरा किया।

राजनीतिक विशेषताएँ

- स्थान: बारबाडोस एक द्वीपीय देश है जो कैरेबियाई सागर के दक्षिण-पूर्वी भाग (उत्तर अटलांटिक) में, वेनेजुएला के उत्तर-पूर्व और लेसर एंटिलीज़ के पास स्थित है।
- लेसर एंटिलीज़: छोटी द्वीपों की एक शृंखला जो वर्जिन द्वीप से ग्रेनाडा तक उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई है।
- सदस्यता: कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) और राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) का सदस्य।

भौगोलिक विशेषताएँ

- सबसे ऊँचा बिंदु: माउंट हिलाबी (Mount Hillaby)।
- भू-आकृति: अवसादी (sedimentary) और प्रवाली (coral) निक्षेपों से बनी।
- परिवेश: चारों ओर प्रवाली भित्तियाँ (coral reefs); कोई प्रमुख नदी या झील नहीं है।

म्यांमार (राजधानी: नेपीडॉ)

म्यांमार की सैन्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले किए, जिससे राजनीतिक अशांति और बढ़ गई।

राजनैतिक विशेषताएँ

- स्थिति: दक्षिण-पूर्व एशिया के मुख्य भूभाग के पश्चिमी भाग में।

सीमाएँ:

- उत्तर और उत्तर-पूर्व: चीन
- पूर्व: लाओस
- दक्षिण-पूर्व: थाईलैंड
- पश्चिम: बांग्लादेश
- उत्तर-पश्चिम: भारत

जल निकाय: दक्षिण में अंडमान सागर, दक्षिण-पश्चिम में बंगाल की खाड़ी

भौगोलिक विशेषताएँ

- मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ: राखाइन पर्वत, शान पठार, दौना रेंज, टेनासेरिम पर्वत
- सर्वोच्च शिखर: माउंट ह्काकाबो राज़ी
- मुख्य नदियाँ: इरावदी, चिनदविन, सिटांग, सालवीन, यांगून नदी

आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक 4: पश्चिमी घाट “गंभीर चिंता” की श्रेणी में

आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक 4 (2025) रिपोर्ट में भारत के पश्चिमी घाट, साथ ही मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम) और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) को “गंभीर चिंता (Significant Concern)” की श्रेणी में रखा गया है।

◆ रिपोर्ट के बारे में:

आईयूसीएन आउटलुक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की संभावनाओं का आकलन करती है और उन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत करती है —

- अच्छा (Good), कुछ चिंताओं के साथ अच्छा (Good with Some Concerns), गंभीर चिंता (Significant Concern) और गंभीर स्थिति (Critical)।
- “गंभीर चिंता” का अर्थ है कि स्थल के पर्यावरणीय मूल्यों पर कई वर्तमान या संभावित खतरों का प्रभाव है, जिसके लिए तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

◆ पश्चिमी घाट के बारे में:

- लंबाई: लगभग 1,600 किमी, हिमालय से भी पुराने पर्वत, जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैले हैं।
- शामिल राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
- पारिस्थितिक महत्व:
 - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक।
 - 325 से अधिक वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों (आईयूसीएन रेड लिस्ट) का आवास, जिनमें नीलगिरी तहर शामिल है।
 - भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा को रोककर क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जलवायु को संतुलित करता है।
 - गैर-भूमध्यरेखीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व।

◆ मुख्य खतरे:

- बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: जैसे सिल्लाहल्ला पंड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना (नीलगिरी)।
- भूमि उपयोग परिवर्तन: कृषि, चाय, कॉफी, रबर, ऑयल पाम बागान और सड़क निर्माण के लिए भूमि का रूपांतरण।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: घनी आबादी और कृषि विस्तार के कारण टकराव बढ़ रहा है।
- जलवायु परिवर्तन: प्रजातियों को निचले गर्म क्षेत्रों से ऊँचे ठंडे क्षेत्रों की ओर जाने पर मजबूर कर रहा है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ: जैसे यूकेलिप्टस और अकेशिया, जो प्राकृतिक वनों पर कब्जा कर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय — 72 देशों ने किया हस्ताक्षर (हनोई, वियतनाम)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 में अपनाया गया, यह दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक अभिसमय है जो साइबर अपराधों की रोकथाम और कार्रवाई के लिए बनाया गया है।

यह 40 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन (ratification) के 90 दिन बाद प्रभावी होगा।

◆ अभिसमय के बारे में

- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: गंभीर अपराधों में डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह, साझा करने और उपयोग के लिए पहला वैश्विक ढांचा स्थापित करता है।
- अपराध की श्रेणीकरण: यह पहला वैश्विक समझौता है जो साइबर-निर्भर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल यौन शोषण/शोषण सामग्री और ऑनलाइन ग्रूमिंग को अपराध घोषित करता है।
- पहचान: बिना सहमति के निजी (intimate) तस्वीरें या वीडियो साझा करना भी अपराध माना गया है।
- वैश्विक सहयोग: एक 24x7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग नेटवर्क स्थापित करता है ताकि सीमापार साइबर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

◆ साइबर अपराध – प्रकार और खतरे

- साइबर-सक्षम अपराध (Cyber-enabled crimes): पारंपरिक अपराध जो अब ऑनलाइन किए जाते हैं, जैसे — मानव तस्करी, धोखाधड़ी, हिंसा या घृणा भड़काना।
- साइबर-निर्भर अपराध (Cyber-dependent crimes): जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे — फ्रिशिंग, पहचान चोरी, मालवेयर और रैनसमवेयर।
- खतरा: साइबर अपराध सीमाहीन (borderless) हैं — ये नेटवर्क, प्रणालियों और व्यक्तियों को तेजी और सटीकता से निशाना बनाते हैं।
- दक्षिण पूर्व एशिया (Southeast Asia) को संगठित साइबर अपराधों का “ग्राउंड ज़ीरो” कहा गया है।

अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा

मुख्य परिणाम:

- भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया।
- तालिबान राजनयिकों को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास की कमान संभालने की अनुमति दी गई।
- तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल स्थित दूतावास बंद कर दिया था, जिसे जून 2022 में तकनीकी टीम के माध्यम से पुनः स्थापित किया गया।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से निपटने पर सहमति व्यक्त की।
- अफगानिस्तान ने आश्वासन दिया कि उसकी भूमि का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा।
- भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर का संचालन फिर से शुरू हुआ।
- अफगानिस्तान ने खनन क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए आमंत्रित किया।

भारत के पुनः जुड़ाव के कारण:

- सुरक्षा: अफगान धरती से सक्रिय आतंकी समूहों का मुकाबला करना।
- रणनीतिक: पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करना।
- भूराजनीति: पाकिस्तान-तालिबान संबंधों में गिरावट से भारत को अवसर मिलना।
- सद्भावना: क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता के माध्यम से विश्वास कायम रखना।

चुनौतियाँ:

- तालिबान का सत्तावादी शासन, मानवाधिकारों की अनदेखी — विशेषकर महिलाओं के अधिकारों का हनन।
- तालिबान शासन को औपचारिक राजनयिक मान्यता का अभाव।

भारत-यूके ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पुनः पुष्ट किया

यूके के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, जलवायु और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई साझेदारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई ताकि द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा किया जा सके।

मुख्य परिणाम

- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार: टेक्नोलॉजी सिव्कोरिटी इनिशिएटिव (TSI) का विस्तार करते हुए भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाय चेन ऑब्जर्वेटरी और प्रोसेसिंग कोलैबोरेशन गिल्ड जैसे नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- व्यापार एवं निवेश: भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) को शीघ्र अनुमोदित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- रक्षा एवं सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने हेतु क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE) की स्थापना की घोषणा की गई; भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हल्के मल्टीरोल मिसाइल (LMM) सिस्टम की प्रारंभिक G2G आपूर्ति पर सहमति बनी।
- जलवायु, ऊर्जा एवं अनुसंधान: यूके सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत क्लाइमेट टेक स्टार्ट-अप फंड की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई।
- शिक्षा एवं संस्कृति: क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को GIFT सिटी में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी गई।
- बहुपक्षीय सहयोग: संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई; यूके ने पुनः भारत की स्थायी सदस्यता की वैध आकांक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

भारत ने कतर में UPI सेवाओं का विस्तार किया

- कतर (राजधानी: दोहा)

राजनीतिक विशेषताएँ

- पश्चिम एशिया में, अरब प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है।
- सीमाएँ: भूमि सीमा – सऊदी अरब
- जल निकाय: फ़ारस की खाड़ी, बहरीन की खाड़ी

भौगोलिक विशेषताएँ

- यहाँ का भू-आकृतिक स्वरूप मुख्यतः रेत के टीले और नमक के मैदान (सब्खा) से बना है।
- कतर के पास विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार हैं और यह प्राकृतिक गैस के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया (राजधानी: कैनबरा)

- केरल द्वारा प्रस्तावित संशोधन मानव-पशु संघर्षों में बढ़ती पर केंद्र सरकार की धीमी प्रतिक्रिया से उपजे असंतोष को दर्शाते हैं, विशेष रूप से जंगली सूअरों से जुड़े मामलों में, जिन्हें राज्य बार-बार हानिकारक जीव (*vermin*) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करता रहा है।

मुख्य प्रावधान

- मुख्य वन्यजीव वार्डन को सशक्त बनाना, ताकि वे जंगली जानवरों को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने जैसी त्वरित कार्रवाई बिना देरी के अधिकृत कर सकें।
- राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह अनुसूची II में सूचीबद्ध प्रजातियों को हानिकारक जीव (*vermin*) घोषित कर सके।
- Vermin* वे जंगली जानवर हैं जो फसलों, पालतू पशुओं को नुकसान पहुँचाते हैं या बीमारियाँ फैलाते हैं।
- वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 62 के तहत (अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II को छोड़कर) किसी जंगली जानवर को *vermin* घोषित करने का अधिकार है।

संघीय पर्यावरणीय संदर्भ

- ‘वन’ और ‘वन्यजीव संरक्षण’ संविधान की अनुच्छेद 7 की सूची III (समवर्ती सूची) में आते हैं।
- इसी प्रावधान के तहत संसद ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया।
- समवर्ती सूची के अनुसार, यदि कोई राज्य कानून केंद्रीय अधिनियम से टकराता है, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (मलेशिया, 2025)

- 22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसने दोनों पक्षों के मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की पुनर्पुष्टि की। इस साझेदारी को 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (*Comprehensive Strategic Partnership - CSP*) में उन्नत किया गया था।

मुख्य बिंदु

- आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) को अपनाया गया ताकि CSP को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
- सतत पर्यटन पर संयुक्त नेताओं का वक्तव्य (*Joint Leaders' Statement*) स्वीकार किया गया।
- 2026 को “आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष” घोषित किया गया।
- नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा।
- लोथल (गुजरात) में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव।

भारत के लिए महत्व

- आसियान की केन्द्रीयता: भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति और एक ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ।
- व्यापार: आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (*AITGA, 2009*); द्विपक्षीय व्यापार लगभग 123 अरब अमेरिकी डॉलर (2024-25)।
- रणनीतिक संतुलन: समुद्री सहयोग से दक्षिण चीन सागर में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा।
- संयोजकता: कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना जैसी योजनाएँ पूर्वोत्तर भारत के विकास में सहायक।
- बहुपक्षवाद: यह भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

नोट:

- तिमोर-लेस्ते (*Timor-Leste*) आसियान का 11वां सदस्य बना।
- स्थापना: 1967, बैंकॉक घोषणा (*Bangkok Declaration*)।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते।

सामाजिक न्याय की स्थिति: एक प्रगतिशील यात्रा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (दोहा, नवंबर 2025) के लिए आधार तैयार करती है, जो 1995 के कोपेनहेगन सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ को भी चिह्नित करती है।

मुख्य विशेषताएं

सामाजिक न्याय क्या है?

- परिभाषा: ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना जिसमें हर व्यक्ति को भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का अधिकार हो — स्वतंत्रता, सम्मान, स्थिरता और समान अवसरों के साथ।

ILLO के स्तंभ:

- मूलभूत मानव अधिकार और क्षमताएं
- अवसरों तक समान पहुँच
- न्यायसंगत वितरण
- न्यायसंगत परिवर्तन

✓ प्रगति

- अत्यधिक गरीबी वैश्विक स्तर पर 39% से घटकर 10% रह गई है।
- 2023 से, विश्व की 50% से अधिक आबादी किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ चुकी है।

⚠ कमियाँ

- असमानता में कमी की गति रुक गई है।
- किसी व्यक्ति की आय का 71% अब भी जन्म परिस्थितियों से निर्धारित होता है।
- संस्थाओं में विश्वास 1982 से लगातार गिरावट पर है।

🌍 उभरते जोखिम

- पर्यावरणीय, डिजिटल और जनसांख्यिकीय परिवर्तन यदि सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप न किए जाएं तो असमानताओं को और गहरा कर सकते हैं।

🏛 सामाजिक न्याय के लिए संस्थानों का रूपांतरण

श्रम संस्थानों का आधुनिकीकरण:

- सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों और सक्रिय श्रम नीतियों के ढाँचे को पर्यावरणीय, डिजिटल और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अनुरूप अद्यतन करें; मजबूत सामाजिक संवाद सुनिश्चित करें।
- सामाजिक आयाम को सशक्त बनाना:
- श्रम और सामाजिक विचारों को वित्त, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीतियों में एकीकृत करें।
- वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना:
- मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के बीच की दीवारों को तोड़ें और ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस तथा द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन जैसे मंचों का उपयोग कर समन्वित और समग्र नीतिगत कार्रवाई को प्रोत्साहित करें।

🚭 तंबाकू उपयोग में रुझानों पर WHO की वैश्विक रिपोर्ट (2000-2024)

🌍 मुख्य विशेषताएं

- वैश्विक स्तर पर तेज गिरावट: वयस्कों में तंबाकू उपयोग की दर 2010 में 26.2% से घटकर 2024 में 19.5% हो गई है।
- लगातार बनी चुनौती: इसके बावजूद, हर 5 में से 1 वयस्क अब भी तंबाकू का सेवन करता है।
- ई-सिगरेट का बढ़ता प्रचलन: दुनियाभर में 10 करोड़ से अधिक लोग अब ई-सिगरेट का उपयोग करते हैं।

🇮🇳 भारत की प्रगति

- तंबाकू उपभोक्ता (2024): लगभग 24.3 करोड़ 48 लाख भारतीय (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) तंबाकू का सेवन करते हैं।
- WHO लक्ष्य की ओर अग्रसर: भारत में 2010 से 2025 के बीच तंबाकू उपयोग में 43% की कमी का अनुमान है — जो WHO के 30% कमी के एनसीडी लक्ष्य से अधिक है।

🇮🇳 भारत में प्रमुख उपाय

- COTPA अधिनियम, 2003: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और नाबालिगों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध।
- पैकेजिंग और लेबलिंग नियम, 2022: पैकेटों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम: जनजागरूकता बढ़ाने और तंबाकू उत्पादों के उत्पादन व आपूर्ति को कम करने पर केंद्रित।
- ई-सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019: ई-सिगरेट पर प्रतिबंध।

🌿 तंबाकू (*Nicotiana tabacum*) के बारे में

- उत्पत्ति: दक्षिण अमेरिका
- जलवायु आवश्यकताएं:
- वृद्धि अवधि: 90-120 पाले-मुक्त दिन
- तापमान: 20°C-30°C उपयुक्त
- वर्षा: न्यूनतम 500 मिमी
- मिट्टी: अच्छी जल निकासी वाली दोमट या जलोढ़ मिट्टी, उच्च उर्वरता के साथ

🇮🇳 भारत की स्थिति

- उत्पादन में: विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद)
- निर्यात में: दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (ब्राज़ील के बाद)
- मुख्य उत्पादक राज्य: गुजरात (30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार

सामाजिक सुरक्षा में उपलब्धियों के लिए भारत को ISSA अवॉर्ड 2025

- भारत को वर्ल्ड सोशल सिम्योरिटी फोरम में प्रतिष्ठित ISSA अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय विस्तार को मान्यता देता है — जो 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचा है।
- इस परिवर्तन में EPFO और ESIC की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारत ने कैसे बढ़ाई सामाजिक सुरक्षा कवरेज

- **कानूनों का सरलीकरण:** सोशल सिम्योरिटी कोड, 2020 के तहत 9 कानूनों को एकीकृत कर सभी श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की गई।
- **डिजिटल एवं वित्तीय ढांचा:** जन धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी पहलों ने लाभों की सुगम डिलीवरी सुनिश्चित की।
- **असंगठित श्रमिकों का कवरेज:** ई-श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना (APY) और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से।
- **स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा:** आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसी योजनाओं से व्यापक पहुंच सुनिश्चित की गई।
- **बीमा और पेंशन योजनाएँ:** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी योजनाओं ने वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत किया।
- **महिला सशक्तिकरण:** लखपति दीदी पहल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने समावेश को बढ़ाया।
- **अन्य उपाय:** नेशनल करियर सर्विस (NCS) जैसे प्लेटफॉर्म ने अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाया।

सामाजिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है

- सामाजिक सुरक्षा आय और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है और इसे मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में इसकी आवश्यकता के प्रमुख कारण हैं:
- मुख्य रूप से असंगठित श्रमबल
- संयुक्त परिवार प्रणाली का क्षय, जो पारंपरिक रूप से सामाजिक सुरक्षा का आधार थी
- गरीबी के स्तर, जहाँ 5.25% लोग नए \$3.00 (PPP/दिन) मानक से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं (विश्व बैंक, 2022-23)

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 8वीं महासभा – नई दिल्ली

♦ ISA के बारे में

- स्थापना: वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा COP21 (पेरिस) में की गई।
- स्वरूप: एक वैश्विक, संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन, जो ग्लोबल साउथ से सबसे बड़ा मंच है।
- मुख्यालय: गुरुग्राम, भारत — यह भारत में स्थित पहला अंतर-सरकारी संगठन है।
- सदस्य: 124 देश; 2020 संशोधन के बाद अब सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं।
- उद्देश्य: विश्वभर में स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिले।
- मिशन: 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के सौर निवेश को प्रोत्साहित करना और तकनीक व वित्त लागत को कम करना।
- मुख्य पहलें: SolarX Startup Challenge, STAR-C Initiative, Global Solar Facility, One Sun One World One Grid (OSOWOG)।

♦ 8वीं महासभा की प्रमुख विशेषताएँ

- SUNRISE पहल का शुभारंभ: (Solar Upcycling Network for Recycling, Innovation & Stakeholder Engagement) — सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण, हरित रोजगार, और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- SIDS समझौता ज्ञापन (MoU): 16 छोटे द्वीपीय विकासशील देश (Small Island Developing States – SIDS) ने ISA-विश्व बैंक प्लेटफॉर्म के तहत संयुक्त सौर खरीद एवं क्षमता निर्माण के लिए साझेदारी की।
- प्रमुख रिपोर्टें जारी: Ease of Doing Solar 2025 और Solar Trends 2025।

अन्य घोषणाएँ:

- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना — भारत में “सौर ऊर्जा का सिलिकॉन वैली” बनाने की दिशा में कदम।
- ISA अकादमी का शुभारंभ — कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ऑनलाइन शिक्षण मंच, जो सौर नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा।

डब्ल्यूएमओ कांग्रेस ने 'अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4ALL)' के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization – WMO) की कांग्रेस ने 'अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4All)' पहल के तेज़ कार्यान्वयन की अपील की है। इस अवसर पर WMO ने “Early Warnings for All in Focus: Hazard Monitoring and Forecasting” नामक रिपोर्ट भी जारी की, जो वैश्विक स्तर पर खतरे की पहचान और पूर्वानुमान प्रणाली की प्रगति का आकलन करती है।

◆ प्रमुख निष्कर्ष

- पूर्वानुमान क्षमता में प्रमुख अंतराल,
- ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क (GBON) के साथ कम अनुपालन, तथा
- उपग्रह डेटा के सीमित उपयोग की समस्या बनी हुई है।

◆ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल (EW4All)

- उद्देश्य: 2027 तक सभी को बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Multi-Hazard Early Warning System – EWS) के माध्यम से जलवायु और मौसम संबंधी खतरों से सुरक्षा प्रदान करना।
- शुभारंभ: संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा COP27 (2022) में।
- नेतृत्व: WMO, UNDRR, ITU और IFRC द्वारा संयुक्त रूप से।
- कवरेज: प्रारंभिक रूप से 30 उच्च-जोखिम वाले देशों में शुरू होकर अब 100 से अधिक देशों तक विस्तारित।

◆ अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) के बारे में

- EWS एक एकीकृत प्रणाली है जो खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान, जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारी के माध्यम से लोगों के जीवन, आजीविका और संपत्ति की सुरक्षा के लिए समय पर कार्रवाई को सक्षम बनाती है।

! क्यों आवश्यक है

- 24 घंटे पहले चेतावनी मिलने पर आपदा से होने वाले नुकसान में 30% तक की कमी संभव है।
- जिन देशों में बहु-खतरा चेतावनी प्रणाली नहीं है, वहाँ मृत्यु दर 6 गुना और प्रभावित लोगों की संख्या 4 गुना अधिक है।
- 1970 से अब तक चरम मौसम घटनाओं से वैश्विक आर्थिक नुकसान 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुँच चुका है।
- सभी के लिए शीघ्र चेतावनी (EW4All)
- बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के चार स्तंभ

1. आपदा जोखिम ज्ञान (Disaster Risk Knowledge) – खतरों, कमजोरियों और प्रवृत्तियों को समझने के लिए डेटा एकत्र करें और जोखिम मूल्यांकन करें।

नेतृत्व: UNDRR (संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय)

2. पहचान, निगरानी और पूर्वानुमान (Detection, Monitoring & Forecasting) – आपदा अवलोकन, विश्लेषण, पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रदान करने की प्रणालियों को सशक्त बनाएं।

नेतृत्व: WMO (विश्व मौसम विज्ञान संगठन)

3. चेतावनी प्रसार और संचार (Warning Dissemination & Communication) – जोखिम संबंधी जानकारी को समय पर और प्रभावी ढंग से सभी संवेदनशील समुदायों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

नेतृत्व: ITU (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ)

4. तैयारी और प्रतिक्रिया (Preparedness & Response) – राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर क्षमता विकसित करें ताकि शीघ्र चेतावनियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

नेतृत्व: IFRC (अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज महासंघ)

भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में कार्यबल से जुड़ी चुनौतियाँ

- चीन ने भारत की PLI योजनाओं के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की
- चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है, आरोप लगाते हुए कि भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ – विशेष रूप से ईवी (EV) और बैटरी क्षेत्र के लिए – व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं क्योंकि ये घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) से जुड़ी हुई वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं।

◆ चुनौती दी गई **PLI** योजनाएँ:

- ACC बैटरी निर्माण योजना: गीगा-स्तरीय उन्नत बैटरी उत्पादन को प्रोत्साहन।
- ऑटो सेक्टर (AAT उत्पाद): उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा।
- EV निर्माण योजना: वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना।
- चीन का दावा है कि DVA से जुड़ी ये योजनाएँ घरेलू उत्पादों को आयातित वस्तुओं पर प्राथमिकता देती हैं, जिससे WTO के सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौते (SCM Agreement) का उल्लंघन होता है।

◆ **WTO का SCM समझौता (Subsidies and Countervailing Measures Agreement):**

- परिभाषा (अनुच्छेद 1): सब्सिडी वह सरकारी वित्तीय योगदान है जो किसी इकाई को लाभ प्रदान करता है।

श्रेणियाँ:

- प्रतिबंधित सब्सिडी (Prohibited Subsidies):
- निर्यात प्रदर्शन (Export Performance) पर निर्भर सब्सिडी।
- घरेलू वस्तुओं के उपयोग को आयातित वस्तुओं पर प्राथमिकता देने वाली सब्सिडी (Local Content Subsidy)।
- कार्रवाई योग्य सब्सिडी (Actionable Subsidies):
- जिन पर बहुपक्षीय विवाद निपटान या प्रतिकारी कार्रवाई की जा सकती है।

◆ **PLI योजना के बारे में:**

- शुरुआत: 2020 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में शुरू की गई।
- क्षेत्र कवरेज: प्रारंभ में 3 क्षेत्रों से शुरू होकर अब 14 रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तारित — जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं।

लघु व्यवसायों का रूपांतरण: भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMES) के लिए एआई प्लेबुक जारी

- यह प्लेबुक भारत के लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) की उत्पादकता, ऋण पहुँच और बाजार विस्तार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसमें IMPACT AI (Inclusive Multistakeholder Pathway for Accelerated Convergence of AI Technologies) रूपरेखा पर बल दिया गया है, जो समावेशी और तीव्र एआई अपनाने को प्रोत्साहित करती है।
- संचालन और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता (Operational and Supply-Chain Efficiency)

SME चुनौतियाँ:

- छोटे निर्माता बड़ी कंपनियों की तुलना में 15-20% अधिक कच्चे माल की लागत और 20% अधिक लॉजिस्टिक लागत वहन करते हैं।

AI अनुप्रयोग:

- एकीकृत खरीद और आपूर्तिकर्ता निगरानी (Integrated procurement and supplier monitoring)
- मांग आधारित इन्वेंट्री अनुकूलन (Inventory optimization with demand insights)
- लॉजिस्टिक्स अनुकूलन और आपूर्ति श्रृंखला निरंतरता हेतु भविष्यवाणी विश्लेषण (Logistics optimization, predictive analytics for supply-chain continuity)

गुणवत्ता (Quality)

SME चुनौतियाँ:

- उच्च दोष दर (defect rate) संचालन में बाधाएँ उत्पन्न करती है और अनुपालन जोखिम बढ़ाती है।

AI अनुप्रयोग:

- एकीकृत रखरखाव और गुणवत्ता नियंत्रण (Unified maintenance and quality control)
- पैरामीटर निगरानी और अनुकूलन (Parameter monitoring and optimization)

सततता (Sustainability)

SME चुनौतियाँ:

- उच्च ऊर्जा खपत, अपशिष्ट प्रबंधन में अक्षमता और जल के अत्यधिक उपयोग से लागत बढ़ती है।

AI अनुप्रयोग:

- ऊर्जा अनुकूलन (Energy optimization)
- अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए भविष्यवाणी विश्लेषण (Waste and resource management with predictive insights)
- वित्तीय दक्षता (Financial Efficiency)

SME चुनौतियाँ:

- एसएमई की पूंजी लागत 12-14% है, जो बड़ी भारतीय कंपनियों की 8-10% लागत से अधिक है।

AI अनुप्रयोग:

- ऋण-जोखिम मूल्यांकन (*Credit-risk assessment*)
- एकीकृत वित्तीय पूर्वानुमान (*Integrated financial forecasting*)
- वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग (*Virtual Prototyping*)

SME चुनौतियाँ:

- सिमुलेशन टूल्स की उच्च लागत।

AI अनुप्रयोग:

- रीयल-टाइम डिज़ाइन सिमुलेशन (*Real-time design simulations*)
- कार्यबल और प्रतिभा (*Workforce and Talent*)

SME चुनौतियाँ:

- कुशल श्रमिकों की कमी।

AI अनुप्रयोग:

- भूमिका-कौशल मानचित्रण (*Role-skill mapping*)
- बहु-एप्लिकेशन अनुकूलनशील शिक्षण (*Cross-application adaptive learning*)

भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी

- भारत का EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड) के साथ TEPA अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश और 10 लाख नौकरियां सुनिश्चित करेगा—यह भारत का पहला ऐसा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिसमें निवेश और रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- **बाज़ार पहुँच (वस्तुएँ):** EFTA ने गैर-कृषि उत्पादों को पूर्ण बाज़ार पहुँच दी। भारत ने डेयरी, सोया, कोयला, दवा एवं चिकित्सा उपकरण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा।
- **सेवाएँ एवं गतिशीलता:** आईटी, व्यवसाय और शिक्षा निर्यात को बढ़ावा; नर्सिंग, सीए और आर्किटेक्चर में MRAs; डिजिटल सेवाएँ (मोड 1), वाणिज्यिक उपस्थिति (मोड 3) और पेशेवरों की गतिशीलता (मोड 4) के ज़रिये बेहतर पहुँच।
- **रसायन एवं संबद्ध उत्पाद:** EFTA ने भारत के 95%+ निर्यातों पर शून्य/कम शुल्क दिया; भारत ने लगभग 80% टैरिफ लाइनों को खोला, जो EFTA के 95% निर्यात को कवर करती हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** प्रतिबद्धताएँ TRIPS स्तर तक सीमित; भारत ने जेनेरिक दवाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की और पेटेंट के "एवरग्रीनिंग" को रोका।
- **निर्यात लाभ:** वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अधिक मज़बूत बाज़ार पहुँच।
- **TEPA**, जिसे एक "मॉडल समझौता" कहा गया है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ करता है। एक समर्पित भारत-EFTA डेस्क विनियमन और निवेश सुविधा को सरल बनाएगा।

एफएओ ने जारी की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सज असेसमेंट (GFRA) 2025 रिपोर्ट

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सज असेसमेंट (GFRA) 2025 रिपोर्ट को ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वैशन्स इनिशिएटिव (GFOI) की पूर्ण बैठक के दौरान बाली, इंडोनेशिया में जारी किया।
- GFOI, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वैशन्स (GEO) का प्रमुख कार्यक्रम है — जो सरकारों, शिक्षाविदों और उद्योगों का एक वैश्विक नेटवर्क है — और पृथ्वी से प्राप्त डाटा व इंटेलेजेंस के उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत GEO का सदस्य है।

◆ प्रमुख बिंदु

वैश्विक वन क्षेत्र:

- वन पृथ्वी की कुल भूमि का 32% (4.14 अरब हेक्टेयर) क्षेत्र कवर करते हैं। इनमें से लगभग आधे उष्णकटिबंधीय (*Tropical*) क्षेत्रों में हैं, इसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण (*Temperate*) और उपोष्णकटिबंधीय (*Subtropical*) क्षेत्र आते हैं।

क्षेत्रीय वितरण:

- यूरोप के पास विश्व के कुल वनों का 25% हिस्सा है — जो सबसे अधिक है।
- भारत की स्थिति:
- भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुँच गया है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है।
- भारत रबर बागानों के मामले में 5वें स्थान पर है।

वन कटाई:

- वार्षिक वन कटाई की दर 1990-2000 के 17.6 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-2025 में 10.9 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।

प्राकृतिक पुनर्जनन:

- विश्व के 90% से अधिक वन क्षेत्र प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित हो रहे हैं।

कार्बन भंडार:

- वनों में अब 714 गीगाटन कार्बन संचित है — जिसमें अधिकांश मिट्टी में, इसके बाद जीवित जैव द्रव्यमान (*biomass*), कूड़ा (*litter*) और मृत लकड़ी (*deadwood*) में संग्रहित है।

वन व्यवधान:

- उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आग लगना प्रमुख समस्या है, जबकि कीट, रोग और चरम मौसम की घटनाएँ मुख्यतः समशीतोष्ण और बोरियल क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं।
- सेविला ऋण मंच (*Sevilla Forum on Debt*) का शुभारंभ
- प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2025 / पढ़ने का समय: 1 मिनट
- सेविला ऋण मंच (*Sevilla Forum on Debt*) का शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (*UNCTAD*) के 16वें सत्र (*UNCTAD16*) के दौरान किया गया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में गहराते ऋण संकट का समाधान करना है।

◆ मंच के बारे में

- नेतृत्व: स्पेन द्वारा, *UNCTAD* और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (*UN DESA*) के सहयोग से।
- उद्देश्य: सरकारों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना ताकि ऋण स्थिरता, प्रभावी प्रबंधन और नवाचार आधारित समाधान को प्रोत्साहित किया जा सके।
- अंतर्गत आता है: सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (*Sevilla Platform for Action*), जो चौथे अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन (*FfD4*) का एक प्रमुख परिणाम है।

अन्य परिणाम:

- डेब्ट स्विप्स फॉर डेवलपमेंट हब
- डेब्ट-फॉर-डेवलपमेंट स्विप प्रोग्राम
- डेब्ट “पॉज़ क्लॉज़” एलायंस
- यह पहल सेविला कमिटमेंट (*Sevilla Commitment*) को पूरक करती है, जो विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (*SDGs*) के लिए आवश्यक 4 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक वित्तीय अंतर को पाटने का मार्ग प्रदान करती है। यह 2015 के बाद पहला अंतर-सरकारी विकास वित्त ढांचा है।

! वैश्विक ऋण संकट

- वैश्विक सार्वजनिक ऋण (2024): 102 ट्रिलियन डॉलर; विकासशील देशों पर 31 ट्रिलियन डॉलर का बोझ।
- ऋण भुगतान: विकासशील देश प्रतिवर्ष 1.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण चुकाने में खर्च करते हैं।
- प्रभाव: 3.4 अरब से अधिक लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ ऋण भुगतान पर स्वास्थ्य और शिक्षा से अधिक खर्च किया जाता है।

अक्टूबर 2025: भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष

भारत और रूस ने “भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा” (अक्टूबर 2000) पर हस्ताक्षर के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन-से-जन संबंधों में सहयोग को गहरा किया।

विकसित होती रणनीतिक साझेदारी

उन्नत साझेदारी: 2010 में संबंधों को “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उठाया गया, जो आपसी विश्वास और सहयोग को दर्शाता है।

संस्थागत संवाद: वार्षिक शिखर बैठकें, 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

रिकॉर्ड व्यापार: वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

भारत के प्रमुख निर्यात: दवाइयाँ, रासायनिक उत्पाद, लोहा व इस्पात, समुद्री उत्पाद।

रूस के प्रमुख निर्यात: तेल व पेट्रोलियम उत्पाद, सूरजमुखी तेल, उर्वरक, कोकिंग कोयला, कीमती पत्थर व धातुएँ।

रक्षा और सुरक्षा

सहयोग पारंपरिक खरीदार-विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, विकास और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के उत्पादन पर केंद्रित हुआ है। उदाहरण: ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइलों का संयुक्त विकास।

बहुपक्षीय सहयोग

- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र (UN), G20, ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करीबी समन्वय करते हैं।

महामारी आपातकाल की नई परिभाषा

- संशोधित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) अब लागू हो गए हैं, जिनमें एक नई कानूनी श्रेणी — महामारी आपातकाल — को जोड़ा गया है।

1. क्या है यह नई परिभाषा

- महामारी आपातकाल IHR के अंतर्गत एक नई उप-श्रेणी है। इसे तब लागू किया जाता है जब कोई PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) घटना उच्च स्तर पर पहुँच जाए — यानी जब कोई रोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल जाए, स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ जाए, सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो, और तेज़, समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पड़े।

2. 2024 संशोधन

- स्वीकृति:** WHA77.17, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (जून 2024) में।
- प्रभावी तिथि:** 19 सितंबर 2025 (उन सदस्य देशों के लिए जिन्होंने संशोधन स्वीकार किए)।

मुख्य कानूनी परिवर्तन:

- WHO महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी PHEIC को “महामारी आपातकाल” के रूप में वर्गीकृत कर सके (अनुच्छेद 12)।
- देशों को राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण नियुक्त करना होगा ताकि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय हो सके।
- वित्तीय समन्वय तंत्र बनाया गया है ताकि विकासशील देशों को सहायता मिल सके।
- राज्य पक्ष समिति की स्थापना की गई है जो बिना दंड के निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

3. प्रमुख विशेषताएं

- स्तरीय अलर्ट प्रणाली:** महामारी आपातकाल, PHEIC मानदंडों पर आधारित एक उच्च स्तरीय श्रेणी है।
- व्यापक ट्रिगर:** भौगोलिक प्रसार, स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव, सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था और समाज-व्यापी प्रतिक्रिया की आवश्यकता को शामिल किया गया है।
- समानता और एकजुटता पर जोर:** चिकित्सा उत्पादों और वित्तीय सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान।
- राज्य की संप्रभुता सुरक्षित:** WHO किसी देश पर घरेलू उपाय थोप नहीं सकती; नीतिगत नियंत्रण देशों के पास ही रहेगा।
- एकीकृत प्रणाली:** यह PHEIC को प्रतिस्थापित नहीं करती, बल्कि उसे पूरक बनाकर वैश्विक प्रतिक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करती है।

4. महत्व

- कानूनी स्पष्टता:** वैश्विक महामारी घोषित करने के लिए स्पष्ट मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।
- तेज़ वैश्विक प्रतिक्रिया:** संसाधनों के शीघ्र और समन्वित जुटान को सक्षम बनाती है।
- विकासशील देशों को सहयोग:** समान रूप से तैयारियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

WHO वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट

मुख्य बिंदु

- बढ़ता प्रतिरोध: 2023 में, विश्वभर में हर 6 में से 1 बैक्टीरियल संक्रमण एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी पाया गया।
- क्षेत्रीय हॉटस्पॉट: दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिरोध दर, उसके बाद अफ्रीका।
- संवेदनशील क्षेत्र: निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) पर सबसे अधिक प्रभाव — कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों के कारण।
- भारत संदर्भ: वैश्विक रक्त संक्रमण रिपोर्टों का 41% चीन, भारत और पाकिस्तान से आता है।

एएमआर क्या है?

- **AMR (Antimicrobial Resistance):** जब सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद) उन दवाओं का प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थीं।
- एंटीबायोटिक प्रतिरोध: विशेष रूप से बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध।
- प्रभाव: WHO के अनुसार, AMR से प्रतिवर्ष 1 मिलियन प्रत्यक्ष मौतें और लगभग 5 मिलियन अप्रत्यक्ष मौतें होती हैं।

भारत में AMR की चुनौतियाँ

- अधिक उपयोग: एंटीबायोटिक की आसान उपलब्धता और दुरुपयोग।
- खराब स्वच्छता: भीड़भाड़, अस्वच्छता और अत्यधिक दवा-निर्धारण।
- कृषि में दुरुपयोग: पशुपालन और पोल्ट्री में व्यापक उपयोग।
- अन्य कारण: सामाजिक-आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन।

रोकथाम उपाय

- WHO का GLASS कार्यक्रम
- भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना (2017)
- ऑपरेशन AMRITH (केरल): अवैध एंटीबायोटिक बिक्री पर रोक।
- अनुचित दवा संयोजन (FDCs) पर प्रतिबंध।

दिल्ली में विशेषज्ञों ने क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया

आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) का सफल परीक्षण किया है, जिससे अनुकूल मौसम की स्थिति में शहर में पहली कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) की संभावना बढ़ गई है।

क्लाउड सीडिंग के बारे में

अर्थ: यह एक मौसम संशोधन तकनीक (Weather Modification Technique) है, जिसमें बादलों में सूक्ष्म बर्फ-सृजन कण (Ice-forming Particles) डालकर वर्षा या हिमपात को बढ़ाया जाता है।


कार्य करने की प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया विमान या भूमि-आधारित जनरेटरों के माध्यम से की जाती है, जो प्राकृतिक बादलों में सूक्ष्म कण छोड़ते हैं।
- ये कण संघनन केंद्र (Nuclei) के रूप में कार्य करते हैं, जिनके आसपास जल-बूंदें या हिमकण बनते हैं और वर्षा या हिमपात के रूप में नीचे गिरते हैं।

प्रमुख सीडिंग एजेंट्स:

- सिल्वर आयोडाइड (AgI): सबसे सामान्य और प्रभावी पदार्थ, जो बर्फ सृजन के लिए अत्यंत उपयोगी है।
- अन्य रसायन: पोटैशियम आयोडाइड (KI), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), ड्राई आइस (CO₂) आदि।

यह मौजूदा बादलों में यर्ष बनाने वाले सूक्ष्म कणों को मिलाकर वर्षा की सम्भवा वढ़ाने की एक मौसम संशोधन तकनीक है।



महासागर आधारित कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS): एक रणनीतिक डीकार्बोनाइजेशन मार्ग

महासागर आधारित CCUS — जिसमें पकड़े गए कार्बन को समुद्र तल के नीचे या समाप्त हो चुके अपतटीय तेल एवं गैस कुओं में संग्रहीत किया जाता है — तेजी से जलवायु शमन की एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रहा है।

◆ महासागर आधारित CCUS क्या है

यह तकनीक बड़े उत्सर्जन स्रोतों (जैसे बिजली संयंत्र और उद्योग) से CO₂ को पकड़कर लगभग 3 किमी गहराई में समुद्र तल के अवसादों या समुद्री जल में इंजेक्शन के माध्यम से संग्रहीत करती है।

◆ मुख्य तकनीकें

- महासागरीय क्षारीयता वृद्धि (OAE): चूना जैसे कुचले खनिजों या इलेक्ट्रोकेमिकल रॉक वेदरिंग के माध्यम से CO₂ अवशोषण बढ़ाना।
- महासागर उर्वरीकरण: फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़कर फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि को बढ़ावा देना, जिससे गहरे समुद्र में कार्बन संग्रहण होता है।
- ब्लू कार्बन संवर्धन: मैंग्रोव और सीग्रास जैसी समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का उपयोग करके जैविक कार्बन कैप्चर करना।

◆ मुख्य लाभ

- दीर्घकालिक भंडारण: OAE तकनीकें 1,00,000 वर्षों तक कार्बन को संग्रहीत कर सकती हैं।
- विस्तृत क्षमता: महासागर वातावरण की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं।
- सुरक्षित और विस्तार योग्य: उच्च दबाव और कम तापमान CO₂ को स्थिर रखते हैं और रिसाव के जोखिम को कम करते हैं।
- कार्बन का पुनः उपयोग: पकड़ा गया CO₂ हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और बायोपॉलिमर जैसे औद्योगिक उत्पादों में उपयोग किया जा सकता है।
- जलवायु प्रभाव: 2060 तक वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में 14% तक की कमी की क्षमता।

◆ भारत के लिए प्रासंगिकता

- भारत के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य को समर्थन देता है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, और भारत की लंबी तटरेखा कार्बन भंडारण के लिए अपार क्षमता प्रदान करती है।

◆ चुनौतियाँ

- तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में है; इसके लिए पर्याप्त वित्तपोषण, अनुसंधान, नवाचार, और विस्तृत तकनीकी-आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता है, ताकि इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके।

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता / मशीन लर्निंग (AI/ML)

- हाइपरलोकल डिमांड इंटेलिजेंस: क्षेत्रीय और स्थानीय रुझानों का विश्लेषण कर रीयल-टाइम मांग मानचित्र तैयार करना, जिससे माइक्रो-फैक्ट्री नेटवर्क और टियर-2/3 आपूर्तिकर्ता तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।
- स्वायत्त बैच रिलीज़: फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों में नियामक-जागरूक AI एजेंट्स रीयल-टाइम अनुपालन को ट्रैक कर बैच रिलीज़ को तेज़ और विश्वसनीय बना सकते हैं।

2. उन्नत सामग्री विज्ञान (Advanced Material Science)

- हल्के बहु-कार्यात्मक समग्र पदार्थ (Lightweight Multi-Functional Composites): रेलवे और रक्षा क्षेत्र में थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स का उपयोग कर संरचनात्मक मजबूती और शील्डिंग, डैम्पिंग जैसे अंतर्निहित कार्यों को जोड़ा जा सकता है।
- ग्रीन कैटालिस्ट्स (Green Catalysts): नैनो-इंजीनियर्ड उत्प्रेरकों को रासायनिक उत्पादन में अपनाकर कम-उत्सर्जन संश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बढ़ाई जा सकती है।

3. डिजिटल ट्विन्स (Digital Twins – डेटा-आधारित आभासी प्रतिरूप)

- एयरोस्पेस और रक्षा आरएंडडी में तेजी: विमानन घटकों का वर्चुअल डिजाइन और परीक्षण कर विकास समय और भौतिक लागत को कम करना।
- पूर्वानुमानित रखरखाव (Predictive Maintenance): निर्माण और खनन मशीनरी के रीयल-टाइम डिजिटल प्रतिरूप बनाकर दोष या विफलता के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाना, जिससे संपत्ति की आयु बढ़ाई जा सके।

4. रोबोटिक्स (Robotics)

- टेलीरोबोटिक्स (Telerobotics): 5G और हैप्टिक फीडबैक की मदद से खतरनाक वातावरण (जैसे रासायनिक संयंत्र, परमाणु प्रतिष्ठान) में दूरस्थ रोबोट नियंत्रण को सक्षम बनाना।
- एक्सोस्केलेटन (Exoskeletons): मानव श्रमिकों को पहनने योग्य उपकरणों (Wearable Devices) से सशक्त बनाना ताकि वे भारी या दोहराव वाले कार्यों के दौरान शारीरिक तनाव और चोट के जोखिम को कम कर सकें।

➡ निष्कर्ष:

- यह रोडमैप भारत को तकनीकी नवाचार, औद्योगिक दक्षता, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट (GW) पार

- भारत ने कुल 500 गीगावाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का मील का पत्थर हासिल कर लिया है और अपने COP26 (पंचामृत) लक्ष्य – 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil fuel) स्रोतों से बिजली उत्पादन – को 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है।

- वर्तमान ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix)

- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत: 256 GW (51%)

- जीवाश्म ईंधन स्रोत: 244 GW (49%)

- नवीकरणीय ऊर्जा: सौर – 127 GW / पवन – 53 GW / जलविद्युत – 47 GW

◆ मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा पहलें (Key Initiatives)

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देती है।
- पीएम-कुसुम योजना: कृषि पंपों और खेतों के सौरकरण को प्रोत्साहित करती है।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसारण (Transmission) को सशक्त बनाता है।
- नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO): डिस्कॉम्स को बिजली का एक निश्चित हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से खरीदने के लिए बाध्य करता है।




मानव त्वचा कोशिकाओं से कार्यात्मक अंडाणु बनाने में वैज्ञानिकों की सफलता

- बांझपन अनुसंधान में एक बड़ी सफलता के रूप में, वैज्ञानिकों ने साधारण त्वचा कोशिकाओं के डीएनए का उपयोग करके निषेचन योग्य अंडाणु जैसी कोशिकाएँ सफलतापूर्वक बनाई हैं। यह तकनीक, जिसे इन विट्रो गैमीटोजेनेसिस (IVG) कहा जाता है, मरीज की अपनी आनुवंशिक सामग्री से अंडाणु या शुक्राणु बनाकर बांझपन के नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

अनुसंधान के बारे में

- वैज्ञानिकों ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (SCNT) तकनीक का उपयोग किया — जिसमें त्वचा कोशिका के नाभिक (nucleus) को उस डोनर अंडाणु में प्रत्यारोपित किया गया, जिसका अपना नाभिक पहले ही हटा दिया गया था।
- मुख्य चुनौती थी यह सुनिश्चित करना कि निषेचित अंडाणु में सही संख्या में गुणसूत्र (chromosomes) हों। मानव गैमीट (शुक्राणु और अंडाणु) में 23 गुणसूत्र होते हैं, जो सामान्य कोशिकाओं (46) का आधा है।
- इसे हल करने के लिए, वैज्ञानिकों ने “माइटोमीओसिस (mitomeiosis)” नामक एक नई तकनीक विकसित की, जो प्राकृतिक कोशिका विभाजन की नकल करके अतिरिक्त गुणसूत्रों को हटा देती है और कार्यात्मक अंडाणु बनाती है जो निषेचन के लिए उपयुक्त होते हैं।

त्वचा कोशिका डीएनए का उपयोग कर निषेचन प्रक्रिया

-  नाभिक स्थानांतरण: त्वचा कोशिका का नाभिक एक ऐसे डोनर अंडाणु में डाला जाता है जिसका मूल नाभिक हटा दिया गया हो।
-  गुणसूत्रों में कमी: 23 जोड़े गुणसूत्रों में से आधे को हटाकर अंडाणु विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल की जाती है।
-  निषेचन: संशोधित अंडाणु को शुक्राणु से निषेचित किया जाता है, जिससे आनुवंशिक सामग्री का आधा हिस्सा प्रत्येक माता-पिता से आता है।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 – MOFs में क्रांतिकारी खोज के लिए सम्मानित

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन और ओमर याघी को प्रदान किया है।
- इन वैज्ञानिकों को मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया गया है — एक ऐसी खोज जिसने अब तक दसियों हज़ार MOF संरचनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।





MOF क्या हैं

- MOFs एक प्रकार की आणविक संरचना (molecular architecture) हैं जो बहुत कम स्थान में विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र को समेट सकती हैं — ठीक वैसे ही जैसे हैरी पॉटर में हर्माइनी ग्रेंजर का जादुई बैग।
- 1 ग्राम MOF में इतनी सूक्ष्म झिल्ली (pores) होती हैं कि उसका आंतरिक सतह क्षेत्र एक फुटबॉल मैदान जितना हो सकता है।
- ये झिल्ली आणविक कमरों की तरह काम करती हैं — गैसों, आयनों और अन्य अणुओं को फँसाने, अलग करने, परिवर्तित करने या स्थानांतरित करने में सक्षम। इन्हें मॉलिक्युलर होटल भी कहा जा सकता है, जिनके दरवाज़े सिर्फ विशिष्ट “मेहमानों” के लिए बने होते हैं।

संरचना:

- MOFs धातु आयनों (metal ions) और कार्बन-आधारित जैविक लिंकरों (organic linkers) से बनी त्रि-आयामी झरझरी संरचना होती है। इनकी उच्च झरझराहट (porosity) गैसों और तरल पदार्थों को आसानी से पारगमन करने देती है।
- निर्माण खंडों में बदलाव कर, वैज्ञानिक इन संरचनाओं को विशेष पदार्थों को कैप्चर और स्टोर करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं।

MOFs के प्रमुख अनुप्रयोग

-  जल संग्रहण: रात में रेगिस्तानी हवा से नमी को सोखना और दिन में पेयजल के रूप में छोड़ना।
-  प्रदूषण नियंत्रण: PFAS जैसे हानिकारक रसायनों को छानना और प्रदूषित जल में कच्चे तेल व एंटीबायोटिक को तोड़ना।
-  औद्योगिक उपयोग: अपशिष्ट जल से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की पुनर्प्राप्ति, हाइड्रोजन का भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करना।
-  स्वास्थ्य क्षेत्र: दवाओं की डिलीवरी, अत्यंत विषैले गैसों को निष्क्रिय करना, और एंजाइम को कैप्सूल में बंद कर पर्यावरण में एंटीबायोटिक अवशेषों को तोड़ना।

गूगल AI मॉडल ने कैंसर उपचार में नई दिशा दिखाई

Google DeepMind और Yale University ने C2S-Scale (Cell2Sentence-Scale 27B) मॉडल विकसित किया, जो कोशिकाओं की “भाषा” समझता है। मॉडल ने कैंसर कोशिका व्यवहार पर नई परिकल्पना दी, जिसे जीवित कोशिकाओं में सत्यापित किया गया।

मुख्य बिंदु

- **दवा खोज:** *Silmitasertib* को ट्यूमर के विरुद्ध प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली संभावित दवा के रूप में चिन्हित।
- **कोशिकीय भाषा विश्लेषण:** जटिल जैव संकेतों को समझने योग्य रूप में अनुवाद।
- **AI सह-वैज्ञानिक:** परिकल्पनाएं उत्पन्न कर प्रयोगशाला में सत्यापन।
- **तेज़ खोज:** हजारों दवा-कोशिका इंटरैक्शन सिमुलेट कर लक्ष्य खोज में तेजी।
- **व्यक्तिकृत चिकित्सा:** जीन व कोशिका प्रोफाइल पर आधारित उपचार।
- **मरीज सहायता:** LLM-आधारित चैटबॉट्स द्वारा 24x7 स्वास्थ्य जानकारी व परामर्श।

चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर सूर्य के CME प्रभाव का पता लगाया

भारत के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने पहली बार सूर्य से निकले कोरोनल मास इजेक्शन (CME) पर चंद्रमा की प्रतिक्रिया दर्ज की है। यह अवलोकन CHACE-2 (चंद्रा का एटमोस्फेरिक कम्पोज़िशन एक्सप्लोरर-2) उपकरण के माध्यम से किया गया।

CHACE-2 के बारे में

यह एक न्यूट्रल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जो 1-300 एटॉमिक मास यूनिट (AMU) के दायरे में चंद्रमा के एक्सोस्फीयर (Exosphere) की संरचना का अध्ययन करता है।

CME क्या हैं?

कोरोनल मास इजेक्शन (CME) सूर्य की बाहरी परत (कोरोना) से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल विस्फोट होते हैं, जो अक्सर सौर ज्वालाओं (Solar Flares) और सक्रिय सनस्पॉट क्षेत्रों से जुड़े होते हैं।

- आवृत्ति: 11-वर्षीय सौर चक्र के अधिकतम चरणों (Solar Maximum) के दौरान अधिक सामान्य होते हैं।
- पृथ्वी पर प्रभाव: उपग्रहों को नुकसान, GPS में बाधा, विद्युत ग्रिड फेल्टोर, रेडियो सिग्नल ब्लैकआउट, ऑरोरा का निर्माण, और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकिरण खतरा।

मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

- जब CME ने चंद्रमा को प्रभावित किया, तो इससे चंद्र सतह से परमाणुओं का उत्सर्जन बढ़ गया।
- इसके परिणामस्वरूप चंद्रमा के दिन वाले भाग की एक्सोस्फीयर में न्यूट्रल परमाणुओं की घनता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- चंद्रमा की एक्सोस्फीयर अत्यंत पतली होती है, जहाँ गैस कणों के बीच टकराव बहुत कम होता है।

चंद्रयान-2 (2019) के बारे में

- प्रक्षेपण: *GSLV MkIII-M1* द्वारा किया गया।
- इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना था।
- मुख्य उद्देश्य: चंद्र सतह की स्थलाकृति (Topography), खनिज संरचना (Mineralogy), भूकंपीय गतिविधि (Seismology) और एक्सोस्फीयर की रासायनिक संरचना का अध्ययन करके चंद्रमा के विकास को बेहतर समझना।

फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025

पुरस्कार प्राप्तकर्ता: मैरी ई. ब्रनकाउ, फ्रेड रैम्सडेल (अमेरिका) और शिमीन सकागुची (जापान)

कारण: परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता (Peripheral Immune Tolerance) पर उनके क्रांतिकारी खोजों के लिए।

मुख्य विशेषताएं

केन्द्रित क्षेत्र – परिधीय प्रतिरक्षा तंत्र:

इन वैज्ञानिकों के शोध ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर कार्य करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि शरीर किस प्रकार हानिकारक आक्रमणकारियों और अपनी स्वयं की कोशिकाओं के बीच अंतर करता है।

रेगुलेटरी टी (Treg) कोशिकाएं:

वर्ष 1995 में, शिमीन सकागुची ने रेगुलेटरी टी-कोशिकाओं की खोज की — टी-कोशिकाओं का एक विशेष वर्ग जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और शरीर को स्वयं पर हमला करने से रोकता है। यही तंत्र परिधीय सहनशीलता की आधारशिला है।

FOXP3 जीन और स्व-प्रतिरक्षा (Autoimmunity):

गंभीर स्व-प्रतिरक्षी रोगों से पीड़ित “स्कफी” चूहों पर अध्ययन करते हुए, ब्रनकाउ और रैम्सडेल ने वर्ष 2001 में FOXP3 जीन की पहचान की, जो चूहों और मनुष्यों (IPEX रोग) दोनों में स्व-प्रतिरक्षा का प्रमुख नियंत्रक है।

बाद में सकागुची ने सिद्ध किया कि FOXP3 जीन रेगुलेटरी टी-कोशिकाओं के विकास के लिए अनिवार्य है।

☀ महत्व

कैंसर:

ट्यूमर, टीरेग कोशिकाओं का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली से बच सकते हैं। नई इम्यूनोथैरेपीज़ इस दमन को रोकने और उपचार की प्रभावशीलता बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।

स्व-प्रतिरक्षा एवं अंग प्रत्यारोपण:

- क्लिनिकल परीक्षणों में टीरेग कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि स्व-प्रतिरक्षा रोगों का उपचार किया जा सके और अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृति से बचाया जा सके।

🧪 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 – MOFs में क्रांतिकारी खोज के लिए सम्मानित

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन और ओमर याघी को प्रदान किया है।
- इन वैज्ञानिकों को मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया गया है — एक ऐसी खोज जिसने अब तक दसियों हज़ार MOF संरचनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।

🧬 MOF क्या हैं

- MOFs एक प्रकार की आणविक संरचना (molecular architecture) हैं जो बहुत कम स्थान में विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र को समेट सकती हैं — ठीक वैसे ही जैसे हैरी पॉटर में हर्माइनी ग्रेंजर का जादुई बैग।
- 1 ग्राम MOF में इतनी सूक्ष्म झिल्ली (pores) होती हैं कि उसका आंतरिक सतह क्षेत्र एक फुटबॉल मैदान जितना हो सकता है।
- ये झिल्ली आणविक कमरों की तरह काम करती हैं — गैसों, आयनों और अन्य अणुओं को फँसाने, अलग करने, परिवर्तित करने या स्थानांतरित करने में सक्षम। इन्हें मॉलिक्युलर होटल भी कहा जा सकता है, जिनके दरवाज़े सिर्फ विशिष्ट “मेहमानों” के लिए बने होते हैं।

संरचना:

- MOFs धातु आयनों (metal ions) और कार्बन-आधारित जैविक लिंकरों (organic linkers) से बनी त्रि-आयामी झरझरी संरचना होती है। इनकी उच्च झरझराहट (porosity) गैसों और तरल पदार्थों को आसानी से पारगमन करने देती है।
- निर्माण खंडों में बदलाव कर, वैज्ञानिक इन संरचनाओं को विशेष पदार्थों को कैप्चर और स्टोर करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं।

🌍 MOFs के प्रमुख अनुप्रयोग

💧 जल संग्रहण: रात में रेगिस्तानी हवा से नमी को सोखना और दिन में पेयजल के रूप में छोड़ना।

🌿 प्रदूषण नियंत्रण: PFAS जैसे हानिकारक रसायनों को छानना और प्रदूषित जल में कच्चे तेल व एंटीबायोटिक को तोड़ना।

🏭 औद्योगिक उपयोग: अपशिष्ट जल से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की पुनर्प्राप्ति, हाइड्रोजन का भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करना।

🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र: दवाओं की डिलीवरी, अत्यंत विषैले गैसों को निष्क्रिय करना, और एंजाइम को कैप्सूल में बंद कर पर्यावरण में एंटीबायोटिक अवशेषों को तोड़ना।

🏆 2025 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार: मानव स्तर पर क्वांटम प्रभाव

2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरैट और जॉन मार्टिनिस को प्रदान किया गया है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि क्वांटम गुण केवल परमाणु या उप-परमाणु स्तर पर ही नहीं, बल्कि मैक्रोस्कोपिक (मानव स्तर) पर भी मौजूद हो सकते हैं।

🔬 क्रांतिकारी शोध

- लगभग 40 वर्ष पहले किए गए प्रयोगों में इन वैज्ञानिकों ने दिखाया कि क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा का क्वांटीकरण (Energy Quantisation) हाथ में पकड़े जा सकने वाले एक सिस्टम में भी देखा जा सकता है।

- उन्होंने जोसेफसन जंक्शन (*Josephson Junction*) — दो सुपरकंडक्टर जिन्हें एक पतली इन्सुलेटिंग परत से अलग किया गया था का उपयोग करके सिद्ध किया कि यह प्रणाली क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार व्यवहार करती है, यानी यह केवल निश्चित (विभाजित) ऊर्जा मात्राओं को ही अवशोषित या उत्सर्जित करती है।
- यह पहली बार था जब मैक्रोस्कोपिक स्तर पर क्वांटम टनलिंग का प्रदर्शन किया गया, जिसे पहले केवल सूक्ष्म स्तर पर ही देखा गया था।

महत्व

इस खोज ने क्वांटम कंप्यूटरों, अत्यधिक संवेदनशील सेंसरों और अगली पीढ़ी के ट्रांजिस्टरों के विकास की नींव रखी।

संक्षेप में क्वांटम यांत्रिकी

- क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि सूक्ष्म कण एक साथ कण (*Particle*) और तरंग (*Wave*) — दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसे ही तरंग-कण द्वैतता (*Wave-Particle Duality*) कहा जाता है।

वैज्ञानिकों ने जलवायु समाधान के रूप में ध्रुवीय भू-इंजीनियरिंग के खिलाफ चेतावनी दी

- एक नई अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रस्तावित ध्रुवीय भू-इंजीनियरिंग परियोजनाएँ सुरक्षित और जिम्मेदार जलवायु हस्तक्षेप के प्रमुख मानकों पर खरी नहीं उतरतीं।

भू-इंजीनियरिंग परियोजनाएँ एवं उनसे जुड़े चुनौतियाँ

- **स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI):** ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल (सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट) छोड़कर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना।
- **जोखिम:** टर्मिनेशन शॉक (यदि रोका जाए तो अचानक गर्मी बढ़ना), ध्रुवीय सर्दियों/गर्मियों में अप्रभाव।
- **सी कर्टेन / सी वॉल्स:** बर्फ की चादरों तक गर्म समुद्री जल पहुँचने से रोकने के लिए बड़े समुद्र-तल ढांचे।
- **जोखिम:** समुद्री व्यवधान (मछलियों व स्तनधारियों पर असर), महासागरीय परिसंचरण में बदलाव, सामग्रियों से विषाक्तता।
- **सी आइस प्रबंधन:** बर्फ मोटी/परावर्तक बनाने हेतु कांच के सूक्ष्म मोती या समुद्री जल पंप करना।
- **जोखिम:** पारिस्थितिक विषाक्तता (जूप्लवक को हानि), प्रतिकूल गर्मी प्रभाव (मोती गर्मी सोखते हैं)।
- **बेसल वाटर रिमूवल:** हिमनदों के नीचे का जल निकालना ताकि गति धीमी हो और समुद्र स्तर वृद्धि रोकी जा सके।
- **जोखिम:** अत्यधिक उत्सर्जन-गहन प्रक्रिया; लगातार निगरानी की आवश्यकता।
- **ओशन फर्टिलाइजेशन (OF):** फ़ाइटोप्लवक वृद्धि के लिए पोषक तत्व (लोहा) डालना ताकि CO_2 अवशोषित हो।

पर्यावरणीय निगरानी

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 50 शहरों में 10 प्रकार के वायरस की पहचान के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की घोषणा की है।

1. क्या है पर्यावरणीय निगरानी

- पर्यावरणीय निगरानी में सीवेज, अपशिष्ट जल, मिट्टी और हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों में वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों जैसे रोगजनकों का पता लगाया जाता है।
- यह क्लिनिकल निगरानी को पूरक बनाती है, क्योंकि यह समुदायों में छिपे या बिना लक्षण वाले संक्रमणों को भी पहचान सकती है।

2. यह कैसे काम करती है

- **नमूना संग्रह:** सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पतालों, हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थलों से नमूने लिए जाते हैं।
- **रोगजनक पहचान:** मल, मूत्र या श्वसन स्राव के माध्यम से बाहर निकले सूक्ष्मजीवों की पहचान की जाती है।
- **जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing):** उत्परिवर्तन (*mutations*) और नए वेरिएंट्स का पता लगाया जाता है।
- **प्रवृत्ति विश्लेषण:** रोजाना रोगजनक भार को ट्रैक कर संक्रमण के बढ़ने के शुरुआती संकेतों की निगरानी की जाती है।

3. प्रमुख विशेषताएं

- **गैर-आक्रामक:** व्यक्तिगत परीक्षण के बिना पूरी आबादी को कवर करती है।
- **कम लागत और विस्तार योग्य:** एक नमूना हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- **जल्द चेतावनी:** क्लिनिकल मामलों से 7-10 दिन पहले संक्रमण की लहर का पता लगाया जा सकता है।
- **बहु-रोग अनुप्रयोग:** पोलियो, कॉलरा, कोविड-19 आदि बीमारियों की निगरानी में उपयोगी।
- **तकनीक आधारित:** पैटर्न विश्लेषण के लिए AI/ML और स्मार्ट सेंसर का उपयोग।

नैतिकता



2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी

रिपोर्ट — “20 Years of Tracking Progress: Time to Recommit to Zero Hunger” — Concern Worldwide (आयरलैंड), Welthungerhilfe (जर्मनी) और IFHV द्वारा जारी।

मुख्य निष्कर्ष

- 2016 के बाद से वैश्विक भूख में प्रगति ठप है; 2030 तक शून्य भूख लक्ष्य कठिन।
- भारत की रैंक: 123 में से 102; GHI स्कोर: 25.8 → “गंभीर” श्रेणी।
- कारक: संघर्ष, जलवायु झटके, आर्थिक अस्थिरता, आय असमानता, घटती सहायता।

GHI के चार सूचक

1. कुपोषण (कैलोरी की कमी)
2. बच्चों में ठिगनापन (5 वर्ष से कम उम्र में ऊँचाई की कमी)
3. बच्चों में दुबलापन (वज़न-ऊँचाई अनुपात कम)
4. बच्चों की मृत्यु दर (5 वर्ष से पहले)

👉 GHI स्कोर: 0 (सर्वोत्तम) से 100 (सबसे खराब) तक।

समाचारों में व्यक्तित्व: श्री नारायण गुरु

भारत के राष्ट्रपति ने केरल में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

श्री नारायण गुरु (1856-1928) के बारे में

- जन्म: चेम्पाङ्गन्थी (वर्तमान तिरुवनंतपुरम के निकट), एक एझवा परिवार में।
- वे एक संत, दार्शनिक, कवि और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई।

मुख्य योगदान

- मानवता के लिए संदेश दिया: “एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।”
- अरुविपुरम आंदोलन का नेतृत्व किया, जो मंदिर प्रवेश अधिकारों के लिए था।
- 1903 में डॉ. पी. पलपु के साथ मिलकर श्री नारायण धर्म परिपालना (SNDP) योगम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एझवा समुदाय का उत्थान था।
- वैकोम सत्याग्रह (1924-25) का समर्थन किया, जो त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश अधिकारों के लिए था।
- प्रमुख रचनाएँ: अनुकंपा दशकम, ब्रह्मविद्या पंचकम आदि।

मुख्य मूल्य

समानता • अहिंसा • करुणा • सत्यनिष्ठा • साहस

प्रधानमंत्री ने तिरुप्पूर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

- प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों तिरुप्पूर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को उनकी जयंती पर नमन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रेरणादायक योगदान को स्मरण किया।

तिरुप्पूर कुमारन (1904-1932)

- जन्म: तमिलनाडु के इरोड के पास एक बुनकर परिवार में
- स्थापना: देशबंधु यूथ एसोसिएशन
- प्रेरणा: महात्मा गांधी के अहिंसक असहयोग आंदोलन से
- मुख्य योगदान: ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई आंदोलनों का नेतृत्व किया; राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए शहीद हुए और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए।

सुब्रमण्य शिवा (1884-1925)

- जन्म: दिंडिगुल (मदुरै), तमिलनाडु
- प्रसिद्ध रचनाएँ: रामानुज विजयम, माध्व विजयम
- मुख्य योगदान: महात्मा गांधी और वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

- 1960 के दशक में, युवा जेन गुडॉल बिना किसी औपचारिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण के तंजानिया के गोम्बे के जंगलों में गईं। उनके असामान्य पृष्ठभूमि के कारण वैज्ञानिक समुदाय ने पहले संदेह जताया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चिंपैंज़ियों का गहराई से अवलोकन जारी रखा।
- एक दिन उन्होंने देखा कि एक चिंपैंज़ी दीमक निकालने के लिए एक टहनी का उपयोग कर रहा है — इस खोज ने उस धारणा को चुनौती दी कि औज़ार बनाना केवल मनुष्यों की विशेषता है। शुरू में उनके निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ किया गया, लेकिन अंततः इस खोज ने विज्ञान को मानव और पशु के बीच की रेखा को पुनः परिभाषित करने के लिए मजबूर कर दिया।
- जेन गुडॉल की यात्रा दृढ़ता, बौद्धिक साहस और प्रकृति के प्रति विनम्रता का प्रतीक है। एक बिना प्रमाणपत्र वाली बाहरी व्यक्ति से वह एक अग्रणी संरक्षणवादी बनकर उभरीं, यह साबित करते हुए कि आस्था और लगन से दुनिया की समझ को बदला जा सकता है।



समाचारों में भी

वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (State of Global Air Report) 2025

जारीकर्ता: हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (HEI) और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME), अमेरिका

◆ भारत से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष

- मृत्यु दर: वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण से लगभग 20 लाख मौतें हुईं — वर्ष 2000 की तुलना में 43% की वृद्धि, जो वैश्विक कुल मौतों का 52% है।
- ओज़ोन प्रदूषण: भारत तीसरे स्थान पर है।
- PM2.5 संपर्क: 75% आबादी WHO मानकों से ऊपर प्रदूषण के स्तर के संपर्क में।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): यदि सभी लाभार्थी परिवार केवल LPG का उपयोग करें, तो प्रति वर्ष 1.5 लाख मौतों को रोका जा सकता है।

यूएनईपी की रिपोर्ट – ‘An Eye on Methane’

प्रकाशक: इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्ज़र्वेटरी (IMEO)

◆ मुख्य बिंदु

- मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है, जो वैश्विक तापन का एक-तिहाई उत्पन्न करती है।
- उच्च प्रभाव वाली गैस: 20 वर्षों में CO₂ से 80 गुना अधिक शक्तिशाली, हालांकि इसका जीवनकाल कम (7-12 वर्ष) होता है।
- मानव स्रोत: कुल उत्सर्जन का 60% — कृषि, जीवाश्म ईंधन और लैंडफिल अपशिष्ट से।
- प्राकृतिक स्रोत: लगभग 40%, मुख्यतः आर्द्रभूमि (wetlands) से।

खाद्य तेल क्षेत्र – विनियमन अद्यतन (Regulation Update)

जारीकर्ता: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

◆ VOPPA आदेश (2011) में संशोधन:

- सभी खाद्य तेल आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों का अनिवार्य पंजीकरण।
- उत्पादन और स्टॉक की मासिक रिपोर्टिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से।

◆ भारत की स्थिति:

- अमेरिका, चीन और ब्राज़ील के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा खाद्य तेल बाजार।
- विश्व तेल बीज उत्पादन में 5-6% योगदान, लेकिन 57% मांग आयात पर निर्भर।

गुरु चरण यात्रा – पटना साहिब गुरुद्वारा

- पवित्र ‘जोड़ साहिब’ (गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की खड़ाऊँ) को दिल्ली से पटना साहिब, बिहार तक ले जाया जा रहा है।
- ऐतिहासिक महत्व: इस तख्त का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थान की स्मृति में करवाया गया था।
- वास्तुकला: मुगल और सिख शैली का मिश्रण, सुनहरे गुंबद और सुंदर नक्काशी सहित।

क्वांटम इकोज़ एल्गोरिद्म – गूगल की उपलब्धि

विकसित किया गया: गूगल के विलो क्वांटम चिप (Willow Quantum Chip) पर

◆ मुख्य बिंदु:

- पहला सत्यापनीय क्वांटम एडवांटेज एल्गोरिद्म, जो सुपरकंप्यूटरों से 13,000 गुना तेज चलता है।
- “क्वांटम इको” तकनीक का उपयोग — क्वांटम सिग्नल को भेजकर और उलटकर परिणाम की पुष्टि करता है।
- अनुप्रयोग: आणविक संरचना अध्ययन, औषधि खोज, और उन्नत सिमुलेशन।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – बिहार

- बिहार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरा किया।
- **प्रक्रिया:** सभी पात्र नागरिकों के नामांकन को सुनिश्चित करने हेतु घर-घर सत्यापन।
- **कानूनी आधार:** अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ), अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950।
- **महत्व:** मुक्त एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखना।

भारत पुनः ICAO परिषद में निर्वाचित

- भारत को ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) की परिषद के भाग-II में पुनः चुना गया।
- **ICAO के बारे में:** संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, 1944 (शिकागो कन्वेंशन) में स्थापित; 193 सदस्य राष्ट्र; भारत संस्थापक सदस्य।
- **कार्य:** वैश्विक विमानन मानक तय करना (सुरक्षा, संरक्षा, दक्षता और स्थिरता के लिए); वैश्विक संपर्क, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना।

RoDTEP योजना 2026 तक बढ़ाई गई

- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP) योजना मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई।
- **शुरुआत:** जनवरी 2021 (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)।
- **उद्देश्य:** अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कवर न किए गए कर/शुल्क की वापसी, छिपी लागत घटाना।
- **प्रभाव:** उत्पादन से वितरण तक करों को कवर कर भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना।

भारत औसत कॉल दर (WACR)

- आरबीआई, WACR को अपनी प्रमुख मौद्रिक नीति परिचालन लक्ष्य के रूप में उपयोग करता रहेगा।
- **परिभाषा:** रातों-रात औसत ब्याज दर जिस पर बैंक एक-दूसरे से एक दिन के लिए उधार लेते/देते हैं।
- **महत्व:** अल्पकालिक धन की लागत दर्शाता है।
- **WACR बढ़ना** → धन महंगा।
- **WACR घटना** → धन सस्ता।

साइफन-आधारित तापीय लवण-निर्मलन

- आईआईएससी ने एक कम लागत वाला साइफन-चालित लवण-निर्मलन तंत्र विकसित किया, जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है।
- **कैसे काम करता है:** कपड़े की बत्ती + नालीदार धातु साइफन पानी खींचता है, लवण हटाता है, गर्म सतह पर वाष्पित करता है, ठंडी सतह पर संघनित करता है।
- **विशेषताएँ:** एल्युमीनियम और कपड़े से बना; सौर ऊर्जा/अपशिष्ट ऊष्मा से संचालित।
- **लाभ:** स्वच्छ जल उत्पादन तेज़, सस्ता और अधिक कुशल।

परस्पर कानूनी सहायता संधि (MLAT)

- भारत ने एक आपराधिक मामले में सिंगापुर के साथ MLAT लागू किया।
- **MLAT के बारे में:** जाँच, साक्ष्य संग्रह, अभियोजन और प्रत्यर्पण में सीमा-पार सहयोग हेतु कानूनी ढाँचा।
- **प्राधिकरण:** गृह मंत्रालय।
- **साझेदार देश:** अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई, अफगानिस्तान, तुर्की आदि के साथ भारत के MLAT।

सरंडा वन, झारखंड

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सरंडा में नए वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

- एशिया का सबसे बड़ा साल (*Sal*) वन; “सरंडा” का अर्थ है “सात सौ पहाड़ियों की भूमि”।
- वनस्पति: साल, कुसुम, महुआ, मशरूम।
- जीव-जंतु: हाथी, संकटग्रस्त उड़ने वाली छिपकलियाँ।
- जनजातियाँ: हो, मुंडा, उरांव और अन्य आदिम जनजातियाँ।

वीरता पुरस्कार (*Gallantry Awards*)

केंद्र सरकार ने रक्षा कर्मियों के वीरता पुरस्कारों की सूची राजपत्र में अधिसूचित की।

- उद्देश्य: युद्धकाल या शांतिकाल में वीरता, साहस और आत्म-बलिदान के कार्यों को सम्मानित करना।
- स्थापना: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र — 26 जनवरी 1950 (प्रभावी: 15 अगस्त 1947 से)।
- अशोक चक्र श्रृंखला: 1952 में प्रारंभ; 1967 में नाम बदले गए — अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र।
- घोषणा: वर्ष में दो बार — गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर।

कुरिंजी फूल, तमिलनाडु

गुडालूर की पहाड़ियों में नए आरक्षित वन क्षेत्र में 8 वर्षों बाद बैंगनी कुरिंजी फूलों की बहार आई है।

- खिलने का चक्र: जीवन में केवल एक बार; नीलकुरिंजी हर 12 वर्ष में खिलती है (>1,300 मीटर ऊँचाई पर)।
- आवास क्षेत्र: शोलाप्रकार के वन, पश्चिमी घाट।
- महत्त्व: स्वस्थ घासभूमि, जैव विविधता और जलवायु स्थिरता का सूचक।

विशेष उर्वरक – भारत

चीन द्वारा निर्यात रोकने के बाद भारत में विशेष उर्वरकों के दाम बढ़े हैं।

- परिभाषा: ऐसे उर्वरक जो विशिष्ट फसलों और मिट्टी के प्रकारों के अनुसार बनाए जाते हैं; पोषक उपयोग दक्षता (*NUE*) बढ़ाते हैं और हानि घटाते हैं।
- प्रकार: धीमे-रिलीज़ (*Slow-release*), नियंत्रित (*Controlled-release*), स्थिरित (*Stabilized*), अनुकूलित (*Customized*), सुदृढ़ (*Fortified*)।
- भारत की मांग: 1.2–1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष; ज्यादातर आयात-निर्भर, विशेषकर चीन पर।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (*Real Effective Exchange Rate - REER*)

रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर; *REER* निरंतर कम मूल्यांकन (*Undervaluation*) दर्शाता है।

- परिभाषा: प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले, मुद्रास्फीति समायोजित विनिमय दर।
- प्रभाव:
 - उच्च *REER*: निर्यात महंगा, आयात सस्ता।
 - निम्न *REER*: मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात को प्रोत्साहन।

मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (*Central Asian Mammals Initiative - CAMI*)

मध्य एशियाई देशों ने 17 प्रवासी स्तनधारी प्रजातियों (जैसे सैगा, बुखारा हिरण आदि) की सुरक्षा के लिए एकजुटता दिखाई है।

- प्रारंभ: 2014 में (*COP11*, *CMS* सम्मेलन के तहत)।
- उद्देश्य: मध्य एशिया में साझा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

तारों का निर्माण अध्ययन – भारत

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (*Indian Institute of Astrophysics*) के अध्ययन में पाया गया कि महाविशाल ब्लैक होल (*Supermassive Black Holes*) और उनके तेज जेट्स (*Jets*) पास की आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण को रोकते हैं।

- प्रक्रिया: गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण से संकुचित होकर प्रोटोस्टार बनाते हैं → नाभिकीय संलयन प्रारंभ होता है।
- जीवनचक्र: छोटे तारे → श्वेत बौने; बड़े तारे → सुपरनोवा → न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल।

हिम तेंदु (Snow Leopards)

हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 62% बढ़ी, 2021 में 51 से बढ़कर 2025 में 83 हो गई।

हिम तेंदुओं के बारे में: ये 12 एशियाई देशों में पाये जाते हैं; “पहाड़ों का भूत” भी कहा जाता है क्योंकि इनका रंग प्राकृतिक रूप से छद्मावरण देता है।

स्थिति:

IUCN: संवेदनशील (Vulnerable)

CITES: परिशिष्ट-I

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009): इनकी प्रजाति और आवास संरक्षण पर केंद्रित।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs)

FPIs ने 2025 में (1 अक्टूबर तक) ₹2.02 ट्रिलियन मूल्य के भारतीय शेयर बेचे।

मुख्य बिंदु:

FPIs किसी कंपनी की चुकता पूंजी का अधिकतम 10% तक ही निवेश कर सकते हैं।

सीमा पार होने पर उन्हें या तो हिस्सेदारी घटानी होगी या FDI में पुनर्वर्गीकरण करना होगा।

पुनर्वर्गीकरण FDI निषिद्ध क्षेत्रों (जैसे चिट फंड, जुआ) में अनुमत नहीं है।

सीमावर्ती देशों से निवेश के लिए सरकार और निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी की मंजूरी आवश्यक है (RBI-SEBI ढांचा, 2024)।

H125 हेलिकॉप्टर

भारत की पहली निजी हेलिकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कोलार (कर्नाटक) में स्थापित की जा रही है, जो 2027 तक H125 हेलिकॉप्टर का उत्पादन शुरू करेगी।

H125 के बारे में: सिंगल-इंजन, हल्का, बहु-उपयोगी हेलिकॉप्टर।

ऊँचाई वाले और कठिन वातावरण में प्रभावी संचालन करने में सक्षम।

एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साझेदारी में निर्माण।

अमेज़न की “उड़ती नदियाँ” (Flying Rivers)

वनों की कटाई से अमेज़न की ‘फ्लाइंग रिवर्स’ प्रणाली बाधित हो रही है, जिससे दक्षिण-पश्चिमी अमेज़न में सूखे बढ़ रहे हैं।

फ्लाइंग रिवर्स के बारे में: यह वायुमंडलीय जल वाष्प प्रवाह की विशाल प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो अटलांटिक महासागर से वाष्पीकरण और अमेज़न वन से वाष्पोत्सर्जन के मिश्रण से बनती है।

- व्यापारिक पवनों द्वारा यह नमी अंदरूनी क्षेत्रों में पहुँचती है और विशेष रूप से एंडीज़ पर्वत क्षेत्र में वर्षा नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कॉनकन-25 अभ्यास

- भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास “कॉनकन-25” भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ।
- इस अभ्यास में पहली बार यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (HMS प्रिंस ऑफ वेल्स) और भारत का INS विक्रांत एक साथ भाग ले रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत

- भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन नमचिक-नामफुक कोयला ब्लॉक, अरुणाचल प्रदेश में किया गया।
- यह कदम 2018 के उस सुधार के बाद उठाया गया है, जिसने निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक कोयला खनन में भागीदारी की अनुमति दी, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार समाप्त हुआ।
- इसका उद्देश्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार बनाना और निजी निवेश आकर्षित करना है।

मिग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊँची सड़क

- बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) की प्रोजेक्ट हिमांक ने लद्दाख के चांगथांग पठार पर स्थित मिग ला दर्रे (19,400 फीट) पर दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है।
- यह सड़क लिकारू-मिग ला-फुकचे अक्ष में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है और चीन सीमा (LAC) के निकट फुकचे हवाई पट्टी को जोड़ती है।
- प्रोजेक्ट हिमांक, जिसकी शुरुआत 1985 में लेह में हुई थी, लद्दाख क्षेत्र में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए जिम्मेदार है।

कोसी नदी में बाढ़ का खतरा

- ऊफान पर आई कोसी नदी ने बिहार और नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा दिया है।
- उत्पत्ति: तिब्बत (चीन) — सुन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी नदियों के संगम से बनती है।
- प्रवाह: नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है और बिहार में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- उपनाम: “बिहार का शोक” — बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण।
- कैचमेंट: माउंट एवरेस्ट और कंचनजंघा क्षेत्र को शामिल करती है; प्रमुख सहायक नदियाँ — कमला और बागमती।

फिलीपींस में कोरल लार्वा क्रायोबैंक की शुरुआत

- फिलीपींस ने रीफ जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कोरल ‘बीजों’ को फ्रीज़ कर रखने हेतु कोरल लार्वा क्रायोबैंक स्थापित किया है।
- यह परियोजना कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में क्रायोबैंकों का नेटवर्क बनाने की क्षेत्रीय पहल का हिस्सा है।

कोरल ट्रायंगल (समुद्रों का अमेज़न)

- स्थान: 5.7 मिलियन वर्ग किमी का समुद्री क्षेत्र — इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप समूह और तिमोर-लेस्ते में फैला हुआ।
- महत्व: विश्व का सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट।
- जैव विविधता: विश्व की 75% से अधिक कोरल प्रजातियाँ, एक-तिहाई रीफ मछली प्रजातियाँ, और विशाल मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं।

NATPOLREX-X अभ्यास

- भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास (NATPOLREX-X) शुरू किया।
- यह द्विवार्षिक प्रमुख अभ्यास समुद्री तेल रिसाव घटनाओं से निपटने के लिए भारत की तैयारी का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करता है।

सरकार का रक्षा निर्यात बढ़ाने पर फोकस

प्रसंग: भारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ वार्षिक रक्षा उत्पादन और ₹50,000 करोड़ निर्यात।

◆ रणनीति

- निजी क्षेत्र-DRDO-DPSU साझेदारी।
- रक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से कौशल विकास।
- तेजस, आकाश, पिनाका प्रणालियों का स्वदेशीकरण।
- सरलित खरीद एवं निर्यात नीतियाँ।

सार:

भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में — आत्मनिर्भरता व नवाचार पर आधारित नीति।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)

◆ परिचय

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत 2017 से लागू चरणबद्ध प्रदूषण नियंत्रण ढांचा (2024 में अद्यतन)।

चरण

◆ विशेषताएँ

- IMD/IITM पूर्वानुमान पर आधारित पूर्व-सक्रिय प्रवर्तन।
- चरणबद्ध संचयी कार्रवाई।
- बहु-एजेंसी समन्वय व जवाबदेही।

सार:

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के उछाल को पूर्वानुमान आधारित, डेटा-संचालित प्रबंधन प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने का सशक्त ढांचा।

🌞 ग्रीन क्रैकर्स

◆ परिचय

CSIR-NEERI द्वारा विकसित पर्यावरण-अनुकूल पटाखे — बेरियम नाइट्रेट रहित, जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट, जिओलाइट, आयरन ऑक्साइड जैसे सुरक्षित विकल्प उपयोग किए गए हैं।

◆ विशेषताएँ

- 30-40% तक कम $PM_{2.5}$, SO_2 , NO_x उत्सर्जन।
- QR कोड द्वारा प्रमाणित प्रामाणिकता।
- प्रमुख प्रकार: SWAS, STAR, SAFAL।

✈ सार:

त्योहार की परंपरा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन लाने वाला संक्रमणकालीन नवाचार।

🌞 CHACE-2 पेलोड (चंद्रयान-2)

◆ परिचय

चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगा Neutral Gas Spectrometer, जो चंद्रमा के बाह्य वायुमंडल (Exosphere) का अध्ययन करता है।

◆ खोज

- मई 2024 में सौर CME प्रभाव से चंद्र वायुमंडल में 10 गुना घनत्व वृद्धि दर्ज।
- सौर-चंद्र अंतःक्रिया के मॉडलों की पुष्टि।

✈ सार:

चंद्र वातावरण एवं अंतरिक्ष मौसम की समझ में बड़ा योगदान — भविष्य की चंद्र अभियानों के लिए अहम।

🚢 अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

◆ परिचय

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (1958 में स्थापित) — वैश्विक नौवहन की सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है।
मुख्यालय: लंदन।

◆ कार्य

- SOLAS और MARPOL संधियों की निगरानी।
- समुद्री परिवहन में सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित करना।
- SDG-14 (जल के नीचे जीवन) को बढ़ावा देना।

◆ कार्बन-रहित नौवहन रूपरेखा

- लक्ष्य: 2050 तक नेट-जीरो समुद्री उत्सर्जन।
- उपाय:
 - हरित ईंधन मानक (हाइड्रोजन, अमोनिया)।
 - कार्बन मूल्य निर्धारण।
 - विकासशील देशों हेतु वित्तीय सहायता।

✈ सार:

IMO वैश्विक नौवहन को पेरिस समझौते के अनुरूप हरित दिशा में ले जाने का नेतृत्व कर रहा है।

🌍 नाउरू

◆ परिचय

- स्थान: माइक्रोनेशिया, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत।
- क्षेत्रफल: 21 वर्ग किमी — विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश।
- राजधानी: कोई आधिकारिक राजधानी नहीं; यारेन प्रशासनिक केंद्र है।
- संपदा: फॉस्फेट खनन से समृद्ध (80% भूमि क्षतिग्रस्त)।

◆ महत्व

- अर्थव्यवस्था फॉस्फेट निर्यात, ऑस्ट्रेलियाई सहायता और शरणार्थी पुनर्वास समझौतों पर निर्भर।
- ऑस्ट्रेलिया की प्रवासन एवं क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रमुख साझेदार।

✈ सार:

छोटा लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र — ऑस्ट्रेलिया की प्रशांत क्षेत्रीय कूटनीति का प्रतीक।

MAM01 – मलेरिया के विरुद्ध मोनोक्लोनल एंटीबॉडी

◆ परिचय

University of Maryland द्वारा विकसित MAM01, मलेरिया के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडी।

◆ तंत्र

- *Plasmodium falciparum* के यकृत कोशिकाओं में प्रवेश से पहले निष्क्रिय करना।
- परीक्षण परिणाम: उच्च खुराक समूह में 100% सुरक्षा, सुरक्षित और एकल-खुराक उपचार।

◆ महत्व

- तत्काल और दीर्घकालिक सुरक्षा; वैक्सीन की तुलना में अधिक प्रभावी।
- WHO की *Global Technical Strategy 2025–30* के अनुरूप एक गेम-चेंजर खोज।

सार:

मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी वैज्ञानिक प्रगति — एकल खुराक से दीर्घ सुरक्षा।

संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस (IBR) टीका

- भारत का पहला रक्षा-IBR टीका मवेशियों में IBR बीमारी से लड़ने हेतु लॉन्च।
- IBR के बारे में: बोवाइन हर्पीसवायरस-1 से होता है; बांझपन, गर्भपात, दूध उत्पादन में कमी का कारण।
- टीका: gE-डिलीटेड DIVA मार्कर वैक्सीन; पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2024

- WHO के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2024 से प्रभावी।
- स्वरूप: 196 देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम।
- उद्देश्य: बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण, साथ ही व्यापार/यात्रा में न्यूनतम व्यवधान।
- उत्पत्ति: 19वीं शताब्दी में व्यापार-संबंधी बीमारियों के प्रसार के खिलाफ बनाए गए संगरोध उपायों से।

फिलिपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया:

राजनीतिक विशेषताएँ

- स्थान: दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वीप-देश, पश्चिमी प्रशांत महासागर में।
- जल निकाय: फिलिपींस सागर (पूर्व), सेलेब्स सागर (दक्षिण), सुलु सागर (दक्षिण-पश्चिम), और दक्षिण चीन सागर (पश्चिम व उत्तर)।

भौगोलिक विशेषताएँ

- सर्वोच्च बिंदु: माउंट अपो।
- मुख्य नदियाँ: कगायन नदी (रियो ग्रांडे दे कगायन), मिंडानाओ, अगुसान आदि।
- जलवायु: उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी।

ऑपरेशन फायर ट्रेल

◆ परिचय

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा न्हावा शेवा बंदरगाह पर ₹4.82 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखे जब्त।

◆ उद्देश्य

- *Explosives Rules, 2008* के तहत DGFT और PESO मानदंडों का प्रवर्तन।
- असुरक्षित व प्रदूषणकारी आयातों पर रोक।
- घरेलू आतिशबाजी उद्योग को सशक्त बनाना।

सार:

अवैध चीनी पटाखों पर सख्ती से रोक — आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का समन्वित प्रयास।

🌐 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2025

◆ परिचय

UNDP और OPHI द्वारा जारी रिपोर्ट — “Overlapping Hardships: Poverty and Climate Hazards”।

- परिभाषा: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में बहु-वंचनाओं पर आधारित गरीबी मापदंड।
- कवरेज (2025): 109 देश।
- उद्देश्य: SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) हेतु नीति निर्माण में सहायता।

◆ वैश्विक निष्कर्ष

- गरीब जनसंख्या: 1.1 अरब (18.3%)।
- गंभीर गरीबी: 501 मिलियन ($\geq 50\%$ संकेतकों में वंचन)।
- बाल गरीबी: गरीबों में 51% बच्चे।
- क्षेत्रीय केंद्र: सहारा-दक्षिण अफ्रीका (49%) और दक्षिण एशिया (34%)।
- ग्रामीण क्षेत्र: 83.5% गरीब वहीं निवासरत।
- जलवायु जोखिम: 80% गरीब किसी न किसी जलवायु आपदा क्षेत्र में।
- COVID पश्चात ठहराव: मुद्रास्फीति, संघर्ष, जलवायु संकट से गरीबी घटने की गति रुकी।

◆ भारत की स्थिति

- गरीबी में गिरावट: 55.1% (2005-06) \rightarrow 16.4% (2019-21); 414 मिलियन लोग बाहर निकले।
- मुख्य चुनौतियाँ: बाल पोषण, स्वच्छता, आवास, स्वच्छ ईंधन।
- जलवायु जोखिम: 99% गरीब जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में।
- नीतिगत प्रभाव: स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन मिशन।

◆ नीतिगत सिफारिशें

- गरीबी-जलवायु एकीकृत नीति।
- जिला स्तर पर स्थानीय MPI डैशबोर्ड।
- हरित रोजगार (नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती)।
- लैंगिक एवं बाल-केंद्रित दृष्टिकोण।

🔍 सार:

गरीबी अब जलवायु असुरक्षा से जुड़ गई है। भारत की तेजी से हुई प्रगति आशाजनक है, परंतु जलवायु-स्मार्ट और समावेशी नीति ही स्थायी समाधान दे सकती है।

🐄 ज़ॉम्बी डियर रोग (Chronic Wasting Disease – CWD)

◆ परिचय

- मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला घातक प्रायन रोग, हिरण, एल्क और मूस में पाया जाता है।
- उत्पत्ति: कोलोराडो (1960s); अब 34 अमेरिकी राज्यों में।
- संक्रमण: प्रत्यक्ष संपर्क या दूषित मिट्टी/पौधों से।
- लक्षण: दुर्बलता, समन्वय की कमी, अत्यधिक लार, “ज़ॉम्बी जैसी” चाल।
- स्थिति: कोई इलाज या वैक्सीन नहीं; अभी तक मानव संक्रमण का प्रमाण नहीं।

🔍 सार:

वन्यजीवों को प्रभावित करने वाला गंभीर प्रायन रोग, जो बेहतर जूनोटिक निगरानी और जैव सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।

🧴 ओआरएस (ORS) पर FSSAI आदेश

- “ORS” नाम केवल वही पेय उपयोग कर सकते हैं जो WHO मानकों को पूरा करें।
- WHO-UNICEF फॉर्मूला:
 - NaCl – 2.6 g/L
 - Glucose – 13.5 g/L
 - KCl – 1.5 g/L
 - Trisodium citrate – 2.9 g/L
- विकासक: डॉ. दिलीप महालानबिस (1971)।

'We Rise' पहल (नीति आयोग)

- प्रारंभकर्ता: नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच (WEP) व DP World।
- उद्देश्य: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs को मार्गदर्शन, वैश्विक बाज़ार और साझेदारी के अवसर देना।

FAO और भारत – 80 वर्ष की साझेदारी

- अवसर: विश्व खाद्य दिवस 2025
- स्थापना: 1945 (मुख्यालय – रोम); 195 सदस्य।
- लक्ष्य: वैश्विक भूख उन्मूलन।
- मुख्य रिपोर्टें:
 - विश्व के वनों की स्थिति
 - विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण
 - कृषि की स्थिति

यूनेस्को में पहली अरब महिला डायरेक्टर-जनरल की नियुक्ति

यूनेस्को के बारे में (स्थापना: 1946, मुख्यालय: पेरिस):

सदस्य देश: 194

उद्देश्य: शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर मानवता के साझा मूल्यों को मजबूत करना।


संरचना: जनरल कॉन्फ्रेंस, सचिवालय और कार्यकारी बोर्ड।

डायरेक्टर-जनरल: कार्यकारी बोर्ड द्वारा नामित और जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा 4 वर्षों के लिए नियुक्त (एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति संभव)।

प्रमुख रिपोर्टें:

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट
- ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट

कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS)

 **क्लाइमेट एनालिटिक्स का अध्ययन**

अध्ययन के अनुसार, एशिया में CCS विस्तार से 2050 तक 25 अरब टन अतिरिक्त उत्सर्जन हो सकता है।

CCS तकनीक औद्योगिक या वायुमंडलीय उत्सर्जनों से CO₂ को पकड़कर भूमिगत सुरक्षित भंडारण करती है।

कार्यप्रणाली:


कैप्चर: उत्सर्जनों से CO₂ को अलग और शुद्ध किया जाता है।

परिवहन: संपीड़ित CO₂ को पाइपलाइन, जहाज या टैंकों से स्थानांतरित किया जाता है।

भंडारण: CO₂ को गहरे चट्टानी संरचनाओं में स्थायी रूप से इंजेक्ट किया जाता है।

लाभ: CO₂ उत्सर्जन में कमी और वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने की क्षमता।

अल-होल पुनर्वास सम्मेलन

 **इराक में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित**

अल-होल — उत्तर-पूर्व सीरिया में स्थित एक शरणार्थी शिविर, जहाँ सीरियाई, इराकी और अन्य तीसरे देशों के शरणार्थी रहते हैं।

- सम्मेलन का उद्देश्य पुनर्वास प्रयासों को तेज़ करना था, जिसे UNOCT का सहयोग प्राप्त हुआ।

बायोस्टिमुलेंट्स (Biostimulants)

केंद्र सरकार ने धार्मिक और आहार संबंधी संवेदनशीलताओं को देखते हुए पशु प्रोटीन-आधारित बायोस्टिमुलेंट्स की स्वीकृति वापस ले ली है।

बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं: ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव जो पौधों की वृद्धि को प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को सुधारते हैं और सूखा या गर्मी जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाते हैं।

उदाहरण: ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल का अर्क, कम्पोस्टेड तरल खाद, लाभकारी बैक्टीरिया और फफूंद।

इनका नियमन उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग तरीके से किया जाता है।

सर क्रीक विवाद (Sir Creek Dispute)

भारत ने सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा सैन्य अवसंरचना बढ़ाने पर आपत्ति जताई है।

सर क्रीक के बारे में: यह 96 किमी लंबी ज्वारीय खाड़ी है, जो गुजरात के रण कच्छ (भारत) और सिंध प्रांत (पाकिस्तान) के बीच स्थित है और अरब सागर में मिलती है।

भारत का रुख: सीमा निर्धारण थालवेग सिद्धांत (नौगम्य चैनल की मध्य रेखा) के आधार पर होना चाहिए।

पाकिस्तान का रुख: सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए थालवेग सिद्धांत लागू नहीं होता।

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) – चरण III

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BRCP (2025-26 से 2030-31) को जारी रखने की मंजूरी दी है।

BRCP के बारे में: शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और बहुविषयक बायोमेडिकल शोध को बढ़ावा देना।

क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और वैश्विक प्रभाव वाली शोध क्षमता विकसित करना।

इसे DBT (भारत), वेलकम ट्रस्ट (यूके) और इंडिया अलायंस मिलकर संचालित करेंगे।

एक्सरसाइज़ पैसिफिक रीच 2025 (XPR-25)

भारत ने XPR-25 में भाग लिया — यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है, जिसकी मेज़बानी सिंगापुर ने की और इसमें 40+ देश शामिल हुए।

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम – चरण II

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 11 शहरों के लिए चरण II को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु: वित्त पोषण: 90% केंद्र, 10% राज्य (NDMF मानदंडों के अनुसार)।


शहर: भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर, लखनऊ।


उपाय:

संरचनात्मक: जलाशयों का आपस में जोड़ना, बाढ़ सुरक्षा दीवारें, प्राकृतिक समाधान द्वारा अपरदन नियंत्रण।

गैर-संरचनात्मक: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डेटा संग्रह प्रणाली, क्षमता निर्माण।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025

 **17** भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

 भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीतकर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत इस आयोजन की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बना।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में:

यह पैरालंपिक आंदोलन का सबसे बड़ा खेल है।

पहली प्रतियोगिता: 1952 में आयोजित।


शासी निकाय: इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (IPC)।

पैरालंपिक खेल – हर 4 वर्ष में।

वर्ल्ड चैंपियनशिप – हर 2 वर्ष में।

ग्रां प्री – प्रतिवर्ष (2013 से)।

सिक्क्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT)


 **17** सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा

STT एक प्रत्यक्ष कर है, जो भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए प्रतिभूति लेनदेन पर लगाया जाता है।

वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लागू किया गया।

उद्देश्य: प्रतिभूति बाजार में कर चोरी को रोकना।

खारकीव और पोल्तावा पर हमले


 **17** रूस-यूक्रेन संघर्ष में तेज़ी

रूस ने यूक्रेन के गैस स्थलों पर, विशेष रूप से खारकीव और पोल्तावा में, भारी हमले किए।

अन्य प्रभावित क्षेत्र: डोनेट्स्क, लुहांस्क, सुमी, खेरसोन, मायकोलाइव, इनिप्रो, ज़ापोरिज़िया, चेर्नोहिव।

ज़ापोरिज़िया विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है।

तिब्बत में बर्फ़ीला तूफ़ान (Blizzard)

 **17** कई पर्वतारोही और ट्रेकर्स फंसे


अचानक आए बर्फ़ीले तूफ़ान में कई ट्रेकर्स और पर्वतारोही दूरस्थ शिविरों में फँस गए।

ब्लिज़ार्ड तीव्र शीतकालीन तूफ़ान होते हैं, जिनमें तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़बारी होती है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है।

ये आमतौर पर किसी तूफ़ान प्रणाली के उत्तर-पश्चिम हिस्से में दबाव के तीव्र अंतर के कारण बनते हैं।

प्रभाव: सड़क दुर्घटनाएँ, शीतदंश (frostbite), हाइपोथर्मिया आदि।

टाइफून मैटमो ने चीन को प्रभावित किया

 **17** युन्नान और ग्वांगडोंग प्रांतों में असर

टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है।

इसे क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है:

Cyclones – हिंद महासागर

Hurricanes – अटलांटिक

Willy-willies – पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

अनुकूल परिस्थितियाँ:

समुद्री सतह का तापमान 27°C से अधिक

कोरिओलिस बल की उपस्थिति

ऊर्ध्वाधर पवन गति में कम भिन्नता

पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र

🌱 प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता (PMDA)

- रूस की निचली संसद ने अमेरिका के साथ 2000 में हस्ताक्षरित PMDA से हटने को मंजूरी दे दी है।
- समझौते में दोनों देशों ने 34 मीट्रिक टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करने का वादा किया था।
- रूस ने 2016 में ही अमेरिकी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इसका क्रियान्वयन निलंबित कर दिया था।
- प्लूटोनियम (परमाणु संख्या 94): रेडियोधर्मी, उच्च गलनांक, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व।
- उद्देश्य: प्लूटोनियम को सुरक्षित रूपों (जैसे MOX ईंधन) में बदलना या रिएक्टर में विकिरणित करना।

🌞 प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)

- भारत अब PM-KUSUM योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देगा, ताकि इसका मॉडल विकासशील देशों में भी लागू किया जा सके — इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के माध्यम से।
- 🏛️ मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- 🚀 शुरुआत: 2019 / 🎯 लक्ष्य: मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना

घटक:

- (A) 10,000 मेगावाट क्षमता के लघु सौर संयंत्र स्थापित करना
- (B) स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप
- (C) ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरकरण

🌍 ग्रेट ग्रीन वॉल पहल (अफ्रीका)

- 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य:
- 10 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि की बहाली
- 25 करोड़ टन कार्बन का अवशोषण
- 2030 तक 1 करोड़ हरित नौकरियाँ सृजित करना
- यह पहल साहेल क्षेत्र (सहारा रेगिस्तान के किनारे, सेनेगल से जिबूती तक) में मरुस्थलीकरण, सूखा, अकाल, संघर्ष और पलायन जैसी समस्याओं के समाधान के रूप में कार्यरत है, हालांकि इसे क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ झेलनी पड़ रही हैं।

🐾 हिम तेंदुए – आनुवंशिक विविधता में कमी

- अध्ययन में पाया गया है कि हिम तेंदुओं में आनुवंशिक विविधता बहुत कम है, जिसका कारण हालिया इनब्रीडिंग नहीं बल्कि उनकी दीर्घकालिक छोटी जनसंख्या है।
- 🧬 महत्व: आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल बनने और जीवित रहने में मदद करती है।
- 🌍 भौगोलिक विस्तार: दक्षिण और मध्य एशिया के 12 देशों के पर्वतीय क्षेत्रों में।
- भारत में: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
- 🛡️ स्थिति:
- IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Vulnerable)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध
- लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु

🌻 विशेषताएँ: एकाकी, नहीं दहाड़ते, प्रातः और सांध्यकाल में अधिक सक्रिय।

- 🌱 एग्रीनिक्स कार्यक्रम
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एग्रीनिक्स कार्यक्रम के तहत तकनीक के हस्तांतरण की घोषणा की है।
- यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, तैनाती, प्रदर्शन और व्यावसायीकरण पर केंद्रित है।
- नोडल एजेंसी: सी-डैक, कोलकाता

मॉस्को फ़ॉर्मेट

- 7वें मॉस्को फ़ॉर्मेट बैठक में तालिबान अधिकारियों ने पहली बार औपचारिक रूप से भाग लिया।
- परिचय:
- स्थापित: 2017 में – अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय मंच।
- सदस्य: भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, कज़ाख़स्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।

आर्द्रभूमि संरक्षण – फुताला झील मामले

- सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुताला झील को आर्द्रभूमि (Wetland) घोषित करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह सिंचाई के लिए मानव निर्मित जलाशय है।
- मुख्य बिंदु:
- आर्द्रभूमि नियम, 2017 में सिंचाई, जलीय कृषि, मनोरंजन हेतु बनाए गए जलाशय, नदी चैनल, धान के खेत, और वन/वन्यजीव/तटीय विनियमन अधिसूचना क्षेत्रों की आर्द्रभूमियाँ शामिल नहीं हैं।
- ऐसे जलाशयों को लोक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine) और अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।

CBIC – IFSC कोड का स्वचालित अनुमोदन

- CBIC ने IFSC पंजीकरण के लिए सिस्टम-आधारित ऑटो-अप्रूवल की सुविधा शुरू की है ताकि कारोबार करना आसान हो सके।
- IFSC के बारे में:
- 11 अंकों का कोड, RBI द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा को दिया जाता है (जैसे NEFT लेन-देन)।
- SWIFT कोड अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण में उपयोग होता है।
- CBIC के बारे में:
- वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत।
- 1964 में Central Board of Excise & Customs के रूप में स्थापित; 2018 में नाम बदलकर CBIC किया गया।
- कस्टम, उत्पाद शुल्क, GST, IGST व तस्करी-रोधी नीतियाँ बनाना इसका कार्य है।

ऑपरेशन HAECHI-VI (इंटरपोल)

- CBI ने 8 साइबर अपराधियों को इंटरपोल के ऑपरेशन HAECHI-VI के तहत गिरफ्तार किया, जिसका समर्थन दक्षिण कोरिया ने किया।
- परिचय:
- यह HAECHI श्रृंखला का छठा चरण है, जो अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय अपराधों पर केंद्रित है।
- उद्देश्य: अवैध धन प्रवाह रोकना, अपराधियों को पकड़ना, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- लक्षित अपराध: निवेश धोखाधड़ी, रोमांस स्कैम, ऑनलाइन जुआ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेल (sextortion), वॉइस फ़िशिंग।

पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक ऋण, कुल ₹10,907 करोड़, स्वीकृत किए हैं।
- मुख्य विशेषताएँ:
- लक्ष्य: 1 करोड़ घरों को हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर पैनल के ज़रिए।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है।
- आवासीय घरों और हाउसिंग सोसाइटी/आरडब्ल्यूए को सब्सिडी, और विशेष राज्यों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी।

पोलर सिल्क रूट

- एक चीनी जहाज़ ने आर्कटिक महासागर के रास्ते पोलर सिल्क रोड की शुरुआत की।
- परिचय:
- घोषित: 2018, चीन की पहली आर्कटिक नीति श्वेत पत्र में।
- उत्तर अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को आर्कटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है।
- लक्ष्य: नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना और “ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर” बनाना।

WISPI 2b – प्रोटोप्लानेट की खोज

- खगोलविदों ने WISPI 2b को सीधे इमेज किया — एक गैस दानव ग्रह, जो बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 5 गुना और केवल 50 लाख वर्ष पुराना है।
- महत्व:
- यह पहली प्रत्यक्ष पुष्टि है कि प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में दिखाई देने वाली दरारें वास्तव में ग्रहों द्वारा ही बनती हैं।
- इसका नाम शोध कार्यक्रम ‘Wide Separation Planets In Time (WISPI)’ पर रखा गया है।

INS अंद्रोथ का जलावतरण

- भारतीय नौसेना ने INS अंद्रोथ को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर कमीशन किया।
- परिचय:
- यह INS अर्नाला के बाद दूसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है।
- GRSE, कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे 8 ASW-SWC में से एक।
- नाम लक्षद्वीप समूह के उत्तरीतम अंद्रोथ द्वीप पर रखा गया।
- क्षमताएँ: समुद्री निगरानी, खोज व बचाव, तटीय एवं पनडुब्बी रोधी अभियान, और LIMO मिशन।

सिद्दी जनजातीय समुदाय

- स्थिति: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)
- साक्षरता दर: 72% से अधिक
- अन्य नाम: हब्शी, बादशाह
- उत्पत्ति: अफ्रीकी मूल के लोग, 7वीं सदी में अरब व्यापारियों व 16वीं सदी में पुर्तगालियों और ब्रिटिश के साथ भारत आए, अधिकतर दास के रूप में।
- स्थान: गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र (भारत का पश्चिमी तट)।
- पेशा: पारंपरिक रूप से शिकारी-संग्राहक; वर्तमान में कृषि श्रमिक और दैनिक मज़दूर।
- मान्यता: भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध।

बामियान बुद्ध प्रतिमाएँ

- स्थान: मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में।
- निर्माण काल: 6वीं शताब्दी / ऊँचाई: 115 फीट और 174 फीट।
- कला शैली: गांधार बौद्ध कला — मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण।
- विनाश: 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट।
- यूनेस्को मान्यता: 2003 में बामियान घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

◆ आर्थिक अवसर

यदि भारत इन अग्रणी तकनीकों को समय पर नहीं अपनाता, तो 2035 तक लगभग 270 अरब अमेरिकी डॉलर की संभावित विनिर्माण GDP का नुकसान हो सकता है।

◆ रूपांतरण रूपरेखा (Transformation Framework)

- यह रूपांतरण चार अग्रणी प्रौद्योगिकी स्तंभों पर आधारित है — नवाचार, एकीकरण, दक्षता, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित।

समाचार में स्थान: तुर्किये (राजधानी – अंकारा)

तुर्किये के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया।

◆ राजनीतिक विशेषताएँ

- स्थिति: एक महाद्वीपीय देश, जो आंशिक रूप से एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है।
- सीमाएँ:
 - उत्तर-पूर्व: जॉर्जिया, आर्मेनिया
 - उत्तर-पश्चिम: ग्रीस, बुल्गारिया
 - पूर्व: अज़रबैजान, ईरान
 - दक्षिण-पूर्व: इराक, सीरिया
- जल निकाय: उत्तर में काला सागर (Black Sea), दक्षिण-पश्चिम में भूमध्य सागर (Mediterranean Sea), और पश्चिम में एजियन सागर (Aegean Sea) से घिरा है।

◆ भौगोलिक विशेषताएँ

- मुख्य नदियाँ: यूफ्रेटीस (Euphrates), टिगरिस (Tigris)।
- सर्वोच्च पर्वत: माउंट एरारात (Mount Ararat) – ऊँचाई 5,165 मीटर।
- मुख्य जलडमरूमध्य: बोस्फोरस (Bosphorus) और डार्डनेल्स (Dardanelles)।
- मरमरा सागर (Sea of Marmara): एक आंतरिक सागर, जो काला सागर और एजियन सागर को इन जलडमरूमध्यों के माध्यम से जोड़ता है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit – EAS)

20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने शांति और स्थिरता पर कुआलालंपुर घोषणा को अपनाया, जिसका उद्देश्य EAS कार्य योजना (2024–2028) के तहत ASEAN 2045: आवर शेयर्ड फ्यूचर (Our Shared Future) दृष्टि के अनुरूप संयुक्त परियोजनाओं को लागू करना है।

◆ EAS के बारे में

- स्थापना: 2005; पहली बैठक कुआलालंपुर, मलेशिया में हुई।
- स्वरूप: एक वार्षिक नेता-स्तरीय मंच, जो पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- सदस्य: आसियान देश, तथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी है।

◆ विवरण:

- एक अस्थायी निकाय, जिसमें अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और सदस्य-सचिव शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा कर सिफारिशें देना है।
- आयोग को 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी; सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना।
- आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, पेंशन लागत और सार्वजनिक-निजी वेतन समानता जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा।

अमेज़नफेस परियोजना (AmazonFACE Project – ब्राज़ील)

ब्राज़ील में वैज्ञानिकों ने अमेज़नफेस (Free-Air CO₂ Enrichment) परियोजना का शुभारंभ किया है, जो मनौस (Manaus) के पास स्थित है।

◆ उद्देश्य: भविष्य के वायुमंडलीय हालातों का अनुकरण (Simulation) कर यह अध्ययन करना कि अमेज़न वर्षावन बढ़ते CO₂ स्तरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है।

यह परियोजना कार्बन अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) और वनों की लचीलापन (Resilience) का अध्ययन करती है, जिसमें हर 10 मिनट पर CO₂ अवशोषण की निरंतर निगरानी की जाती है।

🇲🇵 मेडागास्कर (राजधानी: एंटानानारिवो)

Gen Z के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार गिर गई।

♦ राजनीतिक व भौगोलिक विशेषताएँ

- हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश; अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट के पास।
- समुद्री पड़ोसी: कोमोरोस, फ्रांस (मायोटे व रीयूनियन), मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स।
- विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप; 90% जैव विविधता स्थानिक।

☀️ भारतीय मानसून में भूमिका

- दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत मेडागास्कर के पास होती है; *Mascarene High* से आने वाली दक्षिण-पूर्वी हवाएँ भूमध्य रेखा पार कर नमी से भरी दक्षिण-पश्चिमी हवाओं में बदल जाती हैं, जो भारत पहुंचती हैं।

🌸 इज़राइल-गाज़ा शांति समझौता

48 बंधकों की रिहाई और गाज़ा सिटी से इज़रायली सैनिकों की “पीली रेखा” तक वापसी के साथ दो साल लंबे युद्ध में बड़ा मोड़ आया।

- युद्ध की शुरुआत: 7 अक्टूबर 2023
- समझौता: अमेरिकी राष्ट्रपति की 20-सूत्रीय योजना पर आधारित — संघर्षविराम, इज़रायली वापसी व सभी बंधकों की रिहाई।
- मध्यस्थ: अमेरिका, मिस्र, क़तर, तुर्की।

🇮🇳 भारत का रुख

- क्षेत्रीय स्थिरता के लिए शांति प्रयासों का स्वागत।
- इज़राइल, फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ संतुलित पश्चिम एशिया नीति को दोहराया।

📝 विश्वास योजना

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में विलंबित जमा पर दंड को तार्किक बनाकर मुकदमों में कमी लाने हेतु “विश्वास योजना” शुरू की गई।

- लॉन्च: केंद्रीय भविष्य निधि ट्रस्टी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में।
- अवधि: 6 माह (विस्तार योग्य)।

📉 मुद्रास्फीति

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI आधारित) जून 2017 के बाद के न्यूनतम स्तर पर आ गई है — मुख्यतः आधार प्रभाव व खाद्य कीमतों में कमी के कारण।

हालांकि, कोर मुद्रास्फीति दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है — सोने व चांदी की कीमतों में वृद्धि के चलते।

♦ मुद्रास्फीति के बारे में

- CPI मासिक मूल्य परिवर्तनों को मापता है।
- जारीकर्ता: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।
- कोर मुद्रास्फीति में खाद्य व ऊर्जा शामिल नहीं।
- RBI का लक्ष्य: $4\% \pm 2\%$ ।

⚓ पोर्ट पासनी – पाकिस्तान-अमेरिका समझौता

पाकिस्तान ने अमेरिका को पोर्ट पासनी के विकास व संचालन का अवसर दिया है — जिसे अमेरिकी क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुँच का प्रवेशद्वार माना जा रहा है।

📍 स्थान: ग्वादर ज़िला, बलूचिस्तान, अरब सागर तट पर।

- चीन संचालित ग्वादर पोर्ट से ~70 मील; ईरान के चाबहार से 178 मील दूर।
- दक्षिण-पश्चिम-मध्य एशिया के व्यापार मार्गों के लिए रणनीतिक केंद्र।

कफ सिरप में प्रदूषक:

- राजस्थान सरकार ने डेक्स्ट्रोमैथॉर्फान (*Dextromethorphan*) युक्त कफ सिरप के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- डेक्स्ट्रोमैथॉर्फान एक ओपिऑइड खांसी दबाने वाली दवा है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है।
- डायथिलीन ग्लाइकोल (*DEG*) और एथिलीन ग्लाइकोल (*EG*) की मिलावट को लेकर भी चिंता जताई गई है — ये विषैले औद्योगिक सॉल्वेंट हैं, जिन्हें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल (दवा को तरल में घोलने वाला सुरक्षित सॉल्वेंट) के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- *DEG* और *EG* का उपयोग ब्रेक फ्लुइड, एंटीफ्रीज़, पेंट्स आदि में होता है और ये जहर एवं गुर्दे की विफलता का कारण बन सकते हैं।

स्टेबलकॉइन्स (*Stablecoins*)

- वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेबलकॉइन्स वैश्विक मुद्रा और पूंजी प्रवाह की दिशा को बदल रहे हैं, और देशों को नई मौद्रिक प्रणालियों को अपनाना होगा, अन्यथा वे हाशिये पर चले जाएंगे।
- परिभाषा: ऐसी क्रिप्टोकॉइन्स जो स्थिर परिसंपत्तियों (जैसे फिएट मुद्राएं, मुद्रा टोकरी या सोना) से जुड़ी होती हैं।
- महत्व: कम उतार-चढ़ाव; तेज़ और किफायती सीमा-पार लेन-देन की सुविधा।
- जोखिम: वित्तीय स्थिरता को खतरा; यदि कई निवेशक एक साथ निकासी करें तो रन रिस्क उत्पन्न हो सकता है।

मड वॉल्केनो विस्फोट — बराटांग द्वीप

- अंडमान और निकोबार के बराटांग द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो 20 साल बाद फटा है।
- यह तब बनता है जब कीचड़, पानी और गैसों (मुख्य रूप से मीथेन) सतह पर फूटती हैं, जिससे ज्वालामुखी जैसे शंक्वाकार ढांचे बनते हैं।
- ये आमतौर पर प्राकृतिक गैस से समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनका विस्फोट टेक्टोनिक दबाव या हाइड्रोकार्बन गैस के जमाव से होता है।

कैसिनी और एन्सेलाडस

- नासा के कैसिनी यान ने शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस की बर्फीली फुहारों में जटिल कार्बनिक अणुओं के नए साक्ष्य खोजे हैं, जो वहां जीवन की संभावनाओं को मजबूत करते हैं।
- कैसिनी मिशन: नासा-ESA-ASI का संयुक्त मिशन, जिसका उद्देश्य शनि, उसकी वलय प्रणाली और उपग्रहों का अध्ययन था। इसमें ह्यूजेस प्रोब भी शामिल था।
- एन्सेलाडस: शनि के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ; सौरमंडल का सबसे चमकीला और परावर्तक पिंड।

‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर देशव्यापी उत्सव मनाने की घोषणा की है।
- उत्पत्ति: संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित, पहली बार 1882 में आनंदमठ में प्रकाशित।
- 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के समान दर्जा दिया गया।
- थीम: माँ भारती को समर्पित गीत जो भक्ति, साहस और एकता को प्रेरित करता है।
- इसे 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया था।

ओआरएस (ORS) पर FSSAI आदेश

- “ORS” नाम केवल वही पेय उपयोग कर सकते हैं जो WHO मानकों को पूरा करें।
- WHO-UNICEF फॉर्मूला:
 - NaCl – 2.6 g/L
 - Glucose – 13.5 g/L
 - KCl – 1.5 g/L
 - Trisodium citrate – 2.9 g/L
- विकासक: डॉ. दिलीप महालानबिस (1971)।





‘We Rise’ पहल (नीति आयोग)

- प्रारंभकर्ता: नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच (WEP) व DP World।
- उद्देश्य: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs को मार्गदर्शन, वैश्विक बाज़ार और साझेदारी के अवसर देना।



FAO और भारत – 80 वर्ष की साझेदारी

- अवसर: विश्व खाद्य दिवस 2025
- स्थापना: 1945 (मुख्यालय – रोम); 195 सदस्य।
- लक्ष्य: वैश्विक भूख उन्मूलन।
- मुख्य रिपोर्टें:
 - विश्व के वनों की स्थिति
 - विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण
 - कृषि की स्थिति

वैश्विक बिजली – मध्य वर्ष रिपोर्ट 2025

- ऊर्जा थिंक टैंक Ember की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में नवीकरणीय ऊर्जा ने कोयले को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत बनने का कीर्तिमान बनाया।
-  मुख्य निष्कर्ष
-  जीवाश्म ईंधन में कमी: चीन और भारत में स्वच्छ ऊर्जा की वृद्धि ने माँग को पार कर लिया, जिससे कोयला आधारित बिजली में गिरावट आई।
-  उत्सर्जन: वैश्विक बिजली की माँग में 2.6% वृद्धि के बावजूद, चीन में 46 MtCO₂ और भारत में 24 MtCO₂ की कमी दर्ज की गई, जबकि EU और अमेरिका में उत्सर्जन बढ़ा।
-  स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ वृद्धि: सौर ऊर्जा में +25% और पवन ऊर्जा में +29% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BGs)

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) ने e-बैंक गारंटी के लिए डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन को एकीकृत करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
-  NeSL के बारे में: भारत की पहली इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी (IU), IBBI में पंजीकृत, जो ऋणों और दावों के लिए कानूनी साक्ष्य का भंडार है।
-  e-BGs के लाभ:
- बैंक गारंटी जारी करने में भौतिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता समाप्त।
- जारी करने और वितरण की प्रक्रिया का समय घटता है।
- बैंक गारंटी एक वित्तीय साधन है जो अनुबंध न निभाने पर लाभार्थी को भुगतान की गारंटी देता है।

ब्राज़ील (राजधानी: ब्रासीलिया)

भारत-ब्राज़ील बिज़नेस डायलॉग में ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति की उपस्थिति रही।

राजनीतिक विशेषताएं

- दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश।
- सीमाएं: लगभग सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से (चिली व इक्वाडोर को छोड़कर)।
 - दक्षिण-पश्चिम: अर्जेंटीना, पराग्वे
 - पश्चिम: बोलिविया, पेरू
 - उत्तर-पश्चिम: कोलंबिया
 - उत्तर: वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना
- तटरेखा: अटलांटिक महासागर।

भौगोलिक विशेषताएं

- विश्व के सबसे बड़े अमेज़न बेसिन का अधिकांश भाग शामिल।
- पम्पास (सूखी घासभूमि) और पैटानाल — विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र।
- मुख्य नदी प्रणालियाँ: अमेज़न, पराग्वे-पराना-प्लाटा, टोकैंटिन्स-अरागुआया, साओ फ्रांसिस्को।

Mercosur

- भारत व ब्राज़ील ने **Mercosur** के साथ **PTA** को विस्तृत करने पर सहमति दी।
- **स्थापना:** 1991 / **मुख्यालय:** मोंटेवीडियो, उरुग्वे
- **सदस्य:** अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे (वेनेजुएला निलंबित)
- **भूमिका:** मुक्त व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला दक्षिण अमेरिकी व्यापार ब्लॉक; सामान्य बाहरी शुल्क के साथ कस्टम यूनियन।

UPOV कन्वेंशन

- **FTAs** के तहत देशों पर **UPOV 1991** मानक अपनाने का दबाव।
- **स्थापना:** 1961 / **मुख्यालय:** जेनेवा
- पौध प्रजाति संरक्षण व ब्रीडर अधिकारों को बढ़ावा।
- **1991 कन्वेंशन:** ब्रीडर अधिकारों को मजबूत करता है; बीज बचत का अधिकार वैकल्पिक।
- **भारत:** सदस्य नहीं; अपना **PPVFR** अधिनियम (2001) लागू।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030

- **अहमदाबाद** को शताब्दी संस्करण की मेज़बानी के लिए अनुशंसित किया गया।
- **प्रथम आयोजन:** 1930 (हैमिल्टन, कनाडा)
- **हालिया:** 2022 (बर्मिंघम) / **अगला:** 2026 (ग्लासगो)
- **मुख्यालय:** लंदन / **सदस्य:** 72 देश व क्षेत्र
- **प्रकृति:** बहु-खेल आयोजन, हर 4 वर्ष में।

डोपामिन व डिजिटल तकनीक

- डिजिटल प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन, लाइक व रिवॉर्ड लूप से डोपामिन रिलीज़ को ट्रिगर कर **आदत-निर्माण व लत** को बढ़ाते हैं।
- डोपामिन प्रेरणा, आनंद व रिवॉर्ड से जुड़ा “फील-गुड” न्यूरोट्रांसमीटर है।

🔧 पदार्थ का नया चरण: टाइम रॉडो क्रिस्टल (TRC)

वैज्ञानिकों ने एक नए क्वांटम चरण की पहचान की है जो समय में पैटर्न दिखाता है — आंशिक रूप से व्यवस्थित, आंशिक रूप से यादृच्छिक — जो पारंपरिक क्रिस्टलों से अलग है।

- कहां देखा गया: हीरे में नाभिकीय स्पिनों पर नियंत्रित परिस्थितियों में।
- महत्व: क्वांटम कंप्यूटिंग और समय-संवेदनशील तकनीक के लिए संभावनाएं।

🇮🇳 भारत ने इंडोनेशिया को प्रुशियन ब्लू कैप्सूल भेजे

भारत ने सीज़ियम-137 प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए इंडोनेशिया को प्रुशियन ब्लू कैप्सूल की आपूर्ति की।

- कार्य: रेडियोधर्मी सीज़ियम और थैलियम से आंतों में बंधकर उनके अवशोषण को रोकते हैं और विकिरण जोखिम घटाते हैं।

🇮🇳 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

- भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर फिसला।
- शीर्ष स्थान: सिंगापुर के पासपोर्ट ने बनाए रखा।

इंडेक्स के बारे में:

- हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा IATA के डेटा पर आधारित।
- पासपोर्टों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है — जो कूटनीतिक ताकत और वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।

🏆 भारत के स्वर्ण भंडार \$100 बिलियन पार

RBI डेटा: \$102.3 बिलियन — विदेशी मुद्रा भंडार का 15% हिस्सा।

💰 बढ़ोतरी के कारण

- डॉलर निर्भरता घटाना
- जोखिम नियंत्रण
- मुद्रास्फीति से बचाव
- सुरक्षित निवेश विकल्प

⚠️ जोखिम

- कम तरलता
- ब्याज न मिलना
- उच्च भंडारण लागत

🏠 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक

- विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ
- स्वर्ण भंडार
- IMF हिस्सेदारी
- विशेष आहरण अधिकार (SDR)
- रिज़र्व ट्रेंच पोज़िशन (RTP)

🇧🇷 वेनेज़ुएला

- राजधानी: काराकस
- सीमाएँ: उत्तर-कैरेबियन सागर, पूर्व-गयाना, दक्षिण-ब्राज़ील, पश्चिम-कोलंबिया
- भूगोल: उष्णकटिबंधीय जलवायु, ओरिनोको नदी, एंजेल फॉल्स (दुनिया का सबसे ऊँचा झरना)।
- संसाधन: विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार।

⚡ IEA की रिपोर्ट “Delivering Sustainable Fuels: Pathways to 2035”

- मुख्य विषय: जैव ईंधन, बायोगैस, हाइड्रोजन आदि से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना।
- मुख्य निष्कर्ष:
 - 2035 तक सतत ईंधनों का उपयोग 4 गुना तक बढ़ेगा।
 - तेल मांग में 2.5 मिलियन बैरल/दिन की कमी।
 - 6 प्रमुख कदम: क्षेत्रीय नीतियाँ, कार्बन पारदर्शिता, नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला, वित्त तक पहुँच।

रोटावायरस वैक्सीन (Rotavac)

- प्रकार: मौखिक, जीवित, तरल वैक्सीन।
- विकास: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत बायोटेक, *NIH* (अमेरिका)।
- महत्व: बच्चों में डायरिया रोकने में प्रभावी।

बथौ धर्म – बोडो समुदाय

- मान्यता: आगामी जनगणना में अलग कोड।
- अर्थ: पाँच तत्व – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
- मुख्य देवता: बथौ ब्राय (सिजौ पौधे द्वारा प्रतीकित)।

मिस्र (राजधानी: काहिरा)

भारत ने गाज़ा शिखर सम्मेलन के लिए मंत्री को मिस्र भेजा।

- स्थान: उत्तर-पूर्वी अफ्रीका (सिनाई प्रायद्वीप एशिया में)
- सीमाएं: पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान, उत्तर-पूर्व में इज़राइल और गाज़ा पट्टी, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर।
- मुख्य नदी: नील (1500 किमी) – डेल्टा काहिरा से भूमध्य सागर तक।
- मरुस्थल: पश्चिमी (अल-सहरा अल-गरबियाह), पूर्वी (अल-सहरा अल-शर्कियाह)
- सबसे ऊँची चोटी: माउंट कैथरीन (2,642 मीटर)

IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4

- चौथी रिपोर्ट में प्राकृतिक एवं मिश्रित विरासत स्थलों की स्थिति का आकलन।
- वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संरक्षण दृष्टिकोण वाले स्थलों का प्रतिशत पहली बार घटा।

भारत

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान: एकमात्र स्थल 'अच्छा' रेटेड।
- सुंदरबन: 'कुछ चिंताओं के साथ अच्छा' → 'महत्वपूर्ण चिंता' (2020-2025)।
- मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी 'महत्वपूर्ण चिंता' श्रेणी में।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन – महाराष्ट्र के समुद्र तट

- प्रमाणित समुद्र तट: श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर, लाडघर
- प्रमाणन संस्था: FEE (डेनमार्क)
- मानक: 33 मापदंड – स्वच्छता, स्थिरता, सुरक्षा, पहुंच एवं पर्यावरण शिक्षा।
- महत्व: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण-मैत्री लेबल।

अस्ट्रेलिया 2025

- भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण
- स्थान: ऑस्ट्रेलिया
- उद्देश्य: सैन्य सहयोग और पारस्परिक संचालन क्षमता को मज़बूत करना।

भारतीय भेड़िया (*Canis lupus pallipes*)

- IUCN मान्यता: कैनिस वंश की एक अलग प्रजाति (आठवीं) के रूप में।
- आवास: भारत के शुष्क/अर्ध-शुष्क घास के मैदान, झाड़ीदार वनों में; कुछ पाकिस्तान में।
- खतरे: आवास क्षति, मानव संघर्ष, बीमारियाँ।
- स्थिति: संकटग्रस्त (*Vulnerable*)।

📌 केंटन आर. मिलर पुरस्कार

- पुरस्कार विजेता: काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक — पहले भारतीय विजेता।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में नवाचार व नेतृत्व को सम्मानित करना।
- संस्था: IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ (WCPA)
- स्थापना: 2006, द्विवार्षिक।

🌴 थीटू द्वीप (पग-आसा)

- स्थान: स्प्रेटली द्वीप समूह, दक्षिण चीन सागर
- घटना: चीनी और फिलीपीन जहाज़ों की टक्कर
- महत्व: क्षेत्रीय विवादों का केंद्र

📌 ड्यूरंड रेखा

- परिभाषा: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,640 किमी लंबी सीमा
- इतिहास: 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित
- वर्तमान: सीमा पर झड़पें और विवाद जारी

🌿 संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN रिपोर्ट

- IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग (WCPA) ने जलवायु शमन को संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में एकीकृत करने पर एक रिपोर्ट जारी की है।
- 30% भूमि की रक्षा से 500 अरब टन कार्बन को वनस्पति और मिट्टी में सुरक्षित रखा जा सकता है।
- 30% महासागरों की रक्षा से पेरिस समझौते के 20% उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

🚧 नाटो पाइपलाइन सिस्टम (NPS)

- पोलैंड नाटो पाइपलाइन सिस्टम से जुड़ने जा रहा है।
- शीत युद्ध के दौरान नाटो बलों को ईंधन आपूर्ति के लिए बनाया गया था।
- उद्देश्य: नाटो अभियानों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण।
- विस्तार: 12 देशों में फैला नेटवर्क जो डिपो, एयर बेस, एयरपोर्ट, रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन को जोड़ता है।

🌱 नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस भंग

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत 2021 में शुरू हुई नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस को कई सदस्य बैंकों के बाहर निकलने के बाद भंग कर दिया गया है।
- इसका उद्देश्य बैंकों को अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो का कार्बन फुटप्रिंट घटाने और 2050 तक नेट-ज़ीरो अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना था।

📌 आदिवासी ग्राम दृष्टि 2030 घोषणा

- 1 लाख आदिवासी गांवों और टोलों ने आदिवासी ग्राम दृष्टि 2030 घोषणा को आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान अपनाया, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था।
- यह समुदायों को विकास के सह-निर्माता के रूप में सशक्त बनाती है और नागरिकों की आवाज़ को भविष्य निर्माण में केंद्र में लाती है।
- मुख्य क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा एवं समुदाय-आधारित विकास।
- प्रत्येक गांव में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो सिंगल-विंडो नागरिक सेवा केंद्र के रूप में काम करेंगे।

ट्रैकोमा – फिजी ने की बीमारी पर विजय

- फिजी दुनिया का 26वां देश बना जिसने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया।
- कारण: क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस (*Chlamydia trachomatis*) बैक्टीरिया।
- संक्रमण का तरीका: व्यक्तिगत संपर्क, मस्त्रियाँ, या दूषित सतहें।
- प्रभाव: बार-बार संक्रमण → पलकों में निशान → पलकों का अंदर मुड़ना → अंधापन।
- भारत की स्थिति: भारत ने भी ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से समाप्त कर दिया है।

टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026

- वैश्विक शीर्ष स्थान: यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड (लगातार 10वां वर्ष)।
- भारत: आईआईएससी बेंगलुरु ने 201-250 बैंड में अपनी स्थिति बनाए रखी है।
- कार्यप्रणाली: शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से संबंधित 18 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित।

SAKSHAM – स्वदेशी एंटी-ड्रोन प्रणाली

- भारतीय सेना ने BEL के सहयोग से विकसित SAKSHAM CUAS ग्रिड सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की।
- प्रणाली: सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क पर आधारित मॉड्यूलर कमांड एवं कंट्रोल प्लेटफॉर्म।
- क्षमता: शत्रु ड्रोन को वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और निष्क्रिय करने में सक्षम।
- कवरेज: 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊँचाई तक का क्षेत्र।

Rhodamine B का पता लगाने में नई सफलता

वैज्ञानिकों ने “कॉफी-रिंग प्रभाव” और नैनो-प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विषैले rhodamine B का पता लगाने की एक संवेदनशील विधि विकसित की है।

- कॉफी-रिंग प्रभाव: द्रव बूंद में घुलित पदार्थ किनारे की ओर खिंच जाते हैं।
- Rhodamine B: चमकीला गुलाबी रंग, कपड़ा, कागज, चमड़ा उद्योगों में प्रयुक्त।
 - विषैला, त्वचा/आँखों/श्वसन तंत्र को हानि; कैंसरकारी।
 - पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है।
 - खाद्य व कॉस्मेटिक में प्रतिबंधित।

कोरल रीप्स का “टिपिंग पॉइंट”

गर्म पानी के कोरल रीप्स अपने तापीय सीमा-बिंदु को पार कर चुके हैं — जिससे अपरिवर्तनीय क्षरण शुरू हो गया है।

◆ IPCC के अनुसार टिपिंग पॉइंट

- वह महत्वपूर्ण सीमा जिसके पार प्रणाली में अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है।
- परस्पर जुड़ी प्रणालियों में श्रृंखलाबद्ध विफलताओं का खतरा — जिससे ग्रह की स्थिरता पर संकट।
- जोखिम में अन्य प्रणालियाँ: अमेज़न वर्षावन, AMOC, उप-ध्रुवीय जलवृत्त, पर्माफ्रॉस्ट, पर्वतीय हिमनद।

RBI की प्रमुख पहलें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए:

- एकीकृत ऋण इंटरफेस (ULI): विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्रित कर बेहतर क्रेडिट आकलन व डिलीवरी हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।
- CBDC रिटेल सैंडबॉक्स: फिनटेक कंपनियों को डिजिटल मुद्रा के उपयोग मामलों का परीक्षण व नवाचार की सुविधा।
- डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स (CDs) का टोकनकरण: ब्लॉकचेन से तेज़ निपटान, बेहतर तरलता व पारदर्शिता।
 - CD: 7 दिन से 1 वर्ष की अवधि वाला विनिमेय मनी मार्केट साधन।

भारत UN मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित

- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में सातवीं बार निर्विरोध रूप से 2026-28 की तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है।

UNHRC के बारे में:

- स्थापित: 2006 में, मानवाधिकार आयोग (Commission on Human Rights) के स्थान पर।
- कुल सदस्य: 47; UN महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं (लगातार अधिकतम दो कार्यकाल)।
- कार्य: समीक्षाओं, प्रस्तावों और जांच के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और संरक्षण करना।

समुद्र शक्ति अभ्यास – 5वां संस्करण

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम में आरंभ हुआ। इसमें बंदरगाह एवं समुद्री चरण शामिल हैं, जिसका उद्देश्य नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना है।

भारत-कनाडा संबंधों में नई शुरुआत

दो वर्षों से तनावपूर्ण रहे संबंधों के बाद, दोनों देशों ने विदेश मंत्रियों की वार्ता के बाद एक नई रोडमैप पर सहमति जताई।

मुख्य कदम:

- कनाडा-भारत मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद (CIMED) को पुनर्जीवित करना।
- LNG, LPG और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
- संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (JSTCC) को फिर से शुरू करना।
- ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, CCUS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उभरती तकनीक (AI, साइबर सुरक्षा, फिनटेक) में सहयोग।

विवेक मेनन IUCN SSC के अध्यक्ष निर्वाचित

भारतीय संरक्षणवादी विवेक मेनन को 2025-29 की अवधि के लिए IUCN Species Survival Commission (SSC) का अध्यक्ष चुना गया है।

SSC के बारे में:

- गठन: 1949
- विशेषज्ञों का नेटवर्क: 10,500+
- कार्य: IUCN को जैव विविधता और प्रजाति संरक्षण पर सलाह देना।

REDD+ परियोजनाओं का सीमित प्रभाव

REDD+ के तहत कुछ ही उष्णकटिबंधीय वन कार्बन ऑफ़सेट परियोजनाएं वनों की कटाई को उल्लेखनीय रूप से रोक पाई हैं।

REDD+ के बारे में:

- UNFCCC के तहत वनों की कटाई और क्षरण से उत्सर्जन को कम करने की पहल।
- इसमें सतत वन प्रबंधन और कार्बन भंडार में वृद्धि शामिल है।
- विकासशील देशों को परिणाम-आधारित भुगतान की सुविधा; पेरिस समझौते का हिस्सा।

WMO ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन

- CO₂ रिकॉर्ड स्तर पर: 2024 में 423.9 ppm – 1957 के बाद सबसे बड़ा वार्षिक वृद्धि (↑ 3.5 ppm)।
- 2024: अब तक का सबसे गर्म वर्ष – औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.55 °C अधिक, पेरिस समझौते की 1.5 °C सीमा पार।
- रेडिएटिव फोर्सिंग: दीर्घजीवी GHG के कारण 54% की वृद्धि। मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का स्तर भी बढ़ा।

नील नदी

- भारी वर्षा और जल स्तर वृद्धि ने दक्षिण सूडान में भारी प्रभाव डाला।
- विवरण:
 - विश्व की सबसे लंबी नदी, 11 देशों से होकर गुजरती है
 - खार्तूम (सूडान) में ब्लू नाइल व व्हाइट नाइल के संगम से बनती है।
 - उत्तर की ओर बहकर मिस्र व भूमध्य सागर में गिरती है।

LIMBS – लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम

- कानून एवं न्याय मंत्रालय ने “लाइव केसेस” डैशबोर्ड लॉन्च किया।
- विशेषताएँ:
 - वेब-आधारित मुकदमा मॉनिटरिंग सिस्टम
 - 24x7 एक्सेस, पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि

ऑपरेशन चक्र – V

- CBI ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में छापेमारी की।
- उद्देश्य: साइबर अपराधियों पर कार्रवाई और नागरिकों की सुरक्षा।

नेशनल सिक््योरिटी गार्ड (NSG)

- अयोध्या में नया NSG हब स्थापित हो रहा है।
- वर्तमान हब: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू।
- स्थापना: 1986, मॉडल – SAS (UK), GSG-9 (जर्मनी)।
- दो इकाइयाँ – SAG और SRG; गृह मंत्रालय के अंतर्गत।

IMF – वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- भारत की GDP: 2025-26 में 6.6%, 2026-27 में 6.2%।
- वैश्विक वृद्धि: 2024 – 3.3% → 2025 – 3.2% → 2026 – 3.1%।
- IMF द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित।

गूगल एआई हब – विशाखापट्टनम

- 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश, गूगल का भारत में सबसे बड़ा और अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब
- मुख्य विशेषताएँ:
 - एडवांस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेटा सेंटर कैपेस।
 - अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे।
 - 2026-2030 के बीच निर्माण; इंडिया एआई मिशन व विकसित भारत विजन के अनुरूप।

मिनी वॉर्म पूल – अरब सागर

- वैज्ञानिकों ने पाया कि अरब सागर का मिनी वॉर्म पूल एल नीनो के बाद मॉनसून को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।
- स्थान: केरल तट के पास गर्म जल का पैच (>28.5°C)।
- समय: हर साल अप्रैल-मई, मानसून से पहले बनता है।

🌸 नोबेल शांति पुरस्कार 2025

- विजेता: मारिया कोरीना माचादो 🇨🇴
- उल्लेख: वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष हेतु सम्मानित।

🌸 नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- स्थापना: 1901
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रयासों के लिए दिया जाता है:
- हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण
- शांति वार्ता
- लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
- बेहतर संगठित और शांतिपूर्ण विश्व निर्माण के प्रयास

🇮🇳 भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

- मदर टेरेसा – 1979
- कैलाश सत्यार्थी – 2014

💧 सावलकोट जलविद्युत परियोजना

- स्थान: चिनाब नदी, जम्मू और कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में।
- क्षमता: 1,856 मेगावाट (रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना)।

🌸 महत्त्व:

- नदी के प्राकृतिक प्रवाह का न्यूनतम भंडारण के साथ उपयोग करती है।
- भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद, सिंधु नदी प्रणाली पर पर्यावरणीय स्वीकृति पाने वाली पहली बड़ी परियोजना।

🧠 क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेशन – रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट

- वैज्ञानिकों ने सही (True) रैंडम नंबर उत्पन्न करने और प्रमाणित करने की नई क्वांटम तकनीक विकसित की।

🌸 महत्त्व क्यों है:

- रैंडम नंबर एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण और साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- छद्म (Pseudorandom) नंबर, एल्गोरिदम से उत्पन्न होते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग से भविष्यवाणी योग्य हैं।
- सच्ची यादृच्छिकता (True randomness) स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक प्रक्रियाओं (जैसे रेडियोधर्मिता, मौसम) से आती है, जिससे पूरी तरह सुरक्षित एन्क्रिप्शन कुंजियाँ बनाई जा सकती हैं।

🌿 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM)

- नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

🚢 ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्राप्त बंदरगाह:

- दीendayal Port (गुजरात)
- वी.ओ. चिदंबरनार Port (तमिलनाडु)
- पारादीप Port (ओडिशा)

🌸 NGHM के बारे में

- शुरुआत: जनवरी 2023
- उद्देश्य: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना।
- लक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन।
- स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों में निवेश आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की उम्मीद।

स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स

- खनन क्षेत्र में राज्यों की भूमिका मापने के लिए जारी।
- आधार: नीलामी, संचालन, अन्वेषण व टिकाऊ खनन प्रदर्शन।

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

- A: म.प्र., राजस्थान, गुजरात
- B: गोवा, उत्तर प्रदेश, असम
- C: पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा

SITAA योजना

- UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी नवाचार व प्रौद्योगिकी योजना (SITAA) लॉन्च।
- फोकस: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, AI/ML, डेटा गोपनीयता, उन्नत सुरक्षा।
- पायलट में फेस लाइवनेस, प्रेज़ेंटेशन अटैक व कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट।

UN-GGIM

- भारत को UN-GGIM-AP (एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति) का सह-अध्यक्ष चुना गया।
- स्थापना: 2011 (ECOSOC के तहत)
- वैश्विक भू-स्थानिक डेटा शासन के लिए शीर्ष अंतर-सरकारी तंत्र।

स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025 (UNEP)

- वैश्विक वन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रति वर्ष US\$ 216 अरब की वित्तीय कमी।
- निवेश को 2030 तक \$300 अरब और 2050 तक छह गुना बढ़ाना होगा।
- 2023 में 91% फंडिंग सरकारों से आई।
- 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर और 2050 तक 1.8 अरब हेक्टेयर नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस का विस्तार आवश्यक।

प्रमुख एवं गौण खनिज

- चूना पत्थर को अब प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- MMDR अधिनियम 1957 के अनुसार:
 - प्रमुख: ईंधन, धातु, परमाणु व गैर-धात्विक खनिज।
 - गौण: संगमरमर, स्लेट, शेल आदि।
 - राज्यों को गौण खनिजों पर नियम बनाने का अधिकार।

कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स (CCSCH)

- 8वां सत्र गुवाहाटी में आयोजित।
- Codex Alimentarius Commission की सहायक संस्था; मसालों के मानकीकरण हेतु।
- FAO/WHO संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम का हिस्सा।
- स्थापना: 2013; मेज़बान: भारत; सचिवालय: स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि।

जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ साझा करना (Access and Benefit Sharing – ABS)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने रेड सैंडर्स (लाल चंदन) के कृषकों को ABS ढाँचे के तहत धनराशि जारी की है।

◆ ABS के बारे में:

- यह तय करता है कि जैविक/आनुवंशिक संसाधनों तक कैसे पहुँचा जाए और उनसे मिलने वाले लाभों को उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाए।
- यह जैव विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity – CBD), बॉन दिशानिर्देश और नागोया प्रोटोकॉल (2010) के तहत संचालित है।
- भारत में इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 द्वारा विनियमित किया गया है।

पुनर्वास परिषद भारत (Rehabilitation Council of India – RCI)

RCI ने पुनर्वास शिक्षा को आधुनिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुधार लागू किए हैं।

◆ RCI के बारे में:

- स्थापना: एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में; 1993 में यह कानूनी निकाय बना, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है।
- उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का नियमन, तथा पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना।

चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha)

चक्रवात मोंथा ने बंगाल की खाड़ी के तट पर दस्तक दी।

◆ अर्थ: “मोंथा” का अर्थ थाई भाषा में सुगंधित फूल है।

◆ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में:

- ये तेज़ी से घूमने वाले, गैर-मोर्चीय निम्न दबाव प्रणालियाँ होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनती हैं।
- इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है:
 - हूरिकेन (Hurricanes) – अटलांटिक महासागर में,
 - टाइफून (Typhoons) – पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में,
 - विली-विलीज़ (Willy-willies) – पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
- निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ:
 - समुद्र सतह का तापमान 27°C से अधिक।
 - कोरिओलिस बल (Coriolis Force) की उपस्थिति।
 - एक पूर्व-मौजूद निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area)।

नीति आयोग रिपोर्ट: भारत का उन्नत विनिर्माण रोडमैप – वैश्विक नेतृत्व की दिशा में

◆ अवलोकन:

नीति आयोग ने एक रोडमैप जारी किया जिसमें 5 मुख्य क्लस्टरों के तहत 13 उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है और विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए चार अग्रणी (Frontier) प्रौद्योगिकियों – कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (AI/ML), उन्नत सामग्री विज्ञान (Advanced Materials), डिजिटल ट्विन्स (Digital Twins), और रोबोटिक्स (Robotics) – को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर दिया गया है।

◆ वर्तमान स्थिति

भारत का विनिर्माण क्षेत्र GDP का केवल 15-17% योगदान देता है, जो विकास के चरम पर रहे पूर्वी एशियाई देशों से काफी कम है।

◆ प्रमुख चुनौतियाँ

- आरएंडडी में कम निवेश, जिससे नवाचार और ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ सीमित होती है।
- खंडित मूल्य श्रृंखलाएँ (Fragmented value chains) – जिससे पैमाने और एकीकरण की कमी रहती है।
- नियामक जटिलता और नीति अनिश्चितता, जो प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।

पासुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर (1908-1963)

उपराष्ट्रपति ने पासुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

◆ परिचय:

तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले के पासुम्पोन गाँव में एक संपन्न भूमिधर परिवार में जन्म।

वे कोडैयनकोट्टई मरावा (मुक्कुलथोर) समुदाय से थे, जो अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है।

◆ राजनीतिक यात्रा:

- 1927 में राजनीति में प्रवेश किया; सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी रहे।
- तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस आंदोलन को मजबूत किया।
- मंदिर प्रवेश आंदोलन, अपराधी जनजाति अधिनियम (*Criminal Tribes Act*) की समाप्ति और सामाजिक न्याय जैसे आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई।
- विधायक (1952-57) और सांसद (1957-63) के रूप में सेवा की।

◆ विरासत:

अपने नेतृत्व, राष्ट्रवाद और करुणा के लिए उन्हें “दक्षिण के नेताजी”, “दक्षिण का शेर”, और “मुकुट रहित सम्राट” कहा जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वे CJI बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है।

◆ नियुक्ति प्रक्रिया:

- कानून मंत्रालय निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा मांगता है (आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश)।
- प्रधानमंत्री उस अनुशंसा को राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु भेजते हैं।
- अब तक तीन बार वरिष्ठता परंपरा का पालन नहीं किया गया है।

चाबहार बंदरगाह (ईरान)

भारत को चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए अमेरिका से छह महीने की प्रतिबंध छूट प्राप्त हुई है। यह बंदरगाह सिस्तान-बालुचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है।

◆ मुख्य तथ्य:

- यह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है।
- इसमें शहीद बेहेशती और शहीद कलांतरी टर्मिनल शामिल हैं।
- भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास कर पहुँच प्रदान करता है।
- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) का हिस्सा, जो हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है।

मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS)

पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से MYGS पहल शुरू की।

◆ उद्देश्य: छात्रों को ग्राम सभा की सिमुलेटेड बैठकों में शामिल कर जनभागीदारी और सहभागी शासन को बढ़ावा देना।

◆ कार्यान्वयन: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) और राज्य विद्यालयों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप।

- JNVs: ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय (NEP 1986)।
- EMRSs: उच्च जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।

डिजी बंदर

इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में शुरू किया गया डिजी बंदर भारतीय बंदरगाहों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा है।

- ◆ उद्देश्य: बंदरगाहों को डेटा-आधारित, एआई-सक्षम और परस्पर जुड़ा बनाना।
- ◆ मुख्य फोकस: भविष्यवाणी आधारित लॉजिस्टिक्स, डिजिटल ट्विन्स, स्वचालन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) CPI का आधार वर्ष और हाउसिंग इंडेक्स की पद्धति संशोधित कर रहा है।

- ◆ मुख्य बिंदु:
 - आवास का भारांक: शहरी – 21.67%, अखिल भारतीय – 10.07%।
 - ग्रामीण क्षेत्र में हाउसिंग इंडेक्स संकलित नहीं किया जाता।
 - अन्य भारांक:
 - खाद्य एवं पेय पदार्थ – 45.86%
 - विविध (शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल आदि) – 28.31%
 - ईंधन एवं प्रकाश – 6.84%
 - वस्त्र एवं जूते – 6.53%
 - पान, तंबाकू एवं नशे – 2.38%।

कुनमिंग जैव विविधता कोष (KBF)

सात देशों को कुनमिंग जैव विविधता कोष (KBF) के तहत वित्तीय सहायता मिली। यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) को समर्थन देने वाला मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड है।

- ◆ मुख्य तथ्य:
 - चीन और यूएनईपी द्वारा स्थापित, CBD सचिवालय और यूएनडीपी के सहयोग से।
 - COP-15 (मॉन्ट्रियल, 2022) में अपनाया गया।
 - KMGBF: 2050 तक 4 लक्ष्य और 2030 तक 23 लक्ष्य निर्धारित करता है।

पारिस्थितिक सूखा (Ecological Droughts)

आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन में पाया गया कि पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की कृषि भूमि पारिस्थितिक सूखे का सामना कर रही हैं।

- ◆ परिभाषा: लंबी अवधि की नमी की कमी जो पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और कार्बन संतुलन को बाधित करती है।
- ◆ कारण: वर्षा की कमी, महासागरों का गर्म होना, वायुमंडलीय शुष्कता में वृद्धि।
- ◆ प्रभाव: पौधों की वृद्धि में कमी, स्थानीय प्रजातियों का विलुप्त होना, पारिस्थितिक असंतुलन।
- ◆ अन्य प्रकार: मौसम संबंधी, कृषि, जल संबंधी और सामाजिक-आर्थिक सूखा।

माध्यमिक प्रतिबंध (Secondary Sanctions)

अमेरिका के माध्यमिक प्रतिबंधों से भारत के रूसी तेल आयात प्रभावित हो सकते हैं।

- ◆ मुख्य जानकारी:
 - प्राथमिक प्रतिबंध: प्रत्यक्ष व्यापार प्रतिबंध।
 - माध्यमिक प्रतिबंध: तीसरे देशों को लक्षित राज्यों से व्यापार करने पर दंडित करते हैं (अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले)।
- ◆ उदाहरण: अमेरिका के ईरानी तेल पर प्राथमिक प्रतिबंध के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया (माध्यमिक प्रभाव)।

समाचार में स्थान: ताजिकिस्तान (राजधानी – दुशांबे)

भारत ने ताजिकिस्तान के ऐनी एयरबेस (Ayni Airbase) से द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद अपनी वापसी की घोषणा की है।

♦ राजनीतिक विशेषताएँ (Political Features)

- स्थान: मध्य एशिया का स्थल-रुद्ध (Landlocked) देश।
- सीमाएँ: दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन, उत्तर में किर्गिस्तान, और पश्चिम में उज्बेकिस्तान।
- सदस्यता: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) का सदस्य।
- रणनीतिक महत्व: वाखान कॉरिडोर (Wakhan Corridor) के निकट स्थित, जो मध्य और दक्षिण एशिया को जोड़ता है।

♦ भौगोलिक विशेषताएँ (Geographical Features)

- जलवायु: मध्यम अक्षांशीय महाद्वीपीय – गर्म ग्रीष्म, हल्की शीत ऋतु; पामीर पर्वतों में अर्ध-शुष्क से ध्रुवीय तक।
- सबसे ऊँची चोटी: इस्मोइल सोमोनी शिखर (Ismoil Somoni Peak) – 7,495 मीटर।
- मुख्य झीलें: काराकुल (Karakul) और इस्कंदरकुल (Iskanderkul) – दोनों उच्च पर्वतीय झीलें हैं।

कानूनी मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) संशोधन नियम, 2025

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 में संशोधन करते हुए इन्हें मेडिकल डिवाइसेस नियम, 2017 के अनुरूप बनाया है।

♦ मुख्य बिंदु:

- यह संशोधन पैकेज्ड चिकित्सा उपकरणों (Medical Devices) पर लागू होगा।
- अनिवार्य घोषणाएँ यथावत रहेंगी, लेकिन फ्रॉन्ट आकार और लेबल मानक मेडिकल डिवाइस नियमों के अनुसार होंगे।
- उद्देश्य: नियामक सामंजस्य, अनुपालन में स्पष्टता और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाना।

लार्ज मैगनेटिक क्लाउड (LMC)

वैज्ञानिकों ने LMC में ST6 नामक नवजात तारे के चारों ओर पाँच कार्बन-समृद्ध यौगिकों की खोज की है, जो ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद कर सकती है।

- ♦ यह मिल्की वे (आकाशगंगा) की उपग्रह आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर है।
- ♦ दक्षिणी आकाश में यह पूर्ण चंद्रमा से 20 गुना बड़ा दिखाई देता है।
- ♦ इसमें विशाल गैस बादल हैं, जो नए तारों के निर्माण में सहायक हैं।

विलय का सिद्धांत (Doctrine of Merger)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सिद्धांत हर मामले में समान रूप से लागू नहीं होता।

- ♦ अर्थ: उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निचली अदालत का आदेश उसमें समाहित हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- ♦ उद्देश्य: न्यायिक पदानुक्रम की गरिमा बनाए रखना और निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करना।
- ♦ प्रमुख मामला: *State of Madras v. Madurai Mills Co. Ltd.* – इसका प्रयोग अपीलीय अधिकार क्षेत्र और आदेश के स्वरूप पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM)

कैबिनेट सचिव ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातों को लेकर NCCM की बैठक की अध्यक्षता की।

- ♦ स्थिति: इसे आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है।
- ♦ भूमिका: प्रमुख आपदाओं की तैयारी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ♦ अध्यक्ष: कैबिनेट सचिव।

⚖️ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति – सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अधिवक्ता और सेवा के रूप में कुल 7 वर्ष का अनुभव है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती के पात्र होंगे।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 233 के तहत अधिवक्ताओं और सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों दोनों की नियुक्ति की जा सकती है और 7 वर्ष के अभ्यास के मानदंड को न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू किया गया है।

📝 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

- अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
- नियुक्ति प्राधिकारी: राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श कर नियुक्ति की जाती है।

📖 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025

- हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
- जन्म: 1954, ग्युला (हंगरी)
- प्रमुख कृतियाँ: *Satantango* (1985), *The Melancholy of Resistance* (1989), *War & War* (1999)
- नोबेल पुरस्कार के बारे में:
- 1895 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित; पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया।
- नॉबेल फाउंडेशन, स्टॉकहोम द्वारा संचालित।
- श्रेणियाँ: शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, और अर्थशास्त्र।

🌐 अंडरसी केबल – मेटा का प्रोजेक्ट “वॉटरवर्थ”

- मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने अंडरसी केबल प्रोजेक्ट के लिए मुंबई और विशाखापत्तनम को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है।
- परिभाषा: समुद्र तल पर बिछाई गई फाइबर-ऑप्टिक केबल जो वैश्विक डेटा संचारित करती है।
- महत्व: अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट की रीढ़ – यह 90% डेटा, 80% वैश्विक व्यापार और \$10 ट्रिलियन वित्तीय लेनदेन को संचालित करती है।

🏢 टेक्सटाइल पीएलआई योजना – प्रमुख संशोधन

- वस्त्र मंत्रालय ने पीएलआई योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिनमें पात्र उत्पादों की श्रेणी बढ़ाना और निवेश एवं टर्नओवर के मानदंडों में ढील देना शामिल है।
- उद्देश्य: एमएमएफ परिधान, फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- अवधि: 2021-2030 (प्रोत्साहन 5 वर्षों तक)।
- निगरानी: डीपीआईआईटी द्वारा गठित सचिवों के सशक्त समूह द्वारा।

🌸 *Cistanthe longiscapa* – मरुस्थल में जीवित रहने की विशेषज्ञ प्रजाति

- वैज्ञानिकों ने चिली के अटाकामा मरुस्थल में पाई जाने वाली *Cistanthe longiscapa* नामक पुष्पीय पौधे का अध्ययन किया, ताकि यह समझा जा सके कि यह अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में कैसे जीवित रहता है।
- आवास: अटाकामा मरुस्थल की स्थानीय प्रजाति; स्थानीय नाम *pata de guanaco*।
- विकास चक्र: वार्षिक जड़ी-बूटी, जो दुर्लभ वर्षा के बाद तेजी से जीवन चक्र पूरा करती है।
- अनुकूलन: CAM प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करती है – रात में रंध्र खोलकर CO_2 अवशोषित कर मॅलिक अम्ल के रूप में संग्रहित करती है, जिससे यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवित रह पाती है।

🍷 रोग ग्रह की खोज

- खगोलविदों ने एक युवा रोग ग्रह की खोज की है, जो अपने आसपास की सामग्री को सक्रिय रूप से आकर्षित कर रहा है।
- परिभाषा: ऐसा ग्रह जो अपने मूल तंत्र से निष्कासित होकर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमता है।
- कक्षा: किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता; स्वतंत्र रूप से गतिमान होता है।
- महत्व: इन ग्रहों का अध्ययन ग्रह निर्माण, प्रणाली की गतिशीलता और अंतरतारकीय पदार्थ की परस्पर क्रियाओं को समझने में मदद करता है।

भारत-जापान समुद्री अभ्यास (JAIMEX) 2025

- स्वदेश निर्मित INS सह्याद्री (शिवालिक वर्ग की स्टेल्थ फ्रिगेट) ने सी फेज़ में भाग लिया।
- द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास, भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के बीच।
- दो चरणों में आयोजित — हार्बर फेज़ और सी फेज़।

ईरान ने आतंकवाद वित्त पोषण रोकथाम सम्मेलन की पुष्टि की

- सम्मेलन: इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेसन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (1999)
- प्रवर्तन वर्ष: 2002
- उद्देश्य: आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करना और फंडर्स को जवाबदेह ठहराना।
- भारत भी इस पर हस्ताक्षर कर चुका है।

कसावा (टैपिओका) में कीट नियंत्रण अध्ययन

- परजीवी ततैया *Anagyrus lopezi* के उपयोग से कसावा मिलीबग पर जैविक नियंत्रण सफल।
- फसल: टैपिओका (कसावा) — मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है (80% क्षेत्र केरल व तमिलनाडु में)।
- उपयुक्त परिस्थितियाँ: उष्णकटिबंधीय जलवायु, 100 सेमी से अधिक वर्षा, लाल लेटराइटिक दोमट मिट्टी।
- उपयोग: स्टार्च उत्पादन, साबूदाना, वस्त्र व कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में।

काराबिड भृंग (Carabid Beetles) – जैव संकेतक के रूप में

हालिया अध्ययन में पाया गया कि काराबिड भृंग (Carabid Beetles) का उपयोग मिट्टी में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

परिचय:

- Carabidae परिवार से संबंधित, इन्हें सामान्यतः ग्राउंड बीटल्स (Ground Beetles) कहा जाता है।
- ये रात्रिचर शिकारी हैं, जो घोंघे, कैटरपिलर, और स्लग जैसे कीटों का भक्षण करते हैं।
- ये विश्वभर के अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं।

समाचार में स्थान: इटली

मानचित्र मुख्य बिंदु:

- इटली की सीमाएँ फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से लगती हैं, तथा यह एड्रियाटिक, टायरहेनियन, आयोनियन और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। रोम इसकी राजधानी है।

समसामयिक समाचार:

- इटली की जन्म दर 2025 में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है।
- राजनीतिक विशेषताएँ:
- दक्षिण-मध्य यूरोप में एपेनाइन प्रायद्वीप पर स्थित, यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है।
- स्थलीय सीमाएँ: फ्रांस (उत्तर-पश्चिम), स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया (उत्तर), स्लोवेनिया (उत्तर-पूर्व)।
- जल सीमाएँ: भूमध्य सागर (दक्षिण), एड्रियाटिक (पूर्व), आयोनियन (दक्षिण-पूर्व), लिग्यूरियन व टायरहेनियन (पश्चिम)।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- सर्वोच्च शिखर: मोंट ब्लांक
- मुख्य पर्वतमालाएँ: आल्प्स, एपेनाइन
- मुख्य नदियाँ: पो, अडिजे
- ज्वालामुखीय गतिविधि: प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में माउंट एटना (सिसिली) और स्ट्रोम्बोली (एओलियन द्वीपसमूह) शामिल हैं।

ज्ञान भारतम मिशन (Gyan Bharatam Mission)

सरकार ने 17 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि ज्ञान भारतम मिशन (2025) का विस्तार किया जा सके।

◆ दृष्टि (Vision): भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइज और प्रोत्साहित करना ताकि उसकी सभ्यतागत ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके।

◆ परिचय: पांडुलिपि (Manuscript) वह हस्तलिखित रचना होती है जो कागज, छाल या ताड़पत्र पर लिखी जाती है और जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो तथा उसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक मूल्य हो।

◆ उद्देश्य:

- देशभर में 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और सूचीकरण।
- राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (National Digital Repository) की स्थापना।
- AI, OCR और ब्लॉकचेन तकनीक से स्मार्ट एक्सेस, ट्रांसक्रिप्शन और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।

◆ नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय।

◆ मुख्य स्तंभ: विद्वत नेतृत्व, तकनीकी एकीकरण, क्षमता निर्माण, और जन भागीदारी।

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (Adjusted Gross Revenue – AGR)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को AGR मुद्दे की पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी।

◆ परिभाषा: AGR में टेलीकॉम और गैर-टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होता है — जैसे ब्याज, लाभांश, और निवेश आय।

◆ विवाद: टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि AGR में केवल टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होना चाहिए, अन्य स्रोतों से नहीं।

राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation – NSC)

कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया।

◆ स्थापना: 1963 / श्रेणी: अनुसूची 'B', मिनीरत्न-I पीएसयू।

◆ मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

◆ उद्देश्य: उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कृषि सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना और बीज उद्योग को प्रोत्साहन देना।

पांडा कूटनीति (Panda Diplomacy)

चीन ने गोल्डन स्नब-नोज़्ड बंदरों को फ्रांस और बेल्जियम भेजा, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर कूटनीति का विस्तार हुआ।

◆ परिचय: यह चीन की एक कूटनीतिक नीति है जिसके तहत वह मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में विशाल पांडा (Giant Panda) को अन्य देशों को भेंट या किराये पर देता है।

◆ अन्य समान कूटनीतियाँ:

- मलेशिया: ओरंगुटान कूटनीति
- ऑस्ट्रेलिया: कोआला कूटनीति
- थाईलैंड: हाथी कूटनीति

यूएई कन्सेन्सस (UAE Consensus)

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने COP28 (2023) में अपनाए गए यूएई कन्सेन्सस को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

◆ मुख्य बिंदु:

- पेरिस समझौते के तहत पहला वैश्विक मूल्यांकन (Global Stocktake)।
- देशों से जीवाश्म ईंधन से निष्पक्ष व संतुलित संक्रमण की अपील।
- लक्ष्य: 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना।
- जलवायु वित्त और अनुकूलन समर्थन को बढ़ावा।
- 1.5°C तापमान सीमा को बनाए रखना और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य।

ज्ञान भारतम मिशन (Gyan Bharatam Mission)

सरकार ने 17 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि ज्ञान भारतम मिशन (2025) का विस्तार किया जा सके।

◆ दृष्टि (Vision): भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइज और प्रोत्साहित करना ताकि उसकी सभ्यतागत ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके।

◆ परिचय: पांडुलिपि (Manuscript) वह हस्तलिखित रचना होती है जो कागज, छाल या ताड़पत्र पर लिखी जाती है और जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो तथा उसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक मूल्य हो।

◆ उद्देश्य:

- देशभर में 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और सूचीकरण।
- राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (National Digital Repository) की स्थापना।
- AI, OCR और ब्लॉकचेन तकनीक से स्मार्ट एक्सेस, ट्रांसक्रिप्शन और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।

◆ नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय।

◆ मुख्य स्तंभ: विद्वत नेतृत्व, तकनीकी एकीकरण, क्षमता निर्माण, और जन भागीदारी।

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (Adjusted Gross Revenue – AGR)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को AGR मुद्दे की पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी।

◆ परिभाषा: AGR में टेलीकॉम और गैर-टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होता है — जैसे ब्याज, लाभांश, और निवेश आय।

◆ विवाद: टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि AGR में केवल टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होना चाहिए, अन्य स्रोतों से नहीं।

राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation – NSC)

कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया।

◆ स्थापना: 1963 / श्रेणी: अनुसूची 'B', मिनीरत्न-I पीएसयू।

◆ मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

◆ उद्देश्य: उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कृषि सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना और बीज उद्योग को प्रोत्साहन देना।

पांडा कूटनीति (Panda Diplomacy)

चीन ने गोल्डन स्नब-नोज़्ड बंदरों को फ्रांस और बेल्जियम भेजा, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर कूटनीति का विस्तार हुआ।

◆ परिचय: यह चीन की एक कूटनीतिक नीति है जिसके तहत वह मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में विशाल पांडा (Giant Panda) को अन्य देशों को भेंट या किराये पर देता है।

◆ अन्य समान कूटनीतियाँ:

- मलेशिया: ओरंगुटान कूटनीति
- ऑस्ट्रेलिया: कोआला कूटनीति
- थाईलैंड: हाथी कूटनीति

यूएई कन्सेन्सस (UAE Consensus)

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने COP28 (2023) में अपनाए गए यूएई कन्सेन्सस को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

◆ मुख्य बिंदु:

- पेरिस समझौते के तहत पहला वैश्विक मूल्यांकन (Global Stocktake)।
- देशों से जीवाश्म ईंधन से निष्पक्ष व संतुलित संक्रमण की अपील।
- लक्ष्य: 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना।
- जलवायु वित्त और अनुकूलन समर्थन को बढ़ावा।
- 1.5°C तापमान सीमा को बनाए रखना और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य।

बुरेवेस्टनिक मिसाइल (Burevestnik Missile – रूस)

रूस ने अपनी परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

- ◆ प्रकार: लंबी दूरी की, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली न्यूक्लियर-पावर्ड क्रूज मिसाइल।
- ◆ महत्व: रूस के छह नई पीढ़ी के रणनीतिक हथियारों में से एक।

डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest Scam)

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की जांच करने का सुझाव दिया।

- ◆ परिचय: एक ऑनलाइन धोखाधड़ी, जिसमें ठग पुलिस या सरकारी अधिकारियों के रूप में भेष बदलकर लोगों को गिरफ्तारी, बैंक खाते फ्रीज या पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर “जुर्माना” या “सुरक्षा राशि” वसूलते हैं।

स्टेबलकॉइन (Stablecoin – जापान)

जापान ने दुनिया का पहला येन-आधारित स्टेबलकॉइन लॉन्च किया।

- ◆ परिचय: यह एक ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल मुद्रा है जो किसी फिएट करेंसी (जैसे येन या डॉलर) से जुड़ी होती है ताकि उसका मूल्य स्थिर रहे।
- ◆ उद्देश्य: तेज़, सस्ती और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन को संभव बनाना तथा क्रिप्टो और पारंपरिक वित्त के बीच सेतु का कार्य करना।
- ◆ उदाहरण: टेदर (USDT), यूएसडी कॉइन (USDC)।

कैडबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान (Keibul Lamjao National Park – मणिपुर)

एक अध्ययन ने भूमि उपयोग में बदलाव को लोकतक झील में बढ़ते जल प्रदूषण से जोड़ा है, जिसका कुछ हिस्सा कैडबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में आता है।

- ◆ लोकतक झील: पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील; फुमदी (तैरते हुए वनस्पति द्वीपों) के लिए प्रसिद्ध।
 - रामसर स्थल: 1990 से / मॉन्ट्रो रिकॉर्ड: 1993 से।
- ◆ कैडबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान:
 - घोषित: वन्यजीव अभयारण्य (1954); राष्ट्रीय उद्यान (1977)।
 - विशेषता: दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
 - मुख्य जीव: संगारि (ब्राउन एंटलर्ड हिरण), हॉग डियर, ऊदबिलाव (Otter)।

विश्व असमानता प्रयोगशाला – जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025

- ◆ मुख्य निष्कर्ष:
 - शीर्ष 1% आबादी वैश्विक उत्सर्जन का 15% करती है, लेकिन निजी पूँजी से जुड़े 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
 - उनकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर, निचले 50% की तुलना में 75 गुना अधिक है।
 - केवल 100 कंपनियाँ औद्योगिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 71% के लिए उत्तरदायी हैं।

क्वांटम सूचना स्कैम्बलिंग (Quantum Information Scrambling) – गूगल का “Willow” प्रोसेसर

गूगल ने अपने “Willow” क्वांटम प्रोसेसर के माध्यम से सत्यापित क्वांटम बढ़त (Quantum Advantage) हासिल की है, जिसने सबसे तेज सुपरकंप्यूटरों को भी पीछे छोड़ दिया।

- ◆ संकल्पना: क्वांटम जानकारी एंटैंगलमेंट (Entanglement) के माध्यम से कणों में फैल जाती है – यह मिटती नहीं, बल्कि वैश्विक रूप से छिप जाती है।
- ◆ महत्व: क्वांटम जानकारी के संरक्षण को प्रमाणित करता है और क्वांटम तकनीकों की समझ को बढ़ाता है।

यूएनईपी (UNEP) – अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 (Adaptation Gap Report 2025)

- ◆ वैश्विक निष्कर्ष:
 - विकासशील देशों को 2030 के दशक के मध्य तक \$310–365 अरब प्रति वर्ष की अनुकूलन वित्तीय कमी का सामना करना पड़ेगा।
 - वर्तमान वैश्विक फंडिंग केवल \$26 अरब है, जो आवश्यकताओं से काफी कम है।
 - अधिकांश देशों के पास योजनाएँ तो हैं, लेकिन कार्यान्वयन कमजोर है।
- ◆ भारत की स्थिति:
 - भारत ने राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund) और राज्य कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया है, फिर भी देश हीटवेव, अनियमित मानसून और तटीय बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council - DAC)

DAC ने ₹79,000 करोड़ के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे सशस्त्र बलों की संचालन क्षमता में वृद्धि होगी।

- ◆ मुख्य स्वीकृतियाँ: नाग मिसाइल सिस्टम Mk-II, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMTVs) विद मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स आदि।
- ◆ परिचय: यह रणनीतिक रक्षा अधिग्रहण योजना और निगरानी के लिए शीर्ष निकाय (Apex Body) है।

अध्यक्ष: रक्षा मंत्री (भारत सरकार)

कार्य:

- दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना (Long-Term Perspective Plan) के तहत पूंजीगत अधिग्रहण को स्वीकृति देना।
- प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना।
- अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity – AoN) प्रदान करना।

एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 (Exercise Ocean Sky 2025)

भारतीय वायु सेना (IAF) ने स्पेन में आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लिया।

- ◆ परिचय: यह एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसे स्पेनिश एयर फोर्स आयोजित करती है।
- ◆ उद्देश्य: वायु युद्ध कौशल में सुधार, अंतरसंचालनीयता (Interoperability) बढ़ाना और पारस्परिक सीख को प्रोत्साहित करना।
- ◆ महत्त्व: भारत पहला गैर-नाटो (Non-NATO) देश है जिसने इसमें भाग लिया — भारत-स्पेन रक्षा संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।

ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना

WTO ने भारत की DFTP योजना को अविकसित देशों (LDCs) के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सराहा।

- ◆ परिचय:
- 2008 में शुरू की गई इस योजना के तहत भारत में LDC देशों के निर्यात पर शुल्क-मुक्त या रियायती टैरिफ की सुविधा दी जाती है।
- उद्देश्य: आर्थिक वृद्धि, निर्यात विविधीकरण और व्यापारिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (International Convention Against Doping in Sport)

भारत को इस अभिसमय की एशिया-प्रशांत ब्यूरो (Asia-Pacific Bureau) का उपाध्यक्ष (Vice-Chair) पुनः निर्वाचित किया गया है। अज़रबैजान को अध्यक्ष चुना गया।

- ◆ परिचय:
- UNESCO द्वारा 2005 में अंगीकृत और 2007 में प्रभावी हुआ एक बहुपक्षीय संधि (Multilateral Treaty)।
- उद्देश्य: डोपिंग की समाप्ति और वैश्विक स्तर पर एकसमान एंटी-डोपिंग कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- सदस्य देश: 192 (जिसमें भारत भी शामिल है)।

उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme – LRS)

विदेशी शिक्षा के लिए भारत से भेजी जाने वाली धनराशि 8 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है।

- ◆ परिचय:
- 2004 में शुरू, इस योजना का उद्देश्य विदेश में धन प्रेषण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना था।
- भारत के निवासी व्यक्ति (Resident Individuals) को प्रति वित्त वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक किसी भी अनुमत लेनदेन के लिए भेजने की अनुमति है।
- धन भेजने की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- यह योजना कंपनियों, साझेदारी फर्मों, HUF या ट्रस्टों पर लागू नहीं होती।

समाचार में व्यक्तित्व: रानी चेन्नम्मा

(चित्रण: रानी चेन्नम्मा — हरे रंग की साड़ी में, काले घोड़े पर सवार, हाथ में ऊँचा उठा तलवार)

रानी चेन्नम्मा (1778–1829) — किन्नूर की रानी और भारत की प्रारंभिक महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। वह किन्नूर के राजा मल्लसरजा की पत्नी थीं। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया। ब्रिटिशों ने उन्हें वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, जिससे किन्नूर विद्रोह (1824) भड़क उठा — जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह माना जाता है।

शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिशों को पराजित किया, पर बाद में उन्हें बंदी बनाकर कारावास में रखा गया, जहाँ 1829 में उनका निधन हुआ। विरासत: साहस, देशभक्ति और नेतृत्व का प्रतीक।

कफाला प्रणाली (Kafala System)

सऊदी अरब ने कफाला (प्रायोजन) प्रणाली को समाप्त कर दिया है, जिससे लगभग 1.3 करोड़ विदेशी कामगारों को लाभ होगा, जिनमें 26 लाख भारतीय शामिल हैं।

- ◆ परिचय: इस प्रणाली में नियोक्ता (कफील) को प्रवासी श्रमिकों की कानूनी स्थिति, निवास, नौकरी बदलने और देश छोड़ने की अनुमति पर पूरा नियंत्रण होता था।
- ◆ समस्या: इसे आधुनिक दासता की संज्ञा दी गई, क्योंकि नियोक्ता अक्सर श्रमिकों का शोषण करते थे, जैसे—पासपोर्ट जब्त करना और आवाजाही सीमित करना।

घुसपैठ पहचान प्रणाली (Intrusion Detection System - IDS)

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) अपने नेटवर्क पर हाथियों की पटरियों पर मौत रोकने के लिए IDS तैनात कर रहा है।

- ◆ परिचय: यह ऑप्टिकल फाइबर सेंसर तकनीक का उपयोग कर हाथियों की गतिविधियों से उत्पन्न कंपन का पता लगाती है और नियंत्रण कक्ष को रियल-टाइम अलर्ट भेजती है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।

चुनावों के दौरान AI का जिम्मेदार उपयोग

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नैतिक उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- ◆ AI-निर्मित या बदली गई सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल होना चाहिए — “AI-Generated” या “Synthetic Content”।
- ◆ डीपफेक और भ्रामक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- ◆ राजनीतिक दलों को AI-निर्मित सामग्री के विस्तृत अभिलेख रखने होंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हों।

कुनार नदी (Kunar River)

अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई है, जिससे इसका प्रवाह पाकिस्तान में प्रभावित होगा।

- ◆ परिचय: यह काबुल नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है।
- ◆ उद्गम: हिंदू कुश पर्वत, चितरल (पाकिस्तान) से, और यह अफगानिस्तान में बहती है।
- ◆ सहायक नदियाँ: बशगल (लैंडियासिंध) और पेख।

मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु (HIV)

मालदीव पहला देश बन गया है जिसने एचआईवी, सिफलिस और हेपेटाइटिस-बी के मां-से-बच्चे संचरण को समाप्त कर दिया है।

- ◆ रोगों के बारे में:
 - HIV: प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है; उन्नत अवस्था में एड्स (AIDS) का कारण बनता है।
 - सिफलिस: ट्रेपोनेमा पैलिडम (*Treponema pallidum*) नामक जीवाणु से फैलता है।
 - हेपेटाइटिस-बी: यकृत को प्रभावित करने वाला विषाणुजन्य संक्रमण, जो तीव्र या दीर्घकालिक हो सकता है।

माहे जलयान (Mahe Water Craft)

भारतीय नौसेना को 'माहे', आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स (ASW SWC) में से पहला पोत प्राप्त हुआ है।

- ◆ निर्माण: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)
- ◆ नामकरण: पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह नगर माहे के नाम पर
- ◆ भूमिका: पनडुब्बी रोधी युद्ध, तटीय निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में उपयोग।
- ◆ महत्व: यह नौसेना की तटीय रक्षा क्षमता को मजबूत करता है और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करता है।

स्वामिह कोष (SWAMIH Fund)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्वामिह (सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए विशेष खिड़की) कोष को नई AIF नियमावली से छूट दी है।

- ◆ परिचय: वर्ष 2019 में कैटेगरी-II AIF के रूप में स्थापित, जिसका प्रबंधन SBI वेंचर्स द्वारा किया जाता है।
- ◆ उद्देश्य: अटके हुए आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए प्राथमिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना।

निष्पादन याचिकाएँ (Execution Petitions)

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में 8.8 लाख से अधिक लंबित निष्पादन याचिकाओं पर चिंता व्यक्त की है।

- ◆ परिचय: यह वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत वादी (जीतने वाला पक्ष) अदालत से अनुरोध करता है कि वह अपने निर्णय को लागू कराए, यदि प्रतिवादी अनुपालन नहीं करता।
- ◆ निर्देश (2021): अदालतों को ऐसी याचिकाएँ छह महीनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय गीत – वंदे मातरम्

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से वंदे मातरम् के 150 वर्ष को यादगार बनाने और इसके मूल्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

- ◆ रचना: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में, उपन्यास आनंद मठ (1882) का हिस्सा।
- ◆ पहली बार गाया गया: 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा।
- ◆ स्वीकृति: 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया; इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है।

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (HEP)

सुबनसिरी लोअर HEP का परीक्षण संचालन प्रारंभ हुआ।

- ◆ प्रकार: रन-ऑफ-द-रिवर योजना, जिसमें सुबनसिरी नदी (ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी) पर एक छोटा जलाशय है।
- ◆ स्थान: अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा, उत्तर लखीमपुर के पास।
- ◆ क्रियान्वयन एजेंसी: NHPC लिमिटेड।

डार्क मैटर (Dark Matter)

हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि डार्क मैटर आकाशगंगा (Milky Way) के केंद्र से निकलने वाली गामा किरणों की चमक की व्याख्या कर सकता है।

- ◆ परिचय: यह अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान का निर्माण करता है। यह न तो प्रकाश को अवशोषित, न परावर्तित और न ही उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे देखना कठिन है।
- ◆ संरचना: ब्रह्मांड का लगभग 27% भाग।
- ◆ महत्व: यह गैलेक्सी, तारामंडल और ब्रह्मांड की संरचना को आकार देता है।

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR), अप्रैल 2025 – IMF

- ◆ उद्देश्य: वैश्विक वित्तीय प्रणाली का मूल्यांकन और संभावित जोखिमों की पहचान करना ताकि वित्तीय संकटों से बचा जा सके।
 - ◆ मुख्य निष्कर्ष:
 - वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के कड़े होने से वित्तीय स्थिरता के जोखिम बढ़े हैं।
- भू-राजनीतिक तनावों (विशेष रूप से युद्धों) से शेयर बाजार में गिरावट और जोखिम प्रीमियम में वृद्धि हुई है।
- ◆ IMF की अन्य रिपोर्टें: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर।

समाचारों में व्यक्तित्व: वैकुण्ठभाई मेहता

जन्म जयंती मनाई गई

◆ परिचय (1891-1964):

गुजरात के भावनगर में जन्मे वैकुण्ठभाई मेहता को भारत के सहकारी आंदोलन के “भीष्म पितामह” के रूप में जाना जाता है।

◆ मुख्य योगदान:

- लगभग 35 वर्षों तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे।
- तत्कालीन बॉम्बे राज्य के वित्त और सहकार मंत्री रहे।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के प्रथम अध्यक्ष बने।
- सहकारी आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें काइज़र-ए-हिंद पदक (1916) से सम्मानित किया गया।
- महात्मा गांधी के विश्वसनीय सहयोगी और खादी आंदोलन के प्रमुख सहभागी रहे।

कॉफी (Coffee)

प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कॉफी पहचान पर प्रकाश डाला।

◆ परिचय: भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है; कुल उत्पादन का 70% निर्यात किया जाता है, जिससे \$1.8 बिलियन (2024-25) की आमदनी हुई।

◆ मुख्य क्षेत्र: कर्नाटक (चिकमगलूर, कूर्ग, हासन), तमिलनाडु (पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी, अन्नामलाई), केरल (वायनाड, त्रावणकोर, मालाबार)।

◆ उपयुक्त परिस्थितियाँ: उपजाऊ, हल्की अम्लीय मिट्टी (pH 6-6.5); हल्की ढलानें; तापमान 15-30°C, वर्षा 1000-2500 मिमी।

◆ प्रकार: अरेबिका (Arabica) और रोबस्टा (Robusta)।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 (Rashtriya Vigyan Puraskar 2025)

सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार घोषित किया।

◆ श्रेणियाँ:

- विज्ञान रत्न (VR): आजीवन उपलब्धियाँ।
- विज्ञान श्री (VS): विशिष्ट योगदान।
- विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर (VY-SSB): युवा वैज्ञानिकों के लिए।
- विज्ञान टीम (VT): उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए।

◆ पुरस्कार विजेता: प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (भौतिकी) — मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित; उन्होंने हॉयल-नार्लीकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत विकसित किया, जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और बिग बैंग मॉडल का विकल्प था।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA)

उत्तर प्रदेश और सिक्किम की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को धनराशि जारी की गई।

◆ स्थापना: 2003, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत।

◆ प्रकृति: स्वायत्त वैधानिक निकाय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत।

◆ मुख्यालय: चेन्नई।

◆ कार्य: जैव संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों के समान वितरण को विनियमित और प्रोत्साहित करना।

◆ पूरक संस्थाएँ: राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।

काराकोरम एवं चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य (लद्दाख)

दोनों अभयारण्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया।

◆ काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य (Karakoram WLS):

- स्थापना: 1987 / स्थान: काराकोरम पर्वतमाला, लद्दाख।
- जीव-जंतु: हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, आइबेक्स, भरल (नीली भेड़)।
- वनस्पति: अल्पाइन वनस्पति, औषधीय पौधे, ठंडे रेगिस्तानी वन।

◆ चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य (Changthang WLS):

- स्थान: लेह जिले के चांगथांग पठार में।
- महत्व: इसमें त्सो मोरीरी, पैगोंग त्सो, त्सो कार जैसी उच्च ऊंचाई वाली झीलें हैं।
- जीव-जंतु: हिम तेंदुआ, तिब्बती जंगली गधा, काली गर्दन वाला सारस।

**विशेष संस्करण: संस्कृति और
बहुविकल्पीय प्रश्न**

बजट 2025 में नई योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

- 🎯 उद्देश्य: कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- 👥 लक्ष्य: 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसान।
- 📌 मुख्य बिंदु: फसल विविधीकरण, सिंचाई सुधार, भंडारण अवसंरचना, और ऋण उपलब्धता।

2. ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम

- 🎯 उद्देश्य: ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
- 👥 लक्ष्य समूह: युवा किसान, महिलाएँ, सीमांत किसान, भूमिहीन परिवार।
- 📌 मुख्य बिंदु: कृषि-तकनीक निवेश, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता।

3. दालों में आत्मनिर्भरता

- 🎯 उद्देश्य: दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
- ⌚ अवधि: 6-वर्षीय मिशन (उड़द, तूर, मसूर पर केंद्रित)।
- 📌 मुख्य बिंदु: जलवायु-प्रतिरोधी बीज, उच्च प्रोटीन वाली दालें, NAFED और NCCF द्वारा खरीद सुनिश्चित।

4. प्रथम बार उद्यमियों के लिए योजना

- 🎯 उद्देश्य: महिलाओं और SC/ST उद्यमियों का समर्थन।
- 💰 सहायता: 5 वर्षों में 5 लाख नए उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन।
- 📌 अतिरिक्त: क्षमता निर्माण और उद्यमशीलता प्रशिक्षण।

5. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- 🎯 उद्देश्य: बच्चों और माताओं के लिए पोषण सहायता।
- 👥 लक्ष्य: 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ माताएँ, 20 लाख किशोरियाँ।
- 📌 मुख्य बिंदु: आकांक्षी जिलों में बेहतर पोषण मानक।

6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना

- 🎯 उद्देश्य: भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों को बढ़ावा देना।
- 📌 मुख्य बिंदु: स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा सामग्री।

7. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

- 🎯 उद्देश्य: गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- 📌 विशेषताएँ: ई-श्रमे पोर्टल पर पंजीकरण, पहचान पत्र, PMJAY स्वास्थ्य कवरेज।

8. SWAMIH फंड 2

- 🎯 उद्देश्य: मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अटकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करना।
- 🏠 लक्ष्य: 1 लाख आवास इकाइयाँ पूर्ण करना।
- 💰 आवंटन: ₹15,000 करोड़ की धनराशि।

मौजूदा योजनाओं में बदलाव

1. MSME परिभाषा

- ◆ बदलाव: तकनीकी उन्नयन और विस्तार के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई।

2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- ◆ बदलाव: ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।

3. क्रेडिट गारंटी फंड

- ◆ बदलाव: MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए गारंटी समर्थन में वृद्धि; सूक्ष्म उद्यमों के लिए समर्पित क्रेडिट कार्ड जारी।

4. स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स

- ◆ बदलाव: ₹10,000 करोड़ का नया फंड, अधिक व्यापक समर्थन के साथ।

5. अटल टिंकरिंग लैब्स

- ◆ बदलाव: 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब्स स्थापित की जाएंगी।

6. पीएम स्वनिधि योजना

- ◆ बदलाव: ऋण सहायता में बढ़ोतरी; UPI-लिंकड क्रेडिट कार्ड एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौशल समर्थन।

7. जल जीवन मिशन

- ◆ बदलाव: लक्ष्य बढ़ाकर वर्ष 2028 तक 100% ग्रामीण जल कवरेज सुनिश्चित किया गया।

8. उड़ान (UDAN) योजना

- ◆ बदलाव: 120 नए क्षेत्रीय गंतव्य जोड़े गए; ग्रामीण एयरस्ट्रिप/हेलिपैड को समर्थन।

9. पीएम गति शक्ति

- ◆ बदलाव: PPP मॉडल के तहत अवसंरचना योजनाओं के लिए भू-स्थानिक डेटा की व्यापक पहुँच।

10. रोजगार-आधारित पर्यटन

- ◆ बदलाव: होमस्टे के लिए मुद्रा लोन, कौशल प्रशिक्षण, और पर्यटन के लिए ई-वीजा सुविधा।

11. पीएम रिसर्च फेलोशिप

- ◆ बदलाव: 10,000 फेलोशिप्स; IISc और IITs में अनुसंधान के लिए वित्तीय समर्थन में वृद्धि।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

प्रश्न 1: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- a) जैविक खेती को बढ़ावा देना
- b) कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना
- c) खाद्य निर्यात बढ़ाना
- d) उर्वरक उपयोग को कम करना

उत्तर: b: व्याख्या: यह योजना कृषि की उत्पादकता और स्थिर कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

प्रश्न 2: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य लक्ष्य समूह कौन है?

- a) बड़े किसान
- b) कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसान
- c) शहरी किसान
- d) संविदा किसान

उत्तर: b: व्याख्या: यह योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लक्षित करती है।

प्रश्न 3: निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की विशेषता नहीं है?

- a) फसल विविधीकरण
- b) भंडारण अवसंरचना
- c) शहरी हाइड्रोपोनिक्स सब्सिडी
- d) सिंचाई सुधार

उत्तर: c: व्याख्या: शहरी हाइड्रोपोनिक्स इस ग्रामीण-केंद्रित योजना का हिस्सा नहीं है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम

प्रश्न 4: ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम किस समस्या को संबोधित करता है?

- a) शहरी बेरोजगारी
- b) ग्रामीण अधरोजगारी
- c) औद्योगिक रोजगार सृजन
- d) कृषि निर्यात

उत्तर: b: व्याख्या: यह योजना ग्रामीण रोजगार और आर्थिक लचीलापन पर केंद्रित है।

प्रश्न 5: इस कार्यक्रम के लाभार्थी कौन हैं?

- a) केवल भूमि मालिक किसान
- b) केवल शहरी युवा
- c) युवा किसान, महिलाएँ, सीमांत किसान, भूमिहीन परिवार
- d) कृषि निगम

उत्तर: c:

प्रश्न 6: निम्न में से कौन-सा क्षेत्र इस योजना में प्राथमिकता प्राप्त नहीं करता है?

- a) कौशल विकास
- b) प्रौद्योगिकी
- c) शहरी आवास
- d) उद्यम विकास

उत्तर: c: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)

प्रश्न 7: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है?

- a) स्तनपान कराने वाली माताएँ
- b) गर्भवती महिलाएँ
- c) वृद्ध पुरुष
- d) बच्चे

उत्तर: c

प्रश्न 8: इस योजना में कितनी किशोरियों को लक्षित किया गया है?

- a) 20 लाख
- b) 1 लाख
- c) 2 करोड़
- d) 50,000

उत्तर: a

प्रश्न 9: लागत मानकों (Cost Norms) में किस क्षेत्र में सुधार किया गया है?

- a) पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में
- b) आकांक्षी जिलों में
- c) शहरी झुग्गी बस्तियों में
- d) महानगरों में

उत्तर: b: भारतीय भाषा पुस्तक योजना (Bharatiya Bhasha Pustak Scheme)

प्रश्न 10: भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है?

- a) प्रिंटिंग प्रेस का समर्थन करना
- b) शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों को बढ़ावा देना
- c) विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करना
- d) पूरे भारत में पुस्तकालय बनाना

उत्तर: b

प्रश्न 11: इस योजना में किस बात पर जोर दिया गया है?

- a) अंग्रेजी भाषा की किताबें
- b) मुद्रित पुस्तकों का वितरण
- c) क्षेत्रीय भाषा की डिजिटल पुस्तकें
- d) केवल ऑडियोबुक्स

उत्तर: c: प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme for Platform Workers)

प्रश्न 12: इस योजना का लक्ष्य समूह कौन है?

- a) औद्योगिक श्रमिक
- b) प्लेटफॉर्म और गिग कार्यकर्ता
- c) सरकारी कर्मचारी
- d) किसान

उत्तर: b

प्रश्न 13: कौन-सा पोर्टल गिग कार्यकर्ताओं का पंजीकरण करेगा?

- a) पीएमजेडीवाई (PMJDY)
- b) ई-श्रम
- c) जाना स्मॉल फाइनेंस
- d) उद्योग आधार

उत्तर: b

प्रश्न 14: इस योजना के तहत कौन-सी स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की जाती है?

- a) ESIC
- b) पीएम जन आरोग्य योजना
- c) आयुष्मान भारत डिजिटल
- d) कोई नहीं

उत्तर: b: SWAMIH फंड 2

प्रश्न 15: SWAMIH फंड 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

- a) ₹1,000 करोड़
- b) ₹5,000 करोड़
- c) ₹15,000 करोड़
- d) ₹20,000 करोड़

उत्तर: c

प्रश्न 16: SWAMIH फंड 2 का मुख्य ध्यान किस पर है?

- a) लग्जरी आवास
- b) मध्यम वर्ग के घर
- c) ग्रामीण झोपड़ियाँ
- d) किराये के मकान

उत्तर: b

प्रश्न 17: कितनी आवास इकाइयों को पूरा करने की योजना है?

- a) 50,000
- b) 1 लाख
- c) 2 लाख
- d) 25,000

उत्तर: b: मौजूदा योजनाओं में बदलाव

प्रश्न 18: संशोधित MSME परिभाषा का उद्देश्य क्या है?

- a) खाद्य सुरक्षा
- b) पूंजी और तकनीक तक पहुँच
- c) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा
- d) विदेशी निवेश

उत्तर: b: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

प्रश्न 19: KCC की नई ऋण सीमा क्या है?

- a) ₹3 लाख
- b) ₹5 लाख
- c) ₹7 लाख
- d) ₹10 लाख

उत्तर: b

प्रश्न 20: किसानों के अलावा अब KCC से और कौन लाभान्वित हो सकता है?

- a) शिक्षक
- b) मछुआरे और डेयरी किसान
- c) दुकानदार
- d) नर्स

उत्तर: b: क्रेडिट गारंटी फंड

प्रश्न 21: यह योजना किस क्षेत्र का समर्थन करती है?

- a) खेल पेशेवर
- b) MSMEs और स्टार्टअप्स
- c) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- d) रेलवे कर्मचारी

उत्तर: b

प्रश्न 22: सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष रूप से कौन सा उत्पाद शुरू किया गया है?

- a) गोल्ड बांड
- b) SME क्रेडिट कार्ड
- c) अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) क्रेडिट कार्ड
- d) मुद्रा कार्ड

उत्तर: c: स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स

प्रश्न 23: नए फंड ऑफ फंड्स में सरकार का योगदान कितना है?

- a) ₹1,000 करोड़
- b) ₹5,000 करोड़
- c) ₹10,000 करोड़
- d) ₹20,000 करोड़

उत्तर: c: पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi)

प्रश्न 24: पीएम स्वनिधि योजना किसका समर्थन करती है?

- a) सड़क विक्रेता
- b) भूमिहीन किसान
- c) जनजातीय कारीगर
- d) आईटी कर्मचारी

उत्तर: a

प्रश्न 25: क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कौन सा भुगतान तरीका जोड़ा गया है?

- a) केवल रुपये कार्ड
- b) यूपीआई
- c) वीज़ा
- d) बिटकॉइन

उत्तर: b: जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)

प्रश्न 26: मिशन का लक्ष्य 100% ग्रामीण जल कवरेज कब तक हासिल करना है?

- a) 2025
- b) 2028
- c) 2030
- d) 2040

उत्तर: b

प्रश्न 27: जल जीवन मिशन का नया फोकस क्या है?

- a) केवल शहरी पेयजल
- b) जल गुणवत्ता और रखरखाव
- c) बांध निर्माण
- d) नदी शुद्धिकरण

उत्तर: b: उड़ान (UDAN) योजना

प्रश्न 28: संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे?

- a) 50
- b) 75
- c) 120
- d) 200

उत्तर: c

प्रश्न 29 : उड़ान योजना किसका प्रचार करती है?

- a) राजमार्ग विस्तार
- b) क्षेत्रीय वायु संपर्कता
- c) जहाज निर्माण
- d) बुलेट ट्रेन

उत्तर: b



CLASSES OFFLINE / ONLINE

Enquiry - 7983481507



SHRINKHLA IAS



**UPSC
UPPSC
OTHER RELATED
COMPETITIVE EXAMS**

**Admission
Open**

Foundation Course
For 11th-12th

999/- Per Month

3 Years Foundation
Course For Under Graduation

1499/- Per Month

Regular 1 Year
Foundation Course

1999/- Per Month

Mob. : 9821581211

NEAR MEERUT KI CHUNGI, BIJNOR (U.P.)